खण्ड-345, अंक-4
शुक्रवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(29 अगस्त, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्य
उपस्थित सदस्य	295–299
प्रश्नोत्तर	299–330
भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहन सिंह मेहता के निधन पर शोकोद्गार.. ..	330–332
बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील से नैपाल को सीमेंट की तस्करी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	232–333
माध्यमिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त कुप्रबन्ध से छात्रों में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	333
मेरठ के एक सैनिक अधिकारी, मेजर आर0 एन0 शर्मा के यहां पड़ी डकैती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	333–334
थाना जैतीपुर के गढ़ियारंगी बाजार स्थित जिला परिषदीय कम्पाउन्ड की दीवाल गिरने से 70 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	334
कानपुर जनपद में बाढ़ से ककवन तथा रसूलाबाद ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जल-भराव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	334
विधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का स्थगन	335
विधान सभा सदस्य,श्री नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की सूचना में संशोधन की सूचना ..	335
स्वायत्त शासन मंत्री, श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	335–336
दिनांक 28 अगस्त, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 12(नत्थी 'क')के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न	336–337
उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980(पुर:स्थापित किया गया)	337
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 (पुर:स्थापित किया गया)	338
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	338
राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों को भरने हेतु उनके साक्षात्कार के लिये अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत हुआ)	338–346
बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके विकास हेतु बुन्देलखंड विकास परिषद् की स्थापना के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया) ..	346–370
काम करने के लिये सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के संबंध में संकल्प (जारी)	370

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	371
जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के नलपुर ग्राम के एक हरिजन के घर में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आग लगाने तथा उसके फलस्वरूप उसकी पत्नी तथा पुत्री की मृत्यु हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	371–372
सदन के कार्यक्रय में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	372–373
ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसात्मक घटनाओं पर सदन द्वारा दुख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव (जारी)	373–393
नत्थियां	394–398

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—382

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कल्यान सिंह, श्री	बरेली
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
अमरनाथ सिंह,		काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अम्बा प्रसाद, श्री	बरेली	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	कुबेर, श्री	देवरिया
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
ईन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री	इलाहाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री		केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
(उर्फ सुत्तन भय्या)	खीरी	केशोराम, श्री	बदायूं
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी	खरपत, श्री	वाराणसी
ए० सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	खानगुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
		खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	खुरशीद अहमद	
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	अन्सारी, श्री	मुरादाबाद

खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टिहरी-गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवरधन, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी-गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर , श्री	जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेंद्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर

तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्त, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम , श्री	बरेली
नरेंद्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री	पौड़ी-गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी

पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर, श्री	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भ वती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पांडेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगला देव, श्री	गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	बस्ती
मंजूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी श्री, (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पांडेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
भान पाल सिंह, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुंशीलाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मदसफीउर्रमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह श्री (उर्फलल्लनजी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रती राम, श्री	बिजनौर

रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राज पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री,	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
रामभजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
रामलाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि , श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार , श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भू नाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव प्रताप सिंह, श्री	बांदा
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी-गढ़वाल

शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री कृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमनलता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमान्श प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मुहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हेम चन्द्र निमेष, श्री	मेरठ

नोट:– मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 29 अगस्त, 1980

तारांकित प्रश्न

जरवल रोड शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद पर दी गयी सब्सिडी

*1—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीजन 1978–79 में मिलों द्वारा पेरे गये गन्ने पर सब्सिडी दी गई थी ? क्या यह सही है कि जरवल रोड शुगर मिल द्वारा डाइरेक्ट फ्री एरिया को खरीदे गये गन्ने पर कृषकों को सब्सिडी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी हां, सीजन 1978–79 में गन्ना समितियों के माध्यम से मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने पर सब्सीडी दी गयी । यह सही है कि जरवल रोड शुगर मिल द्वारा डायरेक्ट फ्री एरिया से खरीदे गये गन्ने पर कृषकों को सब्सीडी नहीं दी गयी क्योंकि केवल गन्ना समितियों के माध्यम से ही खरीदे गये गन्ने पर सब्सिडी दिये जाने के आदेश थे ।

ग्राम गौरीकरण, जिला कानपुर में अग्निकांड

*2—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम गौरीकरण, परगना, भोगनीपुर कानपुर में मई, 1980 के उत्तरार्द्ध] में हुए भीषण अग्निकांड में विस्थापित लोगों को पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अग्निकांड में 63 हरिजन परिवारों के पूर्णतया ध्वस्त घरों को देखते हुए वहां हरिजन कालोनी बसाने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

ग्राम गौरीकरण में 16-5-80 को आकस्मिक अग्निकांड में 79 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनमें 73 परिवार हरिजन एवं पिछड़ी जाति के हैं। इन परिवारों को सब मिलाकर 16,725 रु0 की सहायता दी गई।

उक्त अग्निकांड से प्रभावित हरिजन परिवारों के लिये हरिजन कालोनी बनाये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने परिवारों को कितनी-कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री यशपाल सिंह—

42 परिवारों को 4,325 रुपये अहेतुक सहायता दी गयी। 47 परिवारों को 9,400 रुपये गृह निर्माण अनुदान के रूप में तुरन्त मौके पर ही दिये गये। इन परिवारों के अतिरिक्त 6 अन्य परिवारों को 500 रुपये की दर से आपदा तकावी वितरित की गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जिन लोगों के मकानों में आग लगी है, क्या उनको कानूनी सहायता के अलावा भी सरकार कोई और सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

जिस समय यह अग्निकांड हुआ और हमारे अधिकारीगण वहां पहुंचे, तो उनसे किसी ने ऐसी सहायता की मांग नहीं की। न ही इस पर विचार हो रहा है। उन्होंने तो अपनी इच्छा यही व्यक्त की थी कि उनको वहीं रहने दिया जाये, उनके मकानों में सुधार करने के बाद।

श्री मित्र सेन—

जिस नियम कानून के अनुसार यह सहायता दी जाती है, वे बहुत पुराने हैं, क्या सरकार इस प्रकार की अहेतुक सहायता और अनुदान की राशि को बढ़ाने पर भी विचार करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

शायद माननीय सदस्य को ज्ञान नहीं है, शासन ने यह निर्णय लिया है कि यह अहेतुक सहायता अनुदान जो 100 रुपये दिया जाता था वह अब 150 रुपये कर दिया गया है। जो गृह निर्माण हेतु सहायता दी जाती थी उसमें भी 200 रुपये बढ़ा दिये गये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिये 1 हजार रुपये कर दिये गये हैं।

श्री भीखा लाल---

यह आदेश क्या सब जिलों में पहुंच गये हैं या नहीं ? मेरे जिले में अभी भी अहेतुक सहायता 20 या 25 रुपये दी जाती है और गृह निर्माण अनुदान 100 रुपये दिया जाता है।

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो सूचना है वह सही हो सकती है अहेतुक के लिए भी, गृह अनुदान के लिए भी लम-सम रुपया जिले को बांटा जाता रहा है और जितनें जितने वहां के पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं, इसमें यह भी आदेश दिये हैं कि उसके तकसीम के समय हमारे जो पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं, उनको भी विश्वास में लिया जाय, तो इन सब का मशविरा लेकर वहां पर तकसीम किया जाता है । अगर पांच व्यक्ति की तादाद बढ़ जाती है, तो फिर 100 के बजाय कम रकम आ जाती है, कहीं पर 50 कहीं पर 25 आ जाती है । मान्यवर, एक सूचना रह गयी है । जिलों को इस प्रकार की सूचना दे दी गयी है । अगर किसी जगह माननीय सदस्य को यह इल्म आ जाय कि वहां पर ऐसा नही हुआ है, तो बतला दें मैं फौरन सूचना भेजवा दूंगा ।

श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मंत्री जी ने अभी बताया कि लम-सम रुपया जिलों को दे दिया गया है । लेकिन इसी माननीय सदन में यह घोषणा की गयी थी कि जिन लोगों के मकान गिर जायेंगे, कच्चे मकानों पर 500 रुपये और पक्के मकानों पर 800 रुपये दिये जायेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी जिलों के आंकड़े मंगा कर और जितना रुपये 500 और 800 के हिसाब से बनता है, उतना रुपये हर जिलों को आबंटित करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, जो रुपया बंट चुका है अब इसको रिवाइज करना तो माननीय सदस्य भी शायद मुनासिब नहीं समझेंगे ?

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में पुनः चकबन्दी की मांग

*3---श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पांडेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिन तहसीलों में सर्वप्रथम 1955-56 में चकबन्दी हुई थी क्या उसमें डुमरियागंज, जनपद बस्ती की तहसील भी है क्या इन तहसीलों में पुनः चकबन्दी का कार्य शुरू हो गया है ? डुमरिया गंज तहसील की चकबन्दी 1979-80 में प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो डुमरियागंज तहसील की चकबन्दी का कार्य शीघ्र ही करानें की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

प्रदेश में सर्वप्रथम 1954-55 में जो 16 तहसीलें चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत ली गयी थीं उनमें डुमरियागंज तहसील भी एक थी। इन सभी तहसीलों में पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है । मुसाफिरखाना तथा कैराना तहसीलों में दुबारा चकबन्दी का कार्य हो रहा है तथा मोहनलाल गंज, सरधना, छिब्रामऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, तथा दादरी तहसीलों में पुनः चकबन्दी का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुरू किया जा रहा है। डुमरियागंज तहसील में वर्ष 1979-80 में दुबारा चकबन्दी कराना प्रस्तावित नहीं था ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

माननीय मंत्री जी, मेरी तहसील में नहरों और बंधों का काम प्रस्तावित है और जिसकी नाप हो रही है, तो श्रीमन् इससे किसानों को काफी परेशानी है और जैसा कि आपने कहा कि इस तहसील को हम अगली चकबन्दी में ले लेंगे, तो मेरा निवेदन है कि किसानों के हित को देखते हुए आप इसे इसी वर्ष लेने की कृपा करेंगे जिससे किसानों का हित हो सके?

श्री यशपाल सिंह—

माननीय सदस्यों की भावना का समादर करते हुए शासन ने यह निश्चय कर लिया है कि इस तहसील को भी इसी वर्ष में नोटीफाइड कर दिया जायगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, इस तहसील के लिये आपने भी एक पत्र लिखा था और अम्मार रिजवी साहब ने भी लिखा था कि इसको इसी वर्ष में ले लिया जाय । क्या उस पर पुनः विचार करके इसको नोटीफाई कर रहे हैं ? क्या इसी वर्ष, वहां के किसानों पर रहम खाकर ऐसा कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इसका उत्तर तो दे दिया ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, अभी तहसील में नहर और बंधा जैसा माननीय सदस्य ने बताया, बन रही है तो क्या आप सिंचाई विभाग के मार्ग पर यह आदेश देने का कष्ट करेंगे कि जब तक चकबन्दी का कार्य न शुरू हो जाय, तब तक किसानों की जमी। एक्वायर न की जाय बन्ध बनाने के लिए ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, इन नहरों के निकालने के लिये जो बात माननीय सदस्य ने कही, उसमें सम्भवत: उनको भी जानकारी होगी कि बरसात के समाप्त होने के बाद एक दम नहरों की खुदाई का काम शुरू नहीं कर दिया जायेगा । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी यदि आवश्यकता समझी जायेगी, तो तमाम गांव यदि एक राय होकर यह चाहता है, तो सिंचाई विभाग से परामर्श कर लिया जायेगा ।

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप वर्तमान सरकार के आने के पूर्व योजना आयोग को भेजा जा चुका था, उस प्रारूप में वर्तमान सरकार कुछ संशोधन कर रही है अथवा मूल प्रारूप को ही उसने स्वीकार कर लिया है ?

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

वर्तमान सरकार के आने के पूर्व योजना आयोग को 1978—83 की अवधि के लिये प्रदेश की योजना का जो प्रारूप भेजा गया था उसके स्थान पर पिछले दो वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केंद्रीय योजना आयोग के हाल के निर्देशानुसार नये सिरे से अब 1980—85 की छठी पंचवर्षीय योजना वर्तमान सरकार द्वारा बनाई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस समय पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ हुयी, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति की आय क्या थी ? यह जानना बहुत आवश्यक है कि उस समय हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, जबकि उसकी आय राष्ट्रीय स्तर से ऊंची होनी चाहिये, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास दर का लक्ष्य अब क्या रखा गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह प्रयास है हमारा कि हम अपनी पंचवर्षीय योजना की विकास दर जो रखी जाय, वह राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा रखें ताकि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे यह प्रारूप कब तक तैयार हो जायेगा और इसे अंतिम रूप देने से पहले सदन में इस संबंध में चर्चा करायी जायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह प्रारूप हर हालत में नवम्बर तक तैयार हो जायेगा और साथ ही यह भी हमारा प्रयास रहेगा कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से और इस सदन के माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श किसी फोरम में कर लें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से पहले क्या प्रदेश का सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ताकि प्रदेश का समुचित विकास हो सके ?

श्री ब्रह्मदत्त--

योजना बनाने के पहले जो कार्यवाही है, वह सब की जायेगी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में बताया कि वे राष्ट्रीय विकास दर से प्रति व्यक्ति की आय को ऊंचा रखने की जो भावना रखते हैं, तो क्या उसके लिये अतिरिक्त 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता इस पंचवर्षीय योजना के लिये पड़ेगी? यदि हां, तो क्या सरकार उसे जुटा सकेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, अतिरिक्त साधनों की जहां तक जरूरत पड़ेगी, हमारा यह प्रयास रहेगा कि उसको हम पूरा करेंगे और आशा है कि हम पूरा कर लेंगे।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम बन्थरा के श्री राजकिशोर सिंह व श्री रमेश सिंह से शराब के ठेके की धनराशि की वसूली

*5--श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री नाजिर अली--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री राजकिशोर सिंह व श्री रमेश सिंह, निवासी ग्राम बन्थरा, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के हित में शासनादेश सं0 7884, दिनांक 1 जुलाई, 1979 राजस्व अनुभाग-7 के द्वारा यह आदेश किये गये थे कि उक्त बाकीदारों से शराब के ठेके की लगभग 30,000 (तीस हजार) रुपये की बकाया रकम अभी एक साथ न वसूल करके आगे चलकर चार समान छमाही किश्तों में जमा करा ली जाय ? क्या यह सही है कि यह धनराशि उक्त बाकीदारों से समय निकल जाने के उपरान्त भी आज तक वसूल नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश संख्या 7884 दिनांक 1 जुलाई, 1979 नहीं है बल्कि शासनादेश संख्या 7884/1-7-78, दिनांक 28 अगस्त, 1978 है जिसके अनुसार बाकीदारों से बकाया की धनराशि का एक चौथाई भाग एक माह के भीतर तथा शेष बकाए की धनराशि तीन समान छमाही किश्तों में इस शर्त के साथ वसूल होना था कि किसी भी किश्त की समय में अदायगी न होने पर पूर्ण बकाए की एक मुश्त वसूली कर ली जायगी। प्रश्न के दूसरे अंश के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बाकीदारों से मांग-पत्र में उल्लिखित पूर्ण बकाए की धनराशि वसूल कर ली गई है। ऐसी स्थिति में किसी को जिम्मेदार ठहराने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य पाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शराब के ठेके की बकाया रकम की वसूली हुई है वह किस तारीख को हुई, यह वसूली कुर्की से नीलामी से या नकद हुई है ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, तारीख की सूचना तो नहीं है। लेकिन नीलामी के द्वारा वसूली हुई है। नीलामी जमीन की की गई, उसके बाद में जब कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला, तो अन्त में जिसके ऊपर बकाया था, उस सख्श ने कर्जा अदा कर दिया।

श्री सत्य पाल सिंह—

क्या मेरी जानकारी को सही मानकर कि इस सख्श की नीलामी नहीं हुई है और न वसूली हुई है, और न जो शासनादेश आपने भेजा वह बताया, उसके अनुसार कोई कार्यवाही हुई है, जो क्या मेरी इस बात को सही मानकर जांच करायेंगे और जो अधिकारी उपेक्षा किये है उनको दंडित करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना को मैं नहीं परख पाया कि वह क्या चाहते हैं ? वसूली हो गई हमारा पैसा था, वह वसूल हो गया।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरा कहना है कि वसूलयाबी नहीं हुई है। मंत्री जी को गलत सूचना अधिकारियों ने दी है, तो क्या इसकी जांच करायेंगे कि वसूली नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री का कहना है कि वसूली हो गई।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी गई मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जिसका पैसा है वह कहता है कि वसूल हो गया।

सूखे से राहत संबंधी दीर्घकालीन योजना

*6—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि सूखे से ग्रस्त प्रदेश की जनता के राहत हेतु किसी दीर्घ-कालीन योजना पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

सूखे से राहत दिलाने के लिये शासन ने दीर्घकालीन योजना पर निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(1) भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 6 जनपदों मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर एवं जालौन के 40 विकास खंडों में सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(2) चालू सिंचाई कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने, बांधों के द्वारा पानी सिंचित कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने, सृजित सिंचन क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु कुलाबों पर बार बन्दी करने तथा पुरानी नहरों के नवीनीकरण हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(3) राजकीय नलकूपों के नवीनीकरण एवं नये नलकूपों के निर्माण की योजना बनाई गई है। विश्व बैंक की सहायता से दो वर्षों में 500 राजकीय नलकूप और लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।

(4) छठीं पंचवर्षीय योजना में 24.13 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा।

(5) बुन्देलखंड क्षेत्र में 100 राजकीय नलकूपों के निर्माण एवं सिंचन प्रणाली की गूलों पर जल वितरण में दक्षता हेतु 50,000 पक्के गूल क्रासिंग के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है।

(6) पठारी क्षेत्रों में कूपों को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करके उनमें उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ायी गई है, तालाबों को गहरा किया गया, नये कुएं खुदवाए गये हैं एवं हैन्ड पम्प लगवाये गये हैं।

(7) भूमि संरक्षण कार्यों द्वारा वर्षा का फालतू पानी क्षेत्र में ही संरक्षित करने की योजना चालू है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध होता है।

(8) वृक्षारोपण का एक वृहद् कार्यक्रम चलाया गया है।

श्री शिवसेन---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखे से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये और उनको संरक्षण प्रदान करने के लिये तमाम योजनायें इन्होंने गिना दिया कि ट्यूबवेल्स, पम्पिंगसेट लगा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं मौजूदा बाढ़ को देखते हुये, जितना पानी ट्यूबेल्स पम्पिंगसेट से निकालते हैं, उसका कई गुना पानी आज बह रहा है, तो क्या कोई ऐसी योजना है कि जो बाढ़ आई हुई है, उसको रोकने के लिये किसी नदी को गहरा किया जाने या तालाब के द्वारा अथवा अन्य तरीके से इसको रोका जाय और राहत पहुंचाई जा सके ?

श्री यशपाल सिंह---

माननीय सदस्य को जानकारी है कि शासन इस प्रकार की बहुउद्देशीय योजनाओं पर हमेशा विचार करतीं रहती है और जब विचार सम्पूर्ण हो जाता है तो उस पर निर्णय लेकर अपनी कार्यवाही करता है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करा कर कार्यवाही करेंगे कि सूखे में अधिकारियों को पानी पीने के लिए तालाबों में पानी भरने के लिए डीजल के परमिट दिये गये थे और चूंकि डीजल की कीमत नहीं दी थी, इसलिए जिन लोगों को परमिट दिये थे, उन्होंने वह कार्य न करके या तो डीजल को अपने प्रयोग में लाये या बेच दिया, तो जानकारी करा कर जो अनियमिततायें की गयी है, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

शासन के समक्ष इस प्रकार की शिकायतें कहीं से उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है, अगर इस तरह की विशिष्ट शिकायतें आयेंगी, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री भीखा लाल---

सरकार जब स्वीकार करती है कि पिछले वर्ष सूखे में 50 प्रतिशत से ज्यादा फसलों का नुकसान हो गया और इस साल अप्रत्याशित बाढ़ से 90 फीसदी फसलें बरबाद हो गयी हैं, तो क्या राहत कार्यों पर विचार करते समय पिछले वर्ष का मुल्तवी लगान और इस वर्ष का मुल्तवी लगान को माफ किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

हमारे विद्वान सदस्य को मालूम है कि जहां पर इस प्रकार की शिकायतें आयी है, सरकार आवश्यकतानुसार उस पर निर्णय लेती रही है और जब उसने समझा कि फलां-फलां जगहों पर माफ किया जाना चाहिए, हमने माफ किया, जहां-जहां स्थगित किया जाना चाहिए, स्थगित किया है। जहां पर इस प्रकार को आवश्यकता होगी, अवश्य माफ किया जायेगा।

श्री फखरे आलम--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे यह बतायें कि सूखे की वजह से और उसके बाद बाढ़ आ जाने से जहां सरकारी रुपये की वसूली को स्थगित किया गया है, उसमें सिर्फ लगान को रोका गया है या जितना वह रुपया जो बतौर मालगुजारी के रखा गया है, स्थगित किया गया है? क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं बदायूं के बारे में बताना चाहता हूं कि जिलाधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास ऐसे आदेश हैं कि सिर्फ मालगुजारी को रोक दिया जाये बाकी रुपये को जो बतौर मालगुजारी के वसूल किया जा रहा है, वह हम वसूल करेंगे। यानी अगर किसी ने उधार खाद ली, तो जो बाकी है, उससे वह वसूली की जायेगी बतौर मालगुजारी, तो इससे राहत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो आपका हुआ नहीं।

श्री मित्र सेन--

मैं जानना चाहता हूं कि जो स्थानीय छोटी-छोटी नदियां है, जिनके उफान से बहुत नुकसान होता है, उनका पानी रोकने के लिए उनको गहरा करने की कोई योजना है? अभी क्योंकि केन्द्र ने कोई ऐसा विचार प्रकट किया है कि प्रदेशों में बड़े तालाबों की खुदाई और पानी को रोकने के लिये कोई गोष्ठी हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश का सहयोग भी रहा है। यदि कोई जानकारी हो, तो बता दें, मान्यवर?

श्री अध्यक्ष--

नदी गहरी करने का या बड़ा तालाब खुदवाने का विचार कर रहे हैं?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जो जानकारी माननीय सदस्य को है, वह दुर्भाग्य से मुझे नहीं है। (शोर) केन्द्रीय सरकार से मान्यवर, जब किसी प्रकार की स्कीमें आती है, तो प्रान्तीय सरकारें उन पर विचार और कार्यान्वयन करती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की योजना जिलेवार है कि किस जिले में कितनी क्षति हुई है, कौन जिला कितना प्रभावित है? क्या अलग-अलग जिलेवार योजना है, अगर नहीं है, तो इसे बनाने की शीघ्रता करेंगे?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि योजनायें जो बनती हैं, वह नीचे से बन कर आती हैं, वह डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं। प्रश्न में योजनायें डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगी नहीं गयीं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, सन् 78 में पूरे प्रदेश में सैलाब की घोषणा हुई, 1979 में पूरे प्रदेश में सूखे की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश को केन्द्र ने जो रुपया दिया था, वह इसी आधार पर दिया

था। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 78 के सैलाब और 79 के सूखे से पीड़ित जो जिले थे, वह कौन-कौन थे ? कुछ जिलों में लगान माफी की घोषणा की गयी, रिमिशन किया गया, कुछ जिलों में रिमिशन नहीं किया गया। इन जिलों में रिमिशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोपाल सिंह—

माननीय, विद्वान सदस्य ने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, परन्तु दुर्भाग्य मेरा यह है कि जो प्रश्न मेरे समक्ष है, उसमें इस बारे में कोई जानकारी प्रश्न कर्ता ने मांगने की आवश्यकता नहीं समझी, अगर इसकी सूचना देंगे, तो इसकी जानकारी इकट्ठा करा ली जायेगी।

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर में लिपिक पद हेतु साक्षात्कार

*7—श्री बलबीर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय पर दिनांक 15 तथा 16 जून, 1980 को लिपिक पद के लिये होने वाला साक्षात्कार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार स्थगित कर दिया गया जिससे कि लगभग 1,000 अभ्यर्थी मुख्यालय पर आकर वापस लौट गये ? यदि हां, तो क्यों ? स्थगित साक्षात्कार अगली किस तिथि को होगा तथा अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

जी हां। उक्त साक्षात्कार में 654 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर उप निबन्धक (केन्द्रीय) लखनऊ ने अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, सीतापुर से साक्षात्कार को स्थगित करने का अनुरोध किया। स्थगन सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 14-6-80 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई थी।

साक्षात्कार की अगली तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को भेजे गये साक्षात्कार पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा।

श्री बलबीर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस साक्षात्कार को किस कारण स्थगित करना पड़ा ?

श्री राम नारायण पाठक—

माननवर, चयन की प्रक्रिया को लेकर और अन्य बातों की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी। यह जो चयन की प्रक्रिया है, उसका कार्य पहले सेवा मण्डल को दिया गया था। बीच मे जनता सरकार के समय में यह बदल दिया गया था।

श्री बलबीर सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह प्रश्न किया कि वह क्या शिकायतें थीं जिनके कारण चयन स्थगित किया गया। हांलांकि उनको चयन करने का अधिकार दिया गया था और सभी फारमेलिटीज पूरी कर दी गयीं थीं ?

श्री राम नारायण पाठक—

माननीय, इस बात की शिकायत आयी कि चयन की जो प्रक्रिया है, वह ठीक नहीं है। पहले संस्थागत सेवा मंडल के द्वारा जो प्रक्रिया गठित थी, वह नियमित थी। इसी बात को लेकर धारा 122, सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत इसमें व्यवस्था की गयी है।

श्री बलबीर सिंह—

तो और बैंकों के चुनाव कैसे हो गये ? शिकायत क्या थी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरी सूचना को सही मानकर कि पहले यह प्रक्रिया थी कि सहकारी बैंकों में जो भी नियुक्तियां हों, वे संस्थागत सेवा मंडल के द्वारा की जायेंगी। उसके बाद संस्थागत सेवा मंडल ने कह दिया कि इस निर्धारित कोटि के कर्मचारियों का चयन समाप्त कर सकते हैं और उसके लिये वहां के अध्यक्ष, सहायक निबन्धक और सचिव ये तीन लोग बैठकर इन्टरव्यू लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस तिथि को जो प्रक्रिया निर्धारित थी, उसके उल्लंघन की बात मंत्री जी ने कहीं नही। उसका उल्लंघन हुआ। उस तिथि की जो प्रक्रिया थी, उसका उल्लंघन किया था। यदि नहीं, तो मात्र उनका साक्षात्कार क्यों रोक दिया गया? तो क्या उसी प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश में जो और नियुक्तियां हो गयीं तो क्या उनको भी रद्द करने का विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो उसी प्रक्रिया के अन्तर्गत उन्हें चुनाव क्यों करने दिया?

श्री रामनारायण पाठक---

यह शिकायत में बात कह दी है कि जो चयन की प्रक्रिया है, वह संस्थागत सेवा मंडल के जो चयन के अधिनियम हैं उसकी धारा 122, सहकारिता अधिनियम, में लिखा हुआ है कि उसका आधार यह चयन का होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि उस तिथि को जो साक्षात्कार हुआ, इस अधिनियम में जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में किस अधिनियम का उल्लंघन हुआ? माननीय मंत्री जी, कृपया, मान्यवर, गोलमोल उत्तर न देकर स्पष्ट उत्तर दें ?

एक सदस्य---

क्या निबंधक को ऐसा करने का अधिकार था? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मान्यवर। .....

श्री राम नारायण पाठक---

मान्यवर, निबन्धक ने जो किया, वह सहकारी समिति के नियमों के अन्तर्गत किया।

एक सदस्य---

नियम क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का वास्तविक उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, मान्यवर, आप उनको मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर तो स्पष्ट दिला सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

तो, जो स्पष्ट नहीं हो, उसे पूंछ लीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

उस तिथि को अधिनियम में जो प्रक्रिया विहित थी, उस प्रक्रिया में किस अंश का उल्लंघन हुआ ?

श्री राम नारायण पाठक---

मान्यवर, जो प्रक्रिया थी, उस संबंध में ही शिकायत थी कि पहले जो इन लोगों का चयन किया जाता था, उस नियम के बारे में ही शिकायत थी।

एक सदस्य---

निबन्धक को ऐसा करने का अधिकार देने का आधार क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया ?

श्री अध्यक्ष--
अब आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--
आप बैठ जायें मैंने उनको बुला लिया है ।

श्री राम कुमार भार्गव--
मान्यवर, हमारे जिले में कोआपरेटिव बैंक के चुनाव होने वाले थे । जो वर्तमान चेयरमैन हैं उन्होंने पिछले जो साक्षात्कार किये हैं उसमें घोर अनियमिततायें की गयी हैं ।

(शोर)

श्री बलबीर सिंह--
आपको क्या अधिकार है यह कहने का ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मान्यवर, मैंने पहले सवाल पूछा था कि उस तिथि को किस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ इसका उत्तर नहीं मिला। मंत्री जी किसी विहित प्रक्रिया की बात बताने को तैयार नहीं हैं । तो क्या यह निष्कर्ष निकाला जाय कि सरकार जानबूझ कर प्रतिपक्ष के हाथ में जो सहकारी संस्थायें हैं उसमें नाजायज दबाव डाल रही है ।

श्री मुख्तार अनीस--
मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--
प्रश्न पर आप उत्तर चाहते हैं या आप सिर्फ प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री चेतराम गंगवार--
मान्यवर, इसी संबंध में एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--
मान्यवर, उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--
आपने निष्कर्ष तो निकाल लिया ।

श्री मुख्तार अनीस--
मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत दे दीजिये ।

(शोर)

श्री चेतराम गंगवार--
माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

(प्रश्न संख्या 8 के लिए श्री केदार नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर ।)

श्री केदार नाथ सिंह--
मान्यवर, 8 वां प्रश्न छूट गया है ।

श्री अध्यक्ष—
मैंने आपको तीन बार पुकारा है।

श्री केदार नाथ सिंह—
हंगामें में सुनायी नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—
आप इसको स्वीकार कीजिये कि आप खड़े नहीं हुये मेरे बुलाने पर।

सहकारिता मंत्री जी आपको प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देना है।

गोरखपुर टाउन हाल में निर्माणाधीन सुपर मार्केट

*8—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात हैकि गोरखपुर टाउन हाल में सुपर मार्केट का जो निर्माण सहकारिता विभाग द्वारा कराया जा रहा था बीच में ही रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उक्त सुपर मार्केट का निर्माण पुनः शुरू कराने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनारायण पाठक—

गोरखपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि0, ने टाउन हाल गोरखपुर में सुपर मार्केट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था जो कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप रोक दिया गया। उक्त विवाद शासन के विचाराधीन है, जिसमें निर्णय हो जाने के पश्चात् निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री केदार नाथ सिंह—
मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्माण कार्य कब रोका गया और उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा है ?

श्री राम नारायण पाठक—
मान्यवर, मास्टर प्लान में यह इंगित कर दिया गया था कि यह पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, इसलिये वहां निर्माण कार्य को रोक दिया गया और मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री केदार नाथ सिंह—
मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कब कार्य रोका गया और कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री राम नारायण पाठक—
इसमें कुल धन 89,196 रुपये व्यय हुये जिसमें 56,110 रुपये निगम द्वारा व्यय किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—
मंत्री जी, कार्य कब रोका गया है और क्या विवाद था, उसको आप बतायें ?

श्री राम नारायण पाठक—
निर्माण कार्य पहले पट्टे पर दिया गया था ।

श्री केदार नाथ सिंह—
मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं आया कि कार्य कब रोका गया और प्राधिकरण ने क्यों उसको रोका ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप बैठें और मंत्री जी यह बतायें कि कार्य कब रोका गया । इसकी सूचना हों, तो आप उसको बतायें और नहीं है, तो वह बतायें ।

श्री राम नारायण पाठक—

गोरखपुर के उपभोक्ता भंडार के सुपर मार्केट के निर्माण के लिये अनुरोध किया गया था ।

(हंसी और मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, दिनांक 27–1–78 को कार्य रोक दिया गया था ।

श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जी से मैंने यह भी प्रश्न पूछा था कि कितनी धनराशि खर्च हुई, ठेकेदार को निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी गई है, उसका विवरण मैं जानना चाहता हूं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्राधिकरण ने कौन सी आपत्तियां उठा दीं जिसके नाते रोक दिया गया । (व्यवधान) (कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री राममंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं । कभी-कभी सदन में अगर कोई मंत्री किसी वजह से किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके स्पष्टरूप से, तो क्या आप मुख्य मंत्री जी को इस बात का निर्देश देंगे कि वह अपने मंत्रियों पर इस बात के लिए दबाव डालें कि या तो तैयार हो कर आयें या आप से आग्रह करके समय ले लें । अगर नहीं, तो मुख्य मंत्री जी उन लोगों को किसी दूसरे के संरक्षण में तब-तक रखें, तब-तक वे उचित उत्तर देने के काबिल न हो सकें । (हंसी) ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर पहले मास्टर प्लान बना था, तो फिर सुपर मार्केट योजना की स्वीकृति कैसे मिली और अगर पहले योजना की स्वीकृति दी गई, तो मास्टर प्लान को डिलिट क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम नारायण पाठक—

नजूल की जमीन थी जो भंडार को दी गयी, बाद में मास्टर प्लान की योजना आई ।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहे । इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करते हुए दूसरी कोई तिथि निर्धारित की जाय ताकि वह तैयार हो कर आयें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण के द्वारा एक विवाद प्रस्तुत है । मैं आप से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह विवाद किसी अदालत में चल रहा है या इस के लिए कोई समिति गठित की गई है । अगर ऐसी बात है, तो इस की कितनी बैठकें हो चुकी है ?

श्री रामनारायण पाठक—

मान्यवर, यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया है। मेरा अनुरोध यह है कि क्या विकास प्राधिकरण ने कोई नई जगह भी सुझाई है कि वहां के बजाय दूसरे स्थान पर यह निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जाय। दूसरा प्रश्न मान्यवर यह है कि ठेकेदार को कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

श्री राम नारायण पाठक—

मान्यवर, विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ने सुपर मार्केट के निर्माण के लिये आराजी छावनी स्थित प्लाट संख्या 103, जिसका क्षेत्रफल 1.39 एकड़ है, देने का विकल्प किया है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मेरे प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सही उत्तर नहीं आया। यह अहम विषय है। 2 लाख रुपये ठेकेदार को भुगतान किया जा चुका है, और उसमें लागत लग गई है। इसलिये एक प्रश्न और करने की आप इजाजत दें।

(अनुमति नहीं हुयी)

9—श्री मोहन सिंह—

[4 थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नहरों व सड़कों के निर्माण हेतु सामूहिक रूप से भूमि की कटौती

10—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 75 से शासन ने यह नीति निर्धारित की थी कि जहां-जहां प्रदेश में चकबन्दी हो चुकी है और यदि वहां नहरें, सड़कों तथा दूसरे विकास के कार्यों में जमीन ली जायेगी तो वहां पुनः चकबन्दी करा दी जायेगी ? क्या इस संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री, माल मंत्री एवं दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक करके निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उसको अब तक लागू न करने का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

बड़ी परियोजनाओं के लिये सामूहिक कटौती द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बारे में शासन द्वारा वर्ष 1975 से ही विचार किया जाता रहा है। इस बारे में गठित विभागीय समितियों में समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पाया गया कि समस्या का निदान वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत नहीं हो सकता और उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नया कानून बनाना आवश्यक है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शासन ने यह तय कर लिया है कि पुराने कानून से काम नहीं चलेगा, तो अभी तक नया कानून न बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, कानून तो बन चुका है, लेकिन उसको अधिनियमित करने के लिये प्रेसीडेन्ट की अनुमति की आवश्यकता है। लिहाजा इसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। अभी तक उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के अन्दर शारदा सहायक जैसी बड़ी-बड़ी नहरें जौनपुर, गोंडा, बनारस आदि जगहों में हैं। मैं रोज देखता हूं कि दूसरी नहरों, शाखाओं, सड़कों और विकास के कामों के लिये जमीन ली जा रही है और चकबन्दी भी प्राय: समाप्त हो चुकी है। धारा 52 प्रकाशित हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी भारत सरकार को पुन: पत्र लिखेंगे ताकि शीघ्र मंजूरी आ सके और नया कानून जल्द से जल्द बनाया जा सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में 31 अक्टूबर, 1979 को पत्र जारी किया गया है और उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 7–2–80 को पत्र एक भेजा गया परन्तु अभी तक अनुमति नहीं आयी।

देवरिया जिले के ग्राम रामपुर बगहा के श्री विन्ध्याचल सिंह की भूमि की चकबन्दी

11—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा तहसील हाटा, जिला देवरिया के एक किसान (श्री विन्ध्याचल सिंह) को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाने के लिये चकबन्दी के नियम व कानून के विरुद्ध 9 चक आवंटित किये गये हैं तथा मौके पर खाली जमीन अनियमित ढंग से अनेक चक आउट भी छोड़ें गये है एवं आपत्तियों के बावजूद उप संचालक, चकबन्दी, देवरिया ने निगरानी में इसे निरस्त नहीं किया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से कर्मचारी व अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध एवं इस अवैध आवंटन को निरस्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

ग्राम–रामपुर बगहा, तहसील हाटा, जिला देवरिया के तीन किसानों सर्वश्री विन्ध्याचल सिंह, जगदीश सिंह तथा दुर्गा को संयुक्त रूप से चक नं0 477 सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर 9 जगह दिया था जो चकबन्दी अधिकारी स्तर पर 8 जगह कर दिया गया। वास्तव में चक 5 स्थानों पर ही है परन्तु नाली और चकरोड बींच में होने के कारण तकनीकी दृष्टि से 8 चकांश हो गये हैं। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उप संचालक के स्तर पर चकांशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया।

अनियमित ढंग से कोई खाली जमीन चक आउट नही छोड़ी गई।

चक 3 के अधिक स्थानों पर बनाने से पूर्व संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उप संचालक से नियमानुसार लिखित अनुमति न लेने की अनियमितता के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। चक खाते की अधिकतम मूल जोत पर बना है तथा उप संचालक स्तर तक अन्तिम हो चुका है। न्यायिक आदेश को सरकार द्वारा निरस्त कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि सहायक चकबन्दी आयुक्त के यहां से निर्णय किस तिथि को हुआ है ?

श्री यशपाल सिंह—

जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उसमें तिथि निश्चित नहीं हुई है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि न्यायिक आदेश सरकार द्वारा निरस्त कराने का प्रश्न नहीं उठता। चकबन्दी का आदेश न्यायिक नहीं होता है, एक्जिक्यूटिव होता है। चकवन्दी आयुक्त ने उप संचालक, चकबन्दी, देवरिया को एक डी0 ओ0 नं0 45/ सीजी–10/79, दिनांक 26–6–80 द्वारा 9 चकों में अवैध आवंटन निरस्त करने के लिये आदेश दिये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस आदेश के अनुसार 9 चकों को समाप्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

आदेश मेरे समक्ष नहीं हैं वैसे चकबन्दी आयुक्त को उसके विरुद्ध कोई आदेश करने का अधिकार ऐक्ट में नहीं है।

देवरिया जिले के ग्राम रामपुर बगहा की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12—श्री राम करन तथा श्री शिवपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर बगहा में चकबन्दी में हुई बड़े पैमाने पर धांधली एवं गभीर अनियमितताओं के बारे में संसद सदस्यों एवं विधायकों के शिकायती-पत्र दिनांक 23–5–79, 7–6–79, 15–6–79, 23–6–79, 25–2–80, 22–3–80 व 4–7–80 शासन को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो इस मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री यशपाल सिंह—

जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर बगहा में चकबन्दी में कथित धांधली एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में संसद सदस्य एवं विधायकों के संदर्भित शिकायती पत्रों में से दिनांक 23–6–79 को छोड़कर अन्य सभी पत्र प्राप्त हुये थे।

इन सभी पत्रों में श्री चन्द्रभान सिंह नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतों का जिक्र था। शिकायतों का विभागीय जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही का विवरण विस्तृत होने के कारण इसके प्रति को सदन के पटल पर रखने में जितना श्रम एवं व्यय होगा उसके अनुपात में जनहित की संभावना नहीं है। माननीय सदस्यगण विभागीय जांच रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही का विवरण मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

श्री कुबेर—

एक काश्तकार को दूसरे लोगों का सहन लेने के लिये तथा अन्य जमीन लेने के लिये 9 चिक दिये गये हैं तो क्या यह नियम में है कि 9 चक एक आदमी को दिये जांय ?

श्री अध्यक्ष—

नियम में जो है वह आप नियम में देखें।

श्री रियासत हुसैन—

जांच रिपोर्ट जब बहुत लम्बी है, तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

इसमें ऐक्ट के विरुद्ध कोई बात नहीं है। जितनी भी जांच रिपोर्ट है, उसका सारांश यह है कि एक दो जगह अनियमितताएं पाई गयी हैं। लिहाजा जिन अधिकारियों ने अनियमतताएं की हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

नैनीताल जिले के कालाढूंगी की कृषक सेवा सहकारी समिति की चीनी की चोर बाजारी

*13—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22–23 जून, 80 को नैनीताल जिले के कालाढूंगी स्थित कृषक सेवा सहकारी समिति, कालाढूंगी के गोदाम से चोर बाजारी करते हुये चीनी पकड़ी गई ? क्या समिति के प्रबन्ध निदेशक के आवास में भी दो बोरी चीनी बरामद की गई ? यदि हां, तो उक्त तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामनारायण पाठक—

जी हां। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई। बरामद की गई चीनी तथा आवश्यक अभिलेख पुलिस द्वारा सील कर दिए गए हैं। समिति के प्रबन्ध निदेशक का स्थानान्तरण कर दिया गया है ताकि जांच प्रभावित न हो सके। मामला पुलिस की विवेचना में है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रबन्ध निदेशक जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उन पर क्या पहले भी पिथौरागढ़ जिले में भी ऐसे ही मामले थे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले था या नहीं, लेकिन आज जो है, उस पर कार्यवाही हो रही है।

जसवन्तनगर, जिला इटावा में राज्य भंडारागार निगम द्वारा गोदाम हेतु खरीदी गयी भूमि

*14—डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जसवन्त नगर, जनपद इटावा में राज्य भण्डारागार निगम की ओर से अप्रैल, 78 में गोदाम बनाने के लिये जमीन खरीदी गई थी जो उसके लिये अनुपयुक्त थी ? इसकी खरीद के आदेश किस मंत्री अथवा अधिकारी द्वारा दिये गये ? क्या यह सही है कि उस जमीन की भराई पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ ?

श्री राम नारायण पाठक—

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डरागार निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार जसवन्त नगर जिला इटावा में, अप्रैल, 1978 में गोदाम निर्माण हेतु विक्रय के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से पाई गई उपयुक्त भूमि खरीदी गई थी।

भूमि का क्रय किसी मंत्री के आदेश से नहीं अपितु निगम की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति पर किया गया था। भूमि की भराई कराने में अतिरिक्त व्यय हुआ।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जमीन खरीदी गयी, यह किसकी जमीन थी और किसने ली और उसके खरीदने में कितनी धनराशि दी गयी और उस जमीन की भराई में कितना रुपया निगम का लगा ?

श्री राम नारायण पाठक—

यह जमीन केन्द्रीय भण्डारागार निगम के द्वारा खरीदी गयी और इस जमीन को वैज्ञानिक भंडार बनाने के लिए लिया गया।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य के लिए कितने प्रस्ताव आये थे और यह गढ्डे वाली जमीन क्यों ली गयी ? इसकी भराई में कितना पैसा निगम का लगा । जहां तक मेरी जानकारी है गड्ढे वाली जमीन एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए खरीदी गयी ।

श्री अध्यक्ष—

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

बस स्टेशन, हाटा जिला देवरिया में अग्निकाण्ड

*15—श्री कुबेर—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि हाटा बस स्टेशन, जिला देवरिया के पचासों मकान तथा दुकान में दिनांक 24–5–1980 को बिजली करेन्ट से आग लगने के फलस्वरूप लाखों रुपये से अधिक क्षति होने तथा भूखों मरने की कोई शिकायत शासन को किसी विधायक द्वारा दिनांक 10–6–80 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन क्षति ग्रस्त परिवारों को विशेष सूद रहित कर्ज या विशेष अनुदान देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

दिनांक 24–5–80 को अपरान्ह 3 बजे हाटा बस स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान, जो छप्पर की थी, में आग लग गई । तेज हवा होने के कारण आग जल्दी ही फैल गई जिसके फलस्वरूप लगभग एक लाख रु0 की अनुमानित क्षति हुई । इस सम्बन्ध में किसी विधायक का कथित शिकायती पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता। उक्त अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को 7,900 रु 0 अहेतुक सहायता तथा 2,400 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया सूद रहित कर्ज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

*16—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस ले लिया ।]

17—श्री बिहारी लाल—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहकारी बैंक लि0 फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*18—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद के विरुद्ध शासन की जुलाई, 1980 में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या-क्या हैं और उन शिकायतों पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नारायण पाठक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वन विभाग की लकड़ी का ठेका वन निगम को दिये जाने का निर्णय

*19—श्री हुकम सिंह—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग के वृक्षों की लकड़ी काटने का काम ठेकेदारों से लेकर किसी सरकारी निगम को देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का पूर्ण विवरण क्या है और कब से लागू करने का विचार है ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वन मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

वन विभाग के वृक्षों की लकड़ी के कटान, चिरान, ढुलान तथा बिक्री का समस्त कार्य ठेकेदारों से लेकर उत्तर प्रदेश वन निगम को धीरे-धीरे देने का एक क्रमवार कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन 1974 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रथम वर्ष 1974–75 निगम को केवल तीन वन प्रभागों के कुछ भाग कार्य करने के लिये दिये गये थे। वर्ष 1979–80 में वन निगम को 28 वन प्रभागों में लकड़ी का कटान, चिरान, ढुलान तथा बिक्री का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 1980–81 (जो 1 अक्टूबर, 1980 से प्रारम्भ होगा) में समस्त पर्वतीय क्षेत्र के शंकुधारी वनों की लकड़ी (चीड़, देवदार, कैल एवं फर) खैर तथा बांस का कटान कार्य वन निगम द्वारा किये जाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे केन्द्रीय वृत्त तथा पूर्वी वृत्त के दक्षिणी गोण्डा एवं पूर्वी बहराइच वन प्रभागों का समस्त कटान, चिरान, ढुलान तथा विक्रय कार्य भी वन निगम द्वारा किया जाने का निर्णय ले लिया गया है। वर्ष 1981–82 से 1988–89 तक अगले आठ वर्षों में प्रदेश के शेष वन में साल तथा विविध प्रजातियों का कटान, चिरान, बिक्री आदि का समस्त कार्य वन निगम द्वारा किया जाना विचाराधीन है।

ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहना, जिला मैनपुरी में भूमि का पट्टा

*20—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र सन् 1978 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 8 सितम्बर, 78 को श्री जसवीर सिंह, भूतपूर्व विधायक के प्रश्न संख्या 2 जो ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के पट्टों के आदेश परगनाधिकारी, जसराना के आदेश दिनांक 13–4–75 के अनुपालन के संबंध में था, के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जसवीर सिंह भूतपूर्व विधायक के पत्र दिनांक 29–11–79 में संलग्न जजमेन्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां, जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना तहसील जसराना में आवंटियों को पट्टा जारी करने हेतु परगनाधिकारी जसराना के आदेश दिनांक 13–4–73 के अनुपालन के सम्बन्ध में श्री जसवीर सिंह, भूतपूर्व विधायक का पत्र दिनांक 29–11–79 परगना धिकारी के उपरोक्त जजमेन्ट की फोटोस्टेट कापी सहित प्राप्त हुआ था। जांच से विदित हुआ कि उपरोक्त किये गये पट्टे अनियमित हैं तथा समिति के अभिलेखों में जालसाजी की गई है। गांव सभा भूमि के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची प्रपत्र 57–क तथा जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव पारित हुआ और जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रपत्र 57–ख उपलब्ध नहीं है एवं कार्यवाही रजिस्टर में भी काट-पीट करके आबंटियों के नामों में फेर बदल किया गया है। अतः इसकी प्रविष्टियां भी संदिग्ध है। परगनाधिकारी का उक्त आदेश दिनांक 13–4–73 भी संदिग्ध है क्योंकि मुकदमें की पत्रावली में टाइप शुदा मूल आदेश में भी रबिश की गई है। अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद सरकार बनाम सुनहरी लाल आदि अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन आयोग एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राहत

1—श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री जटा शंकर सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए जो आयोग 10 जुलाई, 1979 को गठित किया गया था

उसने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की समस्त समस्याओं पर विचार न करके केवल राहत के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया है, शेष समस्याओं पर नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

जी हां। सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन निर्धारित होती है। उनमें संशोधन का कोई इरादा नहीं है। महंगाई के संदर्भ में राज्य सरकार पेंशनरों को केवल राहत स्वीकृत करती है। अतः सिर्फ राहत का प्रश्न वेतन आयोग को अब सन्दर्भित किया गया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि त्रिभुवन प्रसाद जी सचिव ने यह कहा था कि पेंशनरों की समस्या समाधान के लिए कार्यवाही की जायेगी, तो जब समस्याओं के समाधान की बात आ गयी थी, तो राहत अकेले कैसे रह गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, राहत देने की बात जो थी,वह कही गयी थी और तमाम पेंशनरों की ओर से सरकार को समय-समय पर कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उसमें उन्होंने दो चीजें मुख्य रूप से उठायी थी एक तो यह कि राजकीय पेंशनरों को राहत भारत सरकार के पेंशनरों को दी जाने वाली राहत के फारमूले के अनुसार स्वीकृत की जाय। दूसरा यह कि राजकीय पेंशनरों की समस्याओं पर उचित रुप से विचार करने के लिए शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते आदि के निर्धारण हेतु गठित वेतन आयोग को उनका मामला भी सौंप दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है, मेरी सूचना को सही मानकर, मेरे पास यह एक आदेश है उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग का संख्या वे0 आ0 1078/दस–43(एस)/79, दिनांक 1 मार्च, 1980, जिसमें श्री त्रिभुवन प्रसाद, वित्त सचिव के स्पष्ट निदेश इस प्रकार के हैं कि राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि शासकीय संख्या वे0 आ0 1345/दस–43(एम)।79, दिनांक 10 जुलाई, 1979 द्वारा गठित वेतन आयोग (राज्य कर्मचारी) जिसके विचारणीय विषय शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0 1837/दस–43(एम)-79, दिनांक 21 जुलाई, 1979 द्वारा विज्ञापित किये गये हैं को राज्य के पेंशनरों की समस्याओं पर भी विचार करके अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करना है। क्या यह सही है ? और दूसरी बात मंत्री जी ने 2–1 पेंशनर संघों का हवाला चाहे, मेरे पास उनकी मांगों के बारे में जो मांग पत्र याचिका समिति के पास गया था, उस पर उस समिति ने भी संस्तुति की थी अतएव समिति यह समझती है कि सीमित संसाधनों के रहते हुय भी शासन इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके इस उचित मांग को स्वीकार करे। तो जब शासन ने एकबार फैसला लिया कि हम उनकी सब समस्याओं पर विचार करेंगे, उसके बाद फिर कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई, जिससे सारी समस्याओं को तिराहित करके उनकी एक बात, मात्र राहत पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

यह प्रश्न बहुत विस्तृत और अस्पष्ट है, इसके लिए जानकारी प्राप्त करके फिर उत्तर देने की आप अनुमति प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

फिर आप इसे स्थगित कर दें। यह मेरी प्रार्थना है कि पेंशनरों के हित में इसको आप स्थागित कर दें और अगली बार इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है स्थगित किया जाता है।

(प्रश्न संख्या–2 के प्रश्नकर्ता श्री हुक्म सिंह का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित रहने पर)।

श्री रियासत हुसैन—

इस पर श्रीमन्, सबकी रूचि, टाइम है, इसे ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

तमाम प्रश्न ऐसे हैं, जिनमें लोगों की दिलचस्पी है। ठीक है इसका मंत्री जी उत्तर दें दे इनकी रुचि इसमें है।

राजस्व परिषद का समाप्त किये जाने पर विचार

**2—श्री हुकम सिंह (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् को भंग करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि, हां तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है और राजस्व परिषद् में लम्बित वादों का निपटारा कराने की क्या योजना है ?

श्री यशपाल सिंह—

प्राक्कलन समिति 1976–77 ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में राजस्व परिषद् को समाप्त करने की संस्तुति की है। इस संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा राजस्व परिषद् की प्रशासनिक शाखा को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वादों का निपटारा राजस्व परिषद् की न्यायिक शाखा द्वारा किया जाता है जिसको समाप्त करने पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह प्रश्न कि प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड का एबालीशन सरकार ने कर दिया है, बहुत दिनों से चल रहा है, 72–73 से चला आ रहा है, इस पर सिफारिशें बराबर आ रही हैं। अखबारों में बार-बार यह आया है, सरकार की तरफ से, तो क्या मंत्री जी इन सारी बातों के बावजूद भी कोई ऐसा स्पष्ट कारण बताने की कृपा करेंगे कि आज तक उसको एबालिश करने में सरकार को क्या कठिनाई रही है, जो सरकार बदलती चली जा रही हैं, लेकिन उसकी पूरी तरह से निराकरण नहीं हो पा रहा है ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यह तो बोर्ड आफ रेंवेन्यू की खुश किस्मती है कि शासन जब-जब निर्णय करने पर आता है, तो शासन ही बदल जाता है। (हंसी) यह शासन 9 जून को गठित हुआ था। अब यह प्रश्न उसके सामने है। यह प्रश्न इतना मामूली नहीं है कि इस पर एक दम निर्णय लिया जाय। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा और इसके लिए हमें समय चाहिए।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री रियासत हुसैन ने पूछा।

अतारांकित प्रश्न

सहकारी ऋणों की वसूली के कथित स्थगन आदेश

1—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे से ग्रस्त राज्य के किन-किन जिलों में सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित की गई है तथा ऐसी शिकायतें शासन के ध्यान में लाई गई हैं कि कई जिलों में बिना सत्यापन के सहकारी ऋणों के वसूली के नोटिस लोगों के पास पहुंचती है और कुछ के पास कुड़की के सम्मन भी पहुंचे हैं ? यदि हां, तो ऐसे बिना सत्यापित ऋणों की वसूली रोकी गई है या नहीं ?

श्री राम नारायण पाठक—

सहकारी ऋण की वसूली किसी जनपद में स्थगित नहीं की गई है परन्तु पिछले वर्ष फसलों को सूखे से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुये सहकारी ऋण की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश राज्य के समस्त जनपदों में भेज दिये गये हैं ।

ऋण वितरण के अभिलेखों के आधार पर ऋणी सदस्यों की मांग सूची बनाई जाती है अतः वसूली के पूर्व सत्यापन नहीं किया जाता है पर सहकारी ऋण की गलत वसूली के विषय में शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है और शिकायत सही पाए जाने पर वसूली रोक दी जाती है ।

प्रदेश में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल

2—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऊसर पड़ी भूमि का कुल क्षेत्रफल 31 मार्च, 1980 को कितना था और उसमें एक सौ एक या उससे अधिक के खंडों का क्षेत्रफल क्या था ?

श्री यशपाल सिंह—

भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आंकड़े, जिसमें ऊसर की भूमि भी सम्मिलित होती है, राजस्व परिषद् में कृषि वर्ष की समाप्ति पर 30 जून के पश्चात् जिलों से प्राप्त होते हैं । अतः 31–3–80 के ऊसर भूमि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रदेश में (पर्वतीय जिलों को छोड़कर) ऊसर एवं अन्य प्रकार की कृषि अयोग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल 8.95 लाख हेक्टेयर था । एक सौ एकड़ या उससे अधिक के ऊसर भूखण्डों के आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं ।

प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल

3—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 1980 को वनों का क्षेत्रफल निम्नांकित वर्गानुसार अलग-अलग क्या था—

(क) वे वन जो नियमित रूप से लगाये जाते व काटे जाते हैं,

(ख) जो वन लगाये नहीं जाते और जिनमें अपने आप पेड़ उग आते हैं और काटे जाते हैं,

(ग) जो वन प्रायः पेड़ रहित हैं और घास व झाड़ियों से ढंके हैं और जिनसे साधारणतया उपयोगी लकड़ी प्राप्त नहीं होती ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश में बन्सों का कुल क्षेत्रफल 51,136 वर्ग कि0 मी0 है जिसमें से 40,849 वर्ग कि0 मी0 वन विभाग के नियंत्रण में है।

क——नियमित रूप से लगाए जाने वाले व काटे जाने वाले वनों का क्षेत्रफल 6,296 वर्ग 0 कि0 मी0 है ।

ख——ऐसे वनों का क्षेत्रफल 25,172 वर्ग कि0 मी0 है ।

ग——इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 9,381 वर्ग कि0 मी0 है ।

प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

4——श्री रामस्वरूप वर्मा——

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सन् 1977–78, 78–79, 79–80 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल गन्ने की पैदावार और चीनी का उत्पादन अलग-अलग कितना रहा ?

श्री यशपाल सिंह——

उत्तर प्रदेश के चीनी मिल सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना उत्पादन एवं चीनी उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है :——

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (लाख टन्स)	चीनी उत्पादन (लाख कुन्तल)
1	2	3	4
1977–78 ..	13.79	680.56	16.23
1978–79 ..	14.69	578.78	146.32
1979–80 ..	12.33	471.11	99.60

(आंकड़े अनन्तिम है)

प्रदेश में सूखा एवं श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गल्ले का आवंटन

5——डाक्टर शिवानन्द नौटियाल——

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये प्रत्येक जिले को दिनांक 1–9–79 से 31–5–80 तक कितनी-कितनी धनराशि की सहायता दी गई है और किन-किन जिलों में काम के बदले अन्न की योजना लागू की गई तथा इस अवधि में कुल कितना गल्ला आवंटित इस योजना में किया गया है ?

श्री यशपाल सिंह——

राजस्व विभाग द्वारा राज्य के जिलों को विभिन्न मदों में 1–9–79 से 31–5–80 तक जो धनराशि आवंटित की गई है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना प्रदेश के समस्त जिलों में चलायी गई और 1–9–79 से 31–5–80 तक उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 5,88,350 मी0 टन खाद्यान्न आवंटित किया गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 394-396 पर)

चकबन्दी विभाग के बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक संचालक, संयुक्त संचालक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की मांग

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक संचालक एवं संयुक्त संचालक चकबन्दी के कितने पद इस समय स्वीकृत हैं तथा इनमें से किस-किस पद पर कितने- कितने विभागीय अधिकारी नियुक्त हैं ? क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहायक संचालक, उप संचालक एवं संयुक्त संचालक के कितने पद कितने वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

चकबंदी विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी 'चकबंदी के 42 पद, सहायक संचालक के 11 पद एवं संयुक्त संचालक के कुल 6 पद स्वीकृत हैं । इनमें से 21 बन्दोबस्त अधिकारी ,चकबंदी के पदों तथा 6 सहायक संचालकों के पदों पर विभागीय अधिकारी नियुक्त हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न समयों पर सहायक /उप /संयुक्त संचालकों के 7 से लेकर 15 पद तक रिक्त रहे । वर्तमान समय में उप संचालक चकबंदी का केवल एक पद रिक्त है ।

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

उन रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय अधिकारियों की इन पदों पर प्रोन्नति द्वारा किन कारणों से नहीं की गयी हैं ? क्या यह सही है कि कई चकबन्दी अधिकारी अपने पद पर पिछले 15 साल से कार्यरत हैं तथा उनकी सेवा स्थायी भी है और उन्हें विभागीय पदों पर प्रोन्नति का अवसर नहीं दिया गया है ? इनको प्रोन्नति कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह—

जो पद रिक्त रहे उन पर पी0 सी0 एस0 संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, इसलिए इन पदों पर विभागीय / अधिकारियों की प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता। चकबंदी विभाग, में कुल 145 स्थायी चकबंदी अधिकारी हैं, जिनकी प्रोन्नति के लिए कुल 57 पद उपलब्ध है जो पूरे संवर्ग का लगभग 40 प्रतिशत होता है। यह सही है कि विभाग में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत कुछ स्थायी चकबंदी अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता है । पदों की उपलब्धता पर ही इनकी पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश से बाहर गोवंश के निर्यात संबंधी राजाज्ञा

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना गोवंश के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी राजाज्ञा जिला अधिकारियों को कब प्रेषित की गई तथा इस आशय का अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रदेश से बाहर गाय, सांड़ या बैल ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी आदेश जिलाअधिकारियों को दिनांक 29–8–79 को निर्गत किये गये हैं । तत्सम्बन्धी अधिनियम दिनांक 29–8–79 से लागू किया गया है ।

डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती में चक्रवात (आंधी) से हुयी क्षति

9—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती में मई 1980 के प्रथम सप्ताह में जो तूफान और आंधी आयी थी उसमें घर गिराई के लिए कुल कितना धन किन-किन ग्रामों में किन-किन लोगों को दिया गया तथा कुल कितना नुकसान इससे हुआ ?

श्री यशपाल सिंह—

तहसील डुमरियागंज में दिनांक 5–5–80 को चक्रवात के कारण 11,45,000 रुपये की अनुमानित क्षति हुई। उक्त तहसील के 145 प्रभावित ग्रामों में सहायता के पात्र 1392 पीड़ित व्यक्तियों को जिनका विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में रखी तालिका में देखा जा सकता है, कुल 1,23,500 रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

श्री जवाहर लाल, लेखपाल, जिला हरदोई को लेखपाल प्रशिक्षण से छूट दिये जाने की मांग

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के अस्थायी लेखपाल श्री रघुवीर सिंह तथा सुरेन्द्र कुमार को लेखपाल की ट्रेनिंग से छूट दे दी गयी है ? यदि हां, तो इनको ट्रेनिंग से छूट देने के क्या-क्या आधार है ? क्या सरकार बतायेगी कि इनसे ज्येष्ठ श्री जवाहर लाल लेखपाल, तहसील संडीला, जिला हरदोई को ट्रेनिंग से छूट क्यों नहीं दी गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जनपद सहारनपुर में प्रशिक्षित लेखपाल अभ्यर्थियों के अभाव में सर्वश्री रघुबीर सिंह व सुरेन्द्र कुमार को, जो चकबन्दी के प्रशिक्षित लेखपाल थे, रेगुलर लेखपाल के पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर लिया गया था। चकबन्दी तथा रेगुलर लेखपाल के पदों पर क्रमश: 11 व 17 वर्ष संतोषजनक कार्य करने के कारण उन्हें लेखपाल प्रशिक्षण की शर्त से मुक्त किया गया था।

श्री जवाहर लाल, अस्थायी लेखपाल, तहसील संडीला, जिला हरदोई चकबन्दी के छटनी शुदा प्रशिक्षित लेखपाल नहीं हैं। उन्होंने चकबन्दी विभाग में सेवाओं का प्रमाण-पत्र नहीं दिया। रेगुलर लेखपाल के पद पर यह 29–12–69 से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। अत: यह सर्वश्री रघुबीर सिंह व सुरेन्द्र कुमार से ज्येष्ठ नहीं हैं। अप्रशिक्षित एवं अस्थायी लेखपालों की सेवा विनियमित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि ऐसे अप्रशिक्षित लेखपाल जो चकबन्दी तथा राजस्व विभाग में 30–4–80 को अस्थायी रूप से 3 वर्ष अथवा अधिक सेवा कर चुके हैं, उन्हें लेखपाल प्रशिक्षण में न भेजकर उनके लिये विशेष लेखपाल परीक्षा सम्पादित की जाय। तदनुसार जवाहर लाल विशेष लेखपाल परीक्षा के अभ्यर्थियों की सूची में रख लिये गये हैं।

फैजाबाद जिले के ग्राम मेवापुर महुआ, डोली सरैया आदि में अग्निकांड

11—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खंड अमानीगंज (खंडासा) मिल्कीपुर में, ग्राम मेवापुर महुआ, डीली सरैया, पिठिका, धनैचाल पूर नवाज, गड़ोली, ग्वडी और जोरियम में इस वर्ष आग लगने से कितने की क्षति हुई है और उनको अहेतुक सहायता के अतिरिक्त गृह अनुदान या अन्य मद की कितनी सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

विकास खंड अमानीगंज (खण्डासा) मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम मेवापुर, महुआ, डीली सरैया , पिडला, धनैचा, पूरे नेवाज गडौली, खण्डासा और जोरियम में इस वर्ष आग लगने से क्रमश: 1,28,300 रु0 , 5,07,120 रु0, 18,343 रु0, 39,586 रु0 , 8,500 रु0 , 30,795 रु0 , 13,000 रु0 तथा 2,14,600 रु0 कुल मिलाकर 9,60,244 रुपए की क्षति हुई है।

उपर्युक्त ग्रामों में ग्राम डीली सरैया तथा खण्डासा की अग्निकांडों से प्रभावित कोई व्यक्ति सहायता का पात्र नहीं पाया गया । शेष ग्रामों में प्रभावित व्यक्तियों को निम्न-लिखित धनराशि अहेतुक सहायता एवं गृह अनुदान के रूप में वितरित की गई :—

नाम ग्राम	अहेतुक सहायता	गृह अनुदान
1	2	3
	रु 0	रु0
मेवापुर	2,300	..
महुआ	5,100	9,200
पिठला	..	1,450
धनैचा	300	..
गड़ौली	2,200	4,400
जोरियम	4,600	5,100
योग ..	14,500	20,150

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर पिछले सीजन तक गन्ना काश्तकारों द्वारा गन्ना आपूर्ति का कितना धन बकाया है ? उसको अदा कराने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है तथा क्या सरकार प्रत्येक मिल की अलग-अलग सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों द्वारा गन्ना आपूर्ति का दिनांक 15–7–1980 तक कुल 997.53 लाख रुपया बकाया है जिसमें से सीजन 1979–80 को 213.83 लाख रुपया तथा सीजन 1979–80 से पूर्व वर्षों का 783.70 लाख रुपया है।

उक्त अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा जिला स्तर पर मीटिंग बुलाकर भुगतान करने के लिए जोर दिया गया है।

गन्ना मूल्य अवशेष की मिलवार सूची† संलग्न है ।

†छापी नहीं गयी ।

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3 रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना विकास विभाग के जिला गन्ना अधिकारी का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में वर्तमान समय में कितने जिला गन्ना अधिकारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित है तथा कितने को जिन्हें गन्ना सेवा क्लास–2 के पदों पर स्थाई हो जाना चाहिये और अभी नहीं हो पाये हैं उनके स्थायीकरण में विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री यशपाल सिंह—

वर्तमान समय में 19 जिला गन्ना अधिकारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित है। इसमें से स्थायीं किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या तभी स्पष्ट होगी जब प्रोन्नति कोटा के पदों पर नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित प्रस्ताव पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली जायगी ।

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों की अभिलेख क्रियायें

15—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि 7 फरवरी, 1980 को तहसील बांसगांव के 27 एवं सदर के 48 ग्रामों जिसमें अभिलेख प्रक्रियायें चल रही हैं, गोरखपुर के जिलाधिकारी द्वारा उक्त ग्रामों में भी चकबन्दी कराने के लिये चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखा है? यदि हां, तो उन गावों में चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के 16 ग्राम न कि 27 ग्राम एवं सदर तहसील के 48 ग्राम जिनमें अभिलेख क्रियायें चल रही हैं, को इन क्रियाओं से बाहर कराकर चकबन्दी योजना में लिये जाने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर ने राजस्व परिषद् एवं चकबन्दी आयुक्त को लिखा था । उक्त गांवों में चकबन्दी कराने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

गन्ना विकास विभाग के लिपिकों का आनरेरिया, बोनस एवं एक्सग्रेसिया का भुगतान

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास विभाग जिला स्तर पर कार्यरत राजकीय लिपिकों को आनरेरिया, बोनस तथा एक्स ग्रेसिया दिये जाने की सुविधा प्रदान करेगी?

श्री यशपाल सिंह—

गन्ना विकास विभाग के जिला स्तर पर कार्यरत राजकीय लिपिकों को आनरेरिया दिये जाने की सुविधा पूर्व से ही विद्यमान है । बोनस तथा एक्स ग्रेसिया देने का कोई नियम नहीं है ।

गोरखपुर जिले की पर्यटक आवास गृह योजना

17—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में पर्यटकों की सुविधा के लिये कोई पर्यटक आवास गृह का निर्माण करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो वह पर्यटक आवासगृह तब तक निर्मित कर लिया जायेगा तथा इस पर कुल कितनी धनराशि सरकार खर्च करेगी? यदि नहीं, तो पर्यटकों की सुविधा हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्याभूषण--
जी हां। गोरखपुर में 11.98 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 50 शैय्याओं के एक पर्यटक आवासगृह के निर्माण की योजना है। इसके लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है। निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध हो जाने पर प्रारम्भ हो सकेगा

बस्ती जिले की साधन सहकारी समितियों एवं कृषक सेवा सहकारी समितियों के सचिवों का कार्यकाल

18--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड डुमरियागंज एवं मनवापुर में कुल कितनी साधन सहकारी समितियां तथा कृषि सेवा समितियां कार्यरत हैं? उनमें कौन-कौन से सचिव कितने वर्षों से कार्यरत हैं? क्या सरकार इनकी सूची समितिवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राम नारायण पाठक--
बस्ती जनपद के विकास खण्ड डुमरियागंज में तीन साधन सहकारी समितियां तथा दो कृषक सेवा सहकारी समितियां हैं तथा विकास खण्ड भनवापुर में केवल 14 साधन सहकारी समितियां कार्यरत हैं।' समितिवार सचिवों के नाम एवं उनके कार्य अवधि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख आगे पृष्ठ 397-398 पर)

गोरखपुर जिले के अरण्यपाल के आवास गृह के मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

19--श्री अकबर हुसैन तथा श्री सन्तबक्स रावत--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित अरण्यपाल आवास में जुलाई, 1979 से जून, 1980 तक कितना रुपया मरम्मत में खर्च हुआ? क्या यह रकम बजट में स्वीकृत थी? यदि नहीं, तो कैसे खर्च की गयी?

श्री विद्या भूषण--
गोरखपुर स्थित अरण्यपाल, आवास में जुलाई, 1979 से जून, 1980 तक रु0 6,957.70 मरम्मत में खर्च हुआ है यह धनराशि बजट में स्वीकृत थी।

गोरखपुर जिले के वन विभाग के निरीक्षण गृह के बिजली का बिल

20--श्री अकबर हुसैन तथा श्री सन्त बक्स रावत--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित अरण्यपाल निरीक्षण भवन में जुलाई, 1979 से जून, 1980 तक कितने रुपये का विद्युत बिल भुगतान किया और इस बीच में उसमें कौन-कौन लोग कब से कब तक रहे?

श्री विद्या भूषण--
गोरखपुर स्थित अरण्यपाल, आवास के विभागीय अधिकारियों के प्रयोगार्थ निर्धारित निरीक्षण कक्ष में, जुलाई 1979 से मई 1980 तक रु 1932.50 के विद्युत बिल का भुगतान किया गया (जून 1980 का विद्युत बिल अभी विद्युत विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है) इस बीच में इसमें जो-जो लोग जिस अवधि तक रहे उनका विवरण निम्न प्रकार है:--

नाम	रहने की अवधि
1--श्री बी0 के0 पी0 सिन्हा, उप अरण्यपाल, दक्षिणी गोरखपुर।	1-7-1979 से 21-10-79तक

नाम	रहने की अवधि
2—श्री पी0 सी0 चटर्जी, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नि0)	1-4-80 से 4-4-80 तक।
3—श्री आर0 एस0 सिंह, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, लखनऊ।	18-5-80 से 20-5-80 तक
4—श्री डी0 एन0 लोहनी, अरण्यपाल, अनुसंधान एवं विकास वृत्त,	21-6-80 से 23-6-80 तक
5—श्री आर0 एस0 सिंह, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।	30-6-80 से 2-7-80 तक

गोंडा जिले के पस्का सूकर क्षेत्र में पर्यटन स्थल योजना की मांग

21—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री दीप नारायन वन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जिले में पस्का सूकर क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी कब तक सम्पादित होने की आशा है?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं। उक्त क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से कुछ समय पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। परन्तु वहां पर आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण पर्यटन विभाग द्वारा कोई योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर मंडल में गन्ने की पेड़ी पर यूरिया खाद छिड़काव में भ्रष्टाचार की जांच

22—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 में गोरखपुर रेंज किन-किन जनपदों में गन्ने की पेड़ी पर यूरिया खाद का छिड़काव किया गया और उसमें अब तक कुल कितने रुपए खर्च किये गये हैं तथा उससे लाभ का औसत क्या है?

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1978-79 व 1979-80 में गोरखपुर रेंज के जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, पड़रौना, वाराणसी, आजमगढ़ एवं बलिया में पेड़ी पर यूरिया खाद का छिड़काव किया गया। उक्त कार्य पर वर्ष 1978-79 में लगभग रु0 12.67 लाख तथा वर्ष 1979-80 में लगभग 8.61 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसमें परिषद्,गन्ना कृषक, चीनी मिल एवं शासन के अनुदान सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम द्वारा पेड़ी गन्ने की औसत उपज में 5 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है।

23—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1978-79, वर्ष 1979-80 में पेड़ी गन्ने पर यूरिया खाद के छिड़काव में की गयी धांधली की जांच इन्हीं सूत्रों से हुई है? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और आरोप क्या थे तथा उनके विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह---

जी हां । अब तक के जांच परिणामों पर उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध अंकित विवरण के अनुसार कार्यवाही की गयी है:--

वर्ष 1978-79 में मुरादाबाद जनपद के बिलारी परिक्षेत्र में पेड़ी फसल पर यूरिया छिड़काव की विभागीय अधिकारियों की जाचोंपरान्त एक गन्ना विकास निरीक्षक तथा दो सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षकों को लेबर क़ो अनियमित रूप से भुगतान करने हेतु आरोपित किया गया । इनके विरुद्ध प्रारम्भ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है ।

वर्ष 1978-79 में देवरिया जनपद के वैतालपुर परिक्षेत्र में पेड़ी गन्ने पर यूरिया खाद के छिड़काव में अनियमिततायें प्रकाश में आयी जांचोपरान्त एक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, एक गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) तथा एक सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है । इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चालू है । इनके विरुद्ध भी अनियमित रूप से भुगतान करने का आरोप था ।

वर्ष 1979-80 में लखीमपुर जनपद के गोला परिक्षेत्र में पेड़ी फसल पर यूरिया खाद के छिड़काव में अनियमिततायें बरतने हेतु एक सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक को गन्ना आयुक्त द्वारा निलम्बित कर दिया गया है, तथा एक गन्ना विकास निरीक्षक की चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टि अंकित की गयी है ।

पौड़ी के कार्यालयों का कथित स्थानान्तरण

24--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1980 और 30 जून, 1980 के बीच गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी के कितने मण्डलीय कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये हैं वे कौन-कौन कार्यालय थे, उनके स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण थे तथा उन्हें पुन: मण्डलीय मुख्यालय में लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री यशपाल सिंह--

शासन को अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार कोई मण्डलीय कार्यालय पौड़ी से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

जरवल रोड चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

25-- श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल जरवल रोड, बहराइच पर कितना पुराना गन्ना मूल्य, ब्याज, समिति का कमीशन बाकी है, वर्षवार बताने की कृपा करें? चूंकि उपरोक्त मिल चीनी निगम में निहित हो चुकी है, निगम ने इसका भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया ?

श्री यशपाल सिंह---

बहराइच जनपद की जरवल रोड चीनी मिल पर गन्ना मूल्य, ब्याज एवं कमीशन का दिनांक 30-6-1980 तक कुल धनराशि 81.64 लाख रुपया बकाया है । गन्ना मूल्य तथा कमीशन की अवशेष धनराशि (लाख रुपयों में) वर्षवार निम्नलिखित है:--

वर्ष	गन्ना मूल्य	कमीशन
1974-75 से पूर्व	14.48	8.83
1974-75	1.50	0.68
1975-76	0.05	0.21

1				2	3
1976–77	..	..	..	..	..
1977–78	..	..	..	..	0.23
1978–79	..	..	..	0.90	0.19
1979–80	..	..	..	..	..
			योग	16.93	10.14

इसके अतिरिक्त गन्ना मूल्य तथा कमीशन पर ब्याज की बकाया धनराशि 54.57 लाख रुपया है। यह मिल राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत मई, 1979 में कब्जे में आयी थी। उक्त मिल पर बकाये की धनराशि निगम के कब्जे के पूर्व की है जिसके भुगतान की जिम्मेदारी के संबंध में विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा रहा है।

26––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गन्ना विकास परिषदों का चुनाव

27––श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय––

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषदों का चुनाव कब सम्पन्न हुआ? और उसका कार्य-संचालन कब से प्रारम्भ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह––

प्रदेश की 89 गन्ना विकास परिषदों में से 16 गन्ना विकास परिषदों के चुनाव दिसम्बर, 1979 से जून, 1980 के मध्य विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुए। इन 16 परिषदों में से 12 परिषदों का गठन दिनांक 3–7–80 को, 2 का गठन दिनांक 19–7–80 तथा 2 परिषदों का गठन दिनांक 6–8–80 को हुआ। गठन की तिथि से उक्त परिषदों का कार्य संचालन प्रारम्भ है। शेष 73 परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्न प्रकार की जा रही है:––

(1) 3 परिषदों के चुनाव की तिथियां निर्धारित हैं।

(2) 2 परिषदों की प्रबन्ध कमेटी गठित होनी है।

(3) 4 परिषदों के चुनाव विवादग्रस्त हैं।

(4) 64 परिषदों के चुनाव कराने के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

फैजाबाद जिले में विश्व बैंक-मत्स्य परियोजना

28––श्री सीताराम निषाद––

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की मत्स्य परियोजना, बीकापुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद में प्रारम्भ होगी? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा और उसके लिए कौन सा स्थल चयन किया गया है?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

विश्व बैंक की मत्स्य परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 17 पूर्वी जनपद हैं जिनमें न केवल बीकापुर विधान सभा क्षेत्र वरन् सम्पूर्ण फैजाबाद जनपद सम्मिलित है।

इस परियोजना के उद्देश्यों में ग्राम सभा के तालाबों को लम्बी अवधि पर पट्टे दिलवाना, तालाबों के सुधार हेतु बैंकों से ऋण व अनुदान की व्यवस्था करना, मत्स्य पालन कार्य प्रारम्भ करने हेतु इनपुट्स के मद में ऋण व अनुदान की व्यवस्था करना, मत्स्य पालकों को आधुनिक प्रशिक्षण आदि है ।

स्थल चयन हेतु समस्त परियोजना क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है ।

भूतपूर्व सदस्य श्री मोहन सिंह मेहता के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, 9 अगस्त, 1980 को श्री मोहन सिंह मेहता जी, जो हमारे विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, का निधन हो गया । स्वर्गीय मोहन सिंह मेहता जी का जन्म पर्वतों के पार अल्मोड़ा में और इस शताब्दी के उस पार 1894 में हुआ था । जन्म भले ही शताब्दी के उस पार हुआ हो, भले ही उनका जन्म पहाड़ों में हुआ हो, लेकिन उनका पूरा जीवन इस पूरे देश के इतिहास को बदलने में, इस शताब्दी के चित्र को बदलने में लगा और आजादी की लड़ाई में वे सन् 1941 में 6 महीने के लिये जेल गये, और 1942 में भी गिरफ्तार हुए । यही नहीं जब इनकी 20 वर्ष की अवस्था थी तो होमरूल में काम किया और जनता का विश्वास प्राप्त करके 3 बार इस विधान सभा में चुन कर आये । उनके जाने से प्रदेश ने एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता खो दिया है । शहीदों की याद और स्मृति औरउ नके प्रति आदर ही किसी भी देश की राष्ट्रीयता का मेरुदंड होता है और इसी भाव से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से उनके शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय मोहन सिंह मेहता के प्रति जो संवेदना के भाव प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

जैसा कि नेता सदन ने कहा स्वर्गीय मेहता जी का जन्म अलमोड़ा में, पहाड़ों में हुआ था, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा में अपना जीवन लगाया । वे वर्ष 1957 और 1962 में इस माननीय सदन के सदस्य चुन कर आये और उनका कन्ट्रीब्यूशन यहां पर भी बड़ाही सराहनीय रहा । उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में, आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेलों की यात्रा की । मैं अपने को और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय मोहन सिंह जी मेहता के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हुआ कहना चाहता हूं कि पहाड़ में पैदा होने के बाद, वहां की गरीबी और जनजीवन से वह इतना प्रभावित थे, इस सदन में तीन बार जब वह चुन कर आये थे हमेशा उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सरकार के माध्यम से हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें, तो उनका सौभाग्य होगा । आजादी की लड़ाई उसके बाद भी उनकी सेवाएं इस प्रदेश को मिलती रही । हमेशा उन्होंने जन कल्याण योजनाओं के लिए अपनी आवाज उठायी । सदन में जब-जब इस किस्म की चीजें उठीं, हमेशा उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की और हमेशा कहते रहे कि इस प्रदेश के गरीबों, खेतिहर मजदूरों किसानों में, पहाड़ में रहने वाले जो लोग गरीबों से प्रस्त हैं जब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तब तक यह देश प्रगति नहीं कर सकता । ऐसे व्यक्ति के निधन से सारे सदन को

दुःख हुआ है । हमारा दल भी दुखित है । हम आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार तक अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं, कृपया आप पहुंचा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अभी स्वर्गीय मोहन सिंह जी के सम्बन्ध में जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) द्वारा व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । यह बात बिल्कुल सही है- कि स्वर्गीय मोहन सिंह मेहता अपने क्षेत्र में ही नहीं, सम्पूर्ण प्रदेश में अपनी सेवाओं के लिए जनप्रिय रहे । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभायी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान किया, वह याद रहेगा । हमारे बीच में उनके न रहने से जो रिक्ति हुई है उस रिक्ति की पूर्ति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और उनके प्रति अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल---

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने स्वर्गीय मेहता जी के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं, स्वर्गीय मेहता जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं । हमारे और हमारे दल के विचार उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, स्वर्गीय मोहन सिंह मेहता के निधन पर नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को और अपनी जनता पार्टी को उससे सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक आप मेरी और मेरे दल की तरफ से समवेदना भेजने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल और विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वर्गीय मेहता जी के निधन के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय मेहता जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस सदन के तीन बार सदस्य रहे । सदस्य होने के नाते उन्होंने इस प्रदेश को उठाने में काफी काम किया है । आज वह हमारे बीच नहीं है । मुझे बहुत दुख है । मैं अपनी और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की समवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, स्वर्गीय मोहन सिंह जी के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे श्रद्धा के पुष्प पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेतागण ने जो स्वर्गीय मोहन सिंह मेहता के सम्बन्ध में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं अपने को उससे हृदय से सम्बद्ध करता हूं । माननीय मोहन सिंह जी मेहता ने सन् 1916 से अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया । उन्होंने स्थानीय, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं की अगुआयी की और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वे जेल गये, जुर्माना भी दिया तथा

[श्री अध्यक्ष—]

तरह-तरह के कष्ट भोगे । इसके बाद सन् 1957 में वे इस माननीय सदन के सदस्य चुन कर आये और सन् 1967 तक इसके सदस्य रहे और यहां पर भी उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का सुचारु रूप से पालन किया । माननीय मोहन सिंह जी एक बड़े जागरूक और निर्भीक सदस्य के रूप में इस सदन में माने जाते थे । मैं अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं तथा आप सबके द्वारा जो समवेदना के शब्द व्यक्त किये गये हैं उनसे अपने को भी सम्बद्ध करता हूं और आपकी भावनाओं को उनके संबंधियों को भिजवा दूंगा ।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील से नेपाल को सीमेन्ट की तस्करी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(2 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 की 18 सूचनायें आज़ प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने केवल 5 को स्वीकार किया है ।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं अपना कागज ढूंढ़ रहा हूं, मुझे बाद में अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । श्री माता प्रसाद पाण्डेय ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन तथा सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत हजारों हजार बोरी सिमेंट फर्जी परमिटों के आधार पर तस्करों के हाथ में पहुंच कर नेपाल में तथा उस क्षेत्र के लोगों में अधिक धन लेकर बेचा जा रहा है । एस0 डी0 एम0 तथा तहसीलदार ने तमाम ऐसे परमिटें जारी किये हैं जिसमें उस नाम का व्यक्ति उस ग्राम में नहीं रहता है । पिछले महीने तहसील के दो परिवारों को डेढ़ हजार की स्पेशल परमिट परगना अधिकारी डुमरियागंज ने उनके परिवार के भाई भतीजा पिता के नाम जारी किये हैं । ग्राम पटना में एक ही परिवार को इन्होंने 220 बोरी के परमिट उसके प्रत्येक परिवार के नाम से विशेष रूप से जारी की हैं । जब कि साधारण जरूरत मंद लोगों को उनके आवेदन पत्र के जांच के बावजूद भी बरसों से एक बोरी सीमेन्ट नहीं दी गयी । इस घटना की जानकारी जब ए0 डी0 एम0 महोदय को करायी गयी तब उन्होंने अभी पिछले सप्ताह जांच किया और इस फर्जी परमिट जारी करने को सही पाया परन्तु यह तस्कर व्यापारी अधिकारियों के ऊपर राजनैतिक दबाव डाल कर मामले को रफा-दफा कर देना चाहते हैं । जिसका परिणाम है कि आज तक कोई मुकदमा दूकानदार तथा फर्जी परमिट जारी करने वाले के नाम नहीं दर्ज कराया गया । इस समस्या को लेकर वहां के किसानों ने एक बार तहसील पर विशाल प्रदर्शन भी किया । फर्जी परमिट से लाखों रुपयों का घोटाला किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस फर्जी सीमेन्ट परमिट जारी होने से हजारों बोरी सीमेन्ट सीमा के रास्ते नेपाल में चले जाने से तथा चोर बाजारियों, तस्करों द्वारा खुले बाजार में 65 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से सीमेन्ट बेचने से जनता में इनके प्रति तथा वहां के अधिकारियों के प्रति घोर असंतोष व्याप्त है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब विस्फोटक रूप ले ले। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तत्काल कानूनी कार्यवाही करके दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाये।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त कुप्रबन्ध से छात्रों में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, आपकी अनुमति से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त अव्यवस्था एवं कुप्रबन्ध के कारण परीक्षार्थियों के सामने भीषण संकट व्याप्त है। मान्यवर, वर्ष 1980 की परीक्षाओं में प्रविष्ट लाख से अधिक परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है। पूरक परीक्षाओं की तिथियां अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी हैं। अधिकांश केन्द्रों पर अभी तक मार्कशीट नहीं पहुंचीं और जो पहुंची हैं वह अपूर्ण भी हैं। उदाहरण के लिए अभी सीतापुर जिले के मात्र 6 केन्द्रों पर मार्कशीट पहुंच सकी है। यह भी शिकायतें हैं कि मार्कशीट में अंक अंकित करते समय जो विषय परीक्षार्थियों ने नहीं लिया उसके अंक चढ़ गये हैं। एक ही विषय के प्रश्न पत्रों के हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठों में मेजर भेद देखा गया है।

इस वर्ष बोर्ड ने घोषणा की थी कि 14 अगस्त फार्म भरने की अंतिम तिथि है। 31 अगस्त के बाद किसी भी दशा में फार्म नहीं लिये जायेंगे और आदेशों की अवहेलना पर 20 रुपया प्रति दिन प्रति छात्र प्रधानाचार्य को दण्ड दिया जायेगा। परन्तु मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्रों पर फार्म पहुंचना तो दूर की बात अभी फार्म छपे भी नहीं हैं।

इससे बोर्ड के प्रति जनता में घोर असन्तोष है। प्रदेश के शिक्षा निदेशक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा अधिनियम में सरकार को बोर्ड पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार है। अतएव सरकार के प्रति भी असन्तोष है।

अतएव शासन से अपेक्षा है कि बोर्ड की अव्यवस्था एवं व्याप्त कुप्रबन्ध को समाप्त करने हेतु उचित तथा प्रभावी कदम उठाया जाय जिससे कि छात्रों का कल्याण हो सके।

मेरठ के एक सैनिक अधिकारी, मेजर आर0एन0 शर्मा के यहां पड़ी डकैती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द——

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन और सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 8 जुलाई को सुबह मेरठ में एक सैनिक अधिकारी मेजर आर0 एन0 शर्मा के यहां एक भारी डकैती पड़ी जिसमें घर के सारे सामान के साथ-साथ कुछ सैनिक महत्व के कागजात भी चुरा लिये गये हैं। घटना की नामजद रिपोर्ट के बावजूद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही इसलिए नहीं हो पायी क्योंकि बदमाशों का साथ स्थानीय राजनीतिक नेता, प्रभावशाली लोग दे रहे हैं। इतना ही नहीं सी0 ओ0, मेरठ का स्थानान्तरण इसलिए कर दिया है क्योंकि वह अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही रोकने को तैयार नहीं हुए। चुराये गये माल में सैनिक महत्व के ऐसे कागजात तथा सामान हैं जो शत्रु देश के हाथों पड़ने पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोबिन्द]

सुरक्षा के लिये हानिकारक हो सकता है। सैनिक अधिकारियों में भारी रोष फैला हुआ है क्योंकि बार-बार निवेदन के बावजूद स्थानीय पुलिस स्थानीय नेताओं के प्रभाव में कुछ भी कायवाही नहीं करना चाहती इससे सैनिक तथा पुलिस अधिकारियों में तनाव हो गया है। प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः शासन को सदन में इस पर एक विस्तृत वक्तव्य देने की निर्देश दिया जाय।

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष——

नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कृपया बैठें।

थाना जैतीपुर के गढ़ियारंगी बाजार स्थित जिला परिषदीय कम्पाउन्ड की दीवाल गिरने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह——

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान निम्न दर्दनाक घटना का लोक महत्व के प्रश्न की ओर नियम 301 के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं:——

दिनांक 22–8–80 को ग्राम गढ़िया रंगी, थाना जैतीपुर में जिला परिषदीय कम्पौंड जो गढ़ियारंगी बाजार में स्थित है, की दीवार बाजार लगने के समय गिर गयी जिसके गिरने से 7 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा काफी लोग घायल भी हुए हैं। यह सभी लोग अत्यन्त गरीब घरानों के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के थे। यह कम्पौंड जिला परिषद् का था इस लिए सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इन मृतक परिवार जनों को जो बेसहारा हो गये हैं कम से कम 5–5 हजार रुपया प्रति परिवार अहेतुक सहायता दिलायी जावे ताकि यह परिवार अपना गुजारा कर सके तथा बरती गयी लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दण्डित किया जाव।

कानपुर जनपद में बाढ़ से ककवन तथा रसूलाबाद ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जल भराव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोती लाल देहलवी——

मान्यवर, कानपुर जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी, पाण्डव नदी व ईसन नदी और रिन्द नदी की भीषण एवं अभूतपूर्व बाढ़ के कारण ब्लाक ककवन के लगभग 60 गांवों में व ब्लाक रसूलाबाद के लगभग 50 गांवों में तथा ब्लाक बिल्हौर के लगभग 15 गांवों में पानी भर गया है। चूंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को उपरोक्त नदियां चारों ओर से घेरे हैं, इसलिए सैकड़ों गांव अभूतपूर्व संकट में घिरे हुए हैं। भारी वर्षा व नदियों की बाढ़ व नहरों की कटान के कारण सड़कें कई स्थानों पर कट गयी हैं, जिससे आने जाने का साधन नहीं रह गया है और लोग बेघर व बेसहारा बने हुए हैं। यह दुखद स्थिति है कि कानपुर के संबंधित अधिकारियों का ध्यान कई बार इस ओर दिलाने के बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और जरूरत के अनुसार पीड़ित किसानों की अपेक्षित सहायता नहीं की जा सकी है।

उपरोक्त बाढ़ की स्थिति सड़कों पर उचित स्थान पर पुलियों के न बनाने के कारण भी पैदा हुई है।

अस्तु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए सरकार से अपेक्षा है कि सरकार मुसीबत में फंसे हुए लोगों को तुरन्त जरूरत के अनुसार सहायता करें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग अपने-अपने सर्वेक्षण द्वारा ऐसा विकल्प दें ताकि भविष्य में ऐसी हालत न पैदा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का स्थगन

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष जी, आज उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए दिन निश्चित था। मेरा आपसे इस सम्बन्ध में अनुरोध है और यह प्रस्ताव है कि यह चुनाव आज न कराकर 4 तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय, तो कृपा होगी।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

मुझे आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा और माननीय नेता सदन ने उसे स्वीकार कर लिया, ऐसी स्थिति में जैसा कि प्रस्तावित हुआ है, चुनाव अब 4 तारीख को होगा दूसरी बात इस मामले में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नामांकन हो चुका है, वह वही रहेगा, मात्र चुनाव 4 तारीख को होंगे और एक निवेदन मैं अपनी ओर से करना चाहता हूं कि भविष्य में कृपया अब ऐसी स्थिति न लावें, ताकि फिर चुनाव स्थगित न करना पड़ें।

विधान सभा सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की सूचना में संशोधन की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री हरी सिंह, जुडीशियल मजिस्ट्रेट, फस्ट क्लास, मेरठ ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 27-8-80 जो इस सचिवालय में 28-8-80 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री नरेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 को दिनांक 6-8-1980 को दो मामलों में रिमांड किया गया, जिसमें से दूसरा मामला अपराध संख्या 214, भा0 द0 वि0 की धारा 117/147/148/149/151/152/153/353/332 और क्रिमिनल ला एमेंडमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत था। उक्त मजिस्ट्रेट ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18-8-80 द्वारा जो सूचना भेजी थी उसमें क्रिमिनल ला एमेंडमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 का उल्लेख गलती से रह गया था जिसके लिये उन्होंने खेद प्रकट किया है। यह सूचना बुलेटिन 10 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

स्वायत्त शासन मंत्री, श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

श्री राम आसरे वर्मा ने 19 अगस्त, 1980 को माननीय श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य की शिकायत है कि 7 अगस्त, 1980 की कार्यसूची की नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने गलत बयानी की थी और सदन में यह गलत बयानी करवाने में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साजिश थी। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी। मैंने दिनांक 19 अगस्त, 1980 की सम्बन्धित कार्यवाही तथा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से प्राप्त जानकारी को देखा है। जो जानकारी दी है उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की और न जो सूचना उन्होंने दी थी वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थी। माननीय सदस्य ने ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि माननीय मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत बयानी की है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सदन में कोई गलत सूचना दिलवाने की कोई साजिश की है। ऐसी दशा में इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस——

माननीय, 11 जुलाई, 1980 को हमारे लोक दल के सदस्य श्री मेंहदी हसन असगर साहब को मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार किया उनके साथ पांच सात सौ सत्याग्रही थे उनको सिटी मैजिस्ट्रेट, एक डी0 बाई0 एस0 पी0 तथा कोतवाल की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। सिटी मैजिस्ट्रेट का कहना था कि आप बागपत काण्ड को विधान सभा में उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष——

आप बैठें निर्णय सुनाने के बाद आप फिर क्या चाहते हैं?

दिनांक 28 अगस्त, 1980 के प्रश्न संख्या 12 (नत्थी "क") के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह——

माननीय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। कृपया सुन लें। माननीय, संविधान के अनुसार इस पूरे प्रदेश पर इस विधि मण्डल का अधिकार है। इस विधि मण्डल पर मंत्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व है वह उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद् अपनी नीति की घोषणा वर्ष में एक बार करती है और वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से भाषित होता है। इस वर्ष महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा उसके पृष्ठ 3 के पैरा (5) में आप देखें——बीस सूत्रीय कार्यक्रम हमारे समाज के आर्थिक ढांचे की आधार शिला है। यह शासन की घोषित नीति है। शासन में बैठे हुए लोगों का मंत्रिपरिषद् में बैठे हुए लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि वह इस नीति की घोषणा को स्वीकार करें। यदि नहीं करते हैं तो उनको मंत्रिपरिषद् में बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का तीसरा कार्यक्रम है, भूमिहीनों को मकान बनाने के लिये जमीन की व्यवस्था और कब्जा दिलाना।

यह इनके 20 सूत्री कार्यक्रम का तीहरा सूत्र है। माननीय, कल का आप देखें प्रश्नोत्तर जो इस सदन में माननीय सदस्य श्री मित्र सेन यादव ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को जानकारी है कि आलमबाग, लखनऊ क्षेत्र में अम्बेदकर नगर में विशेश्वर नगर के पास हरिजनों के बने हुए कच्चे मकान पानी के भराव के कारण डूब रहे है? यदि हां, तो इन कच्चे मकानों को पानी से डूबने से बचाने का प्रबन्ध सरकार अविलम्ब करेगी? इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि जो मकान बने हैं वे बिना नक्शे पास किये बने हैं अनधिकृत बने है। बहुत से ऐसें है, जिसकी वह जमीन भी नहीं है। नगरपालिका नेचुरल कैलेमिटीज में जो मदद कर सकती हैं उसके आदेश हो गये है यह शासन की घोषित नीति के विरुद्ध है। स्वायत्त शासन मंत्री जी अपनी नीतियां संचालित करना चाहते हैं। यह संजय गांधी, इन्दिरा गांधी के विरूद्ध होना चाहते हैं इसलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को निकाल बाहर करे जो सामूहिक उत्तरदायित्व का इस तरह से उल्लंघन करता है।

श्री अध्यक्ष——

मैंने आप के प्रश्न पर विचार किया और कार्यवाही को भी देखा। उसके देखने के आधार पर कोई विषय तो यह है नहीं कि जिस पर औचित्य का प्रश्न उठाया जाता। नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य के प्रश्न को उठाने की सूचना श्री मोहन सिंह ने दी। माननीय सदस्य का कहना है कि 28–8–80 को प्रश्नोत्तर काल में न थी (क) के प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह बताया कि आलमबाग लखनऊ स्थित अम्बेदकर नगर में बसे हरिजनों के मकान अनाधिकृत है। इसलिए उनके वर्षा के कारण गिरे मकान की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही हो सकती। माननीय सदस्य का कहना है कि यह कथन शासकीय नीतियों के प्रतिकूल है। अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने उक्त कथन करके सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की अवज्ञा की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 28 अगस्त, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 12 (नत्थी 'क') के 337
संबंध में औचित्य का प्रश्न

मैंने 28-8-1980 की कार्यवाही के संबंधित अंश को देखा, उसमें माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह कहीं नहीं कहा है कि हरिजनों के वर्षा के कारण गिरे मकानों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त नियम 300 के अन्तर्गत कोई प्रश्न उसी विषय के संबंध में उठाया जा सकता है जो नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, के निर्वाचन या प्रवर्चन के संबंध में हो और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाय जो तत्समय सदन के समक्ष हो। अतः मैं श्री मोहन सिंह द्वारा अधिसूचित उक्त प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980†

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित करने और नहीं की संख्या अधिक होने की घोषणा करने पर।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी कृपया ध्यान देकर सुनें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बड़ी विनम्रता के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर लिया है, तब प्रश्न रखूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सुन तो लिया जाये। मान्यवर, इसके लिये पहले ऐसा हुआ है कि जब भी विपक्ष की ओर से इस प्रकार का विधेयक आया है, सत्ता पक्ष ने बड़ी उदारता का परिचय दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः इस प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय?

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिमालय भूमि सुधार विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 16 सितम्बर 1980 के असाधारण गगट के विधायी परिशिष्टि में छपा है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980†

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मैं आकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर: स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

मेरे समक्ष दो कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं । एक श्री मोहन सिंह जी का 'असली भारत' पत्र की 23 अगस्त और 28 अगस्त के अंक की प्रतियां जब्त किये जाने के संबंध में दूसरा श्री हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह का देवरिया जनपद के कई भागों में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में । यह दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, असली भारत पत्र है । सरकार की नीति है कि अखबारों को स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी। आप हम लोगों को सुरक्षा दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये ।

श्री मोहन सिंह---

लोकतंत्र की हत्या हो रही है । अखबार निष्पक्ष होते है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य संतोष रखें । लोकतंत्र की बारबार हत्या होने के बाद भी वह जीवित हो जाता है, इसकी आप चिन्ता न करें ।

राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों को भरने हेतु उनके साक्षात्कार के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

अब श्री राम स्वरूप वर्मा जी द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1980 को प्रस्तुत संकल्प पर विवाद जारी होगा।

---

†दिनांक 12 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है ।

††10 जुलाई, 1980 की कार्यवाही से ।

इसमें पहले से चर्चा हो रही है । अब पुनः चर्चा जारी होगी । जो सदस्य बोलना चाहें, बोल लें ।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इसमें कई संकल्प है । इसलिये समय निर्धारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

5/5 मिनट निर्धारित कर देते हैं । बीच में यदि विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव आ जायेगा तो विवाद बन्द हो जायेगा। समय 5/5 मिनट निर्धारित किया जाता है ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा, मान्यवर, यह जो संकल्प प्रस्तुत है, सचमुच, कैसे कहूं, इससे बहुत ही संकीर्णता की बू आती है । एक तरफ हरिजनों को, परिगणित जातियों को, वैसे ही आरक्षण दिया हुआ है । हर जगह उनका ख्याल सरकार करती है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । उन्हें सरकारी नौकरियों तथा अन्य विभाग की नौकरियों में उचित स्थान, जो उनके लिये आरक्षित है, दिया जाय । कभी-कभी वह आरक्षण जब पूरा नहीं होता, तो प्रयास किया जाता है उसका परसेंटेज पूरा किया जाय । लेकिन यह कहना कि नियुक्तियां केवल जाति विशेष के लिये और वर्ग विशेष के लोगों द्वारा की जायं, सचमुच यह अन्य वर्ग के लोगों ने इन लोगों के प्रति एक विद्वेष की भावना की नियत से, ऐसा मालूम होता है, यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है । इसके बाद यह प्रश्न जरूर आयेगा कि जितने हरिजन और परिगणित जाति के या अन्य उप जातियों के लोग हैं, उनके लिये अलग-अलग उप समितियां बनायी जायं और यह विद्वेष और विखंडन बढ़ता ही जायेगा इसलिये, मान्यवर, मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इस संकल्प को इसी स्तर पर माननीय वर्मा जी वापस ले लेंगे क्योंकि यह स्वभाविक है कि हर वर्ग के लोगों से हर वर्ग की नियुक्तियां जब होती हैं, तो बड़े ही निष्पक्ष भाव से नियुक्तियां की जाती है । नहीं तो हर वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व होने लगेगा, अलग अलग नियुक्तियों के लिये समितियां बना दी जायेंगी तथा स्वाभाविक है कि अच्छे लोग सेवाओं में नहीं आ सकेंगे । इसलिये, मान्यवर, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया तो यह आरक्षण अनुसूचित जाति और जन जातियों को दिया गया । जैसा कि वर्मा जी ने संकल्प को प्रस्तुत करते समय कहा था कि यह कह दिया जाता है कि "नाट अवेलेबुल" और जब अवेलेबुल हुआ तो नाट सूटएवुल अर्थात् ये पोस्ट के लायक नहीं है । यह कह दिया जाता है कि ये अप्लाई नहीं करते, आवेदन नहीं करते, लेकिन जब अप्लाई करने लगे तो कहा जाने लगा कि वह उसके लायक नहीं है तो मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि चूंकि इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जन जातिओं को दिया जाता है, उसके अनुसार अगर उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है, वह मिल जाता है, तो उसमें कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन]

विद्वेष की भावना नहीं होती है क्योंकि वह उन्हीं लोगों के लिये संकल्प किया गया है, उन्हीं लोगों का परिषद बनाया जायेगा जिनके लिए आरक्षण किया गया है। तो इसमें सवर्ण या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों में आने वाली जातियों में, जैसा कि अभी बोलने वाले भाई कह रहे थे, विद्वेष की भावना नहीं पैदा होगी। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने विचार इस संकल्प के ऊपर रख रहा हूं। यह संकल्प जो इस समय चल रहा है और जिसको वर्माजी ने रखा है यह बहुत उपयुक्त अवसर पर रखा गया है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद जब प्रशासन यहां के लोगों के हाथ में आया उसी समय से इस देश में जातीयता के आधार पर सारे काम शुरू हो गये थे। लेकिन यह अन्दर अन्दर चल रहे थे। अगर आप 1948 से 1977 का इतिहास देखें तो मुस्तकिल तौर पर मिलेगा कि पूरे देश के अन्दर चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे व्यापारिक स्तर पर हो, सब कहीं उन्हीं को प्रश्रय मिला है जिनके हाथ में शासन था, जो पावर में थे। गरीब छोटे कमजोर और हरिजन लोगों को बहलावा देने का काम किया गया। लेकिन जब सन् 77 में विपक्ष की सरकार लखनऊ से दिल्ली तक पहुंची तो लोगों की समझ में आया कि मुल्क में 30–32 साल तक कुछ लोगों को धोखा दिया गया। हरिजन, मुसलमानों और छोटे कमजोर लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसकी वजह है कि सन् 77 के बाद इस देश के अन्दर जातीयता हावी रही और मुल्क में उन्हीं लोगों ने विद्रोह करने की योजनायें बनायीं जिसके अन्तर्गत सन् 77–80 तक आप देखेंगे कि जगह जगह पर उनके द्वारा हंगामा खड़ा किया गया और विद्रोह कराये गये। यह सब घटनायें होती रहीं और वह कांग्रेस के उस वर्ग द्वारा करायी गयीं जो मुल्क के ऊपर हावी रहा। आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधान भवन के अन्दर, कांग्रेस दल के अन्दर जो हावी रहे हैं मुल्क पर वह अन्दरूनी तौर पर संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप पता लगायें तो पता चलेगा कि रस्साकसी उसी दोनों वर्गों में हो रही है जो जातीयता के आधार पर हावी रहे हैं। इसीलिये 18 प्रतिशत का अरक्षण पूरा नहीं हुआ है।

माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प रखा है वह बहुत ही उपयुक्त है। अगर इसको मान लिया जाय और स्वीकार कर लिया जाय तो निश्चित रूप से इस देश के अन्दर जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब है और जो हरिजन है, जिनके ऊपर नाना प्रकार के जुल्म होते रहे हैं और आज भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उनको संरक्षण मिल सकेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूं कि अगर यह संकल्प स्वीकार नहीं किया गया तो संभावना है, अभी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि अगर परिस्थितियों को देखकर आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया तो मुल्क के अन्दर वर्ग संघर्ष हो सकता है। हमारे मुल्क में वर्ग जातीयता के ऊपर आधारित हैं। यहां पर जो गरीब है उसका एक वर्ग है, हरिजनों का एक वर्ग है, सवर्णों का एक वर्ग है। गरीब और अमीर की श्रेणी बनी हुयी है उसी के आधार पर यहां पर वर्ग आधारित है। अगर आप मेहतर को देखें तो पता लगेगा कि वह नीचे वर्ग का है। हरिजन को देखें तो पता चलेगा कि वह नीचे वर्ग का है। किसी ऊंचे आदमी को देखें तो पता चलेगा कि वह सवर्ण है अमीरी और गरीबी की खाई इसी पर आधारित है। अगर वर्ग संघर्ष बचाना है तो नीचे के वर्ग को जो गरीब है, पिछड़ा है, हरिजन है उसको उठाने के लिये पूरा संरक्षण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलना चाहिये । यह संकल्प इसी आधार पर आधारित है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और अध्यक्ष जी से और सारे सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकार करें जिससे भविष्य में हमारे प्रदेश और मुल्क के अन्दर संघर्ष के आधार बर खून की नदियां न बहें । नहीं तो इसको कोई टाल नहीं सकता है । हिन्दुस्तान का गरीब और पिछड़ा वर्ग जाग चुका है । ऐसी स्थिति मुल्क में पैदा हो सकती है, इसलिये प्रार्थना है कि इस संकल्प को स्वीकार करें और ऐसी स्थिति से देश को बचाने की कोशिश की जाय।

*श्री अनवार खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसका मैं आभारी हूं। मान्यवर, में एक शेर कहना चाहता हूं —

फिरकाबन्दी है कहीं और, कहीं जाते है,
क्या जमाने में पनपनें के लिए यहीं बातें हैं ।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जो यह संकल्प लाया गया है उससे मुझे अफसोस है कि आरक्षण आरक्षण वालों के दिया जाता है लेकिन यह कहना कि उसके ही अधिकारी, उसी जाति का आधिकारी एपाइमेन्ट करें या साक्षात्कार ले तो यह संभव नहीं है। यह कहना कि संविधान में रिजर्वेशन सिस्टम है, उसका कड़ाई से पालन किया जाय तो यह बात ठीक है लेकिन यह कहना कि उसी जाति का अधिकारी इंटरव्यू ले तो यह संभव नहीं है । इसलिए ये जो संकल्प लाया गया है, यह संवधानिक और कानूनी नहीं है। अत: मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो संकल्प माननीय वर्माजी ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में यहां सदन में चर्चा हुई और सत्ता पक्ष के लोग तो बिलकुल नंगें हो गये। नंगे इस माने में की जो संविधान में अधिकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिये हैं उन उन अधिकारी को, कैसे अच्छी तरह से उनको दिलाये जायं यह इस संकल्प का अर्थ है, लेकिन सत्ता के अधिकांश सदस्यों ने, जो संविधान में आरक्षण मिला है, उस पर काफी चर्चा की है और वर्मा जी की बातों की तरफ वह नहीं गये। इस पूरे संकल्प में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो 1947 से लेकर 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान नें जो हमें अधिकार दिये, उनको आज तक सत्ता में जो रहे है, केवल पिछले 2–3 साल को छोड़कर, उनके द्वारा अधिकारों का कार्यान्वयन पूरी तरह नहीं कराया। ऐसा क्यों नहीं। हमारे यहां अनुसूचित जाति जन जाति की समिति बनी हुई है वह भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो का कोटा इसलिए नहीं पूरा हो रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोग जो नहीं है उनका साक्षात्कार लिया जाता है। तो यह मनोवृत्ति का मसला है। यदि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के प्रति सच्ची हमदर्दी की भावना और मानोवृत्ति की भावना होगी तो हम उसके अधिकारी तथा अधिकारों की देने की बात करेंगें। यदि मनोवृत्ति उल्टी है तो सारे काम उल्टे होंगें। जब वर्मा जी ने संकल्प प्रस्तुत किया था तो उस समय दो बाते अच्छी तरह से उठायी गयी थी पहले चलता था "नान-एविलिब्लिटी" के कारण कोटा नहीं पूरा हुआ, कि कन्डीडेट नहीं मिलते। किन्तु जब कन्डीडेट की भीड़ लगने लगी तब जोड़ा गया "नान-सूटेबिलटी" कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

कन्डीडेट योग्य नहीं मिलते है। तो उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, उम्मीदवार योग्य नहीं हैं यह बातें सिर्फ इसलिए आयी कि चूंकि उल्टी मनोवृत्ति के लोग साक्षात्कार में बैठ गये । इन शब्दों के साथ मेरे संकल्प का समर्थन करता हूं और सत्तापक्ष से आग्रह करूंगा कि ईमानदारी के साथ संविधान में दिये गये अधिकारों को लागू करना चाहते हैं तो इस संकल्प को सहृदय से एक होकर स्वीकार करें अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, राजनीतिक भेदभाव का सवाल न बनायें ।

*श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन् माननीय वर्मा जी ने इतना पवित्र संकल्प .....

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, बड़ा सूझबूझ का संकल्प है, इसलिए दूसरा संकल्प ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने बुला लिया है इसके बाद आपके प्रस्ताव को सदन के सामने रख दूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट ---

मैं चाहता था कि मिश्रा जी के बाद ही बोलता। मैं जानता था कि वह क्या बोलेंगे।

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी के पवित्र संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि यदि सच्चे मन से हरिजन समाज से प्यार है तो कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन करेगा। अगर मात्र राजनीतिक भाषण देकर कि हरिजन गरीब है, पिछड़े है, मात्र विधान सभा के अन्दर इस तरह की तकरीरे करनी है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तकलीफ हो रही है। यह कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है बल्कि इस संकल्प का सभी माननीय सदस्यों को स्व गत करना चाहिये।

मूल भावना इसमें क्या है। मैं आपको डा0 अम्बेदकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था उन क्षणों की याद दिलाना चाहता हूं। जिन्ना ने कहा था कि हमें देश अलग चाहिए और बाद में अंग्रेजों ने यह ठीक कहा कि ठीक है और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। डा0 अम्बेदकर ने भी पहले यह कहा था कि मंदिर हमारे लिए खुले नहीं है, हम इन स्कूलों में जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते दूसरे सार्वजनिक स्थानों में जा नहीं सकते। हमें एक दूसरी नागरिकता चाहिये। यदि यह कह दिया होता तो एक बड़ी बौखलाहट मच जाती। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी की लन्दन में राउन्ड टेबुल कान्फ्रेन्स में घिग्गी बध गयी थी। डा0 अम्बेदकर से बातचीत हुई और सेपरेट इलेक्टरेट मंजूर कर लिया गया। खैर वह पूरे देश की भावना थी डा0 अम्बेदकर की इस बात को मानना पड़ेगा कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टरेट की बात को कम से कम आरक्षण की बात को कबूल करा लिया और संविधान में भी इसे सम्मिलित करा लिया। मात्र यह 18 प्रतिशत रिजर्वेशन देकर आपने जनता का भौकना बन्द करा दिया। मेरा आग्रह है कि मैं थोड़ी सा विषय से हट कर बोलना चाहता हूं मैं नहीं चाहता कि आरक्षण रहे। आरक्षण बिलकुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसके पहले जितनी बड़ी-बड़ी अटटालिकाये हैं उनके बदले में सभी को झोपड़ियां दे दी जायं जो हजार-हजार दस दस हजार बीघे के फार्म है, उसके बदले में सबको बराबर का हिस्सा दिया जाय। एक आदमी के पास 10-15 बीघे जमीन हो और एक गरीब के पास एक इंच भी जमीन न हो। यदि आरक्षण का विरोध करना है तो पहले निश्चित रूप से जन और धन का बटवारा हो, सबके साथ बराबर का नाता हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और कहना चाहता हूं बड़ी गम्भीरता के साथ, अपने शब्दों की पूरी ताकत के साथ यदि आप ऐसा समझते हैं तो जो आपके पास है वह हमें द दें और जो हमारे पास है उसे आप ले लें। यह जो 85 परसेन्ट है यह हमें दे दें और 18 परसेन्ट ज्यादा पड़ता है तो उसे आप ले लें।

अब संकल्प पर बोलता हूं। इस देश की दूसरी बिराबदरी समझती है कि इनके नाम पर पान्डे, ठाकुर, साहब नहीं लगा है। वे समझते है कि वे केन्डीडेट उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त इसलिए नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। पब्लिक स्कूल में पढ़ा होता तो उसकी परसनेलिटी ठीक लगती। आपके अध्यादेश हैं, बाकायदा जी० ओ० है कि एक वेकेन्सी होती है तो उसमें भी सैड्यूल्ड कास्ट लिया जायगा। दो हैं तो एक लिया जायगा। इसलिये जो जी० ओ० की भावनायें हैं उनका पालन करना जरूरी है। इसलिये आवश्यक है कि उसी जाति बिरादरी के लोग उनका चयन करें ताकि 18 परसेंट का कोटा पूरा हो सके। जबरिया क्या आप इस भावना को दबा लेंगे? मैं एक शेर कहता हूं:—

मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा?
फसीले आतशो अहिन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा?
नये खयाल की परवाज रोकने वालों,
नये अवाम की तलवार कौन रोकेगा?
इसके लिये आप तैयार हो जाइये।

श्री अधिष्ठाता—

इस संकल्प पर साढ़े 5 घंटे से ज्यादा वाद विवाद हो चुका है। प्रस्ताव भी आ चुका है अब इस पर बहस बन्द कर दी जाय तो मैं प्रश्न सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि इस संकल्प पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदालाल चौधरी)—

मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर से स्पष्ट कर दिया कि वह यह आवश्यक नहीं समझते कि हरिजनों को आरक्षण ठीक से मिल सके। सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोग बोले उनमें दो प्रकार के लोग थे। लेकिन सबसे पहले मैं विरोधी पक्ष के लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने अपने अकाट्य प्रमाणों से और सारगर्भित तथ्यों से इस संकल्प को बल प्रदान किया। सत्ता पक्ष के लोग इसके खिलाफ एक भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके। क्यों यह संकल्प स्वीकार न किया जाय और जो उन्होंने कहा भी वह इतना सारहीन था, निरर्थक था कि उसका उल्लेख करना सदन का समय यर्थ करना होगा। अब यह कहा गया कि इससे जातिवाद फैलेगा। अगर जातिवाद फैलेगा तो संविधान के निर्माताओं को

[श्री रामस्वरूप वर्मा—]

मालूम था वह और हमसे कम अकल नहीं थे। उन्होंने जातियों की सूची बनाई। लेकिन बार-बार इस सदन में यह कहा जाता है कि जातिवाद फैलेगा। मैं पूछता हूं कि इस देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलने का सवाल कहां है? कौन सा ऐसा आदमी देश में है जिसकी जाति तय नहीं है। जब हर एक की जाति तय है तो बढ़ावा क्या मिलेगा, जातिवाद का कैसे विस्तार होगा, वह तो सुनिश्चित है। इसका मतलब एक हो सकता है कि जो लोग जातिवाद के बढ़ावे का नारा देते हैं वे उससे स्वयं लाभ उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने संविधान बनाया उनकी पवित्र इच्छा थी कि अनुसूचित जाति तथा जन जातियों को भारत वष के शासन में और सरकारी नौकरियों में उसके लिये प्राविधान कर दिया गया। शासन में बैठे लोगों ने इससे पहले कभी नहीं कहा कि हरिजनों के लिये आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आज मंत्री जी ने कहा कि वह इसकी आवश्यकता नहीं समझते। मैं इस पर कुछ नहीं कहता। मंत्री कहते हैं कहते रहें। हम आरक्षण को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना चाहते हैं। तब मेरी समझ में आया कि शासन चाहे जिस पक्ष का रहा हो, उधर का रहा हो या इधर का रहा हो, हमेशा कहता रहा है कि हम पूरी दृढ़ता के साथ आरक्षण को लागू करना चाहते हैं। तो फिर आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ? अकाट्य उदाहरण दिये गये हैं। 1978 की इसमें कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें 1 सैकड़ा अनुसूचित जाति के लोग आ पाये हैं। मान्यवर, मैं यह पूछता हूं कि संविधान के 28 वर्ष लागू होने के बाद भी उनका एक प्रतिशत आरक्षण मिल सका इसकी क्या वजह है? क्या वह वजह है कि उनमें निर्धारित योग्यता के व्यक्ति नहीं हैं अथवा उनमें योग्यता होते हुये भी उनको नहीं लिया जाता है? मैंने उदाहरण दिया था। उधर के माननीय मित्रों ने उसका नोटिस नहीं लिया। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा था कि सन् 1972 में चारों इंजीनियरिंग सर्विसेज का लोक सेवा आयोग द्वारा एक सम्मिलित इम्तिहान हुआ था— सिंचाई, विद्युत, पी0 डब्लु0 डी0 और स्वायत्त शासन। 23 जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये खाली थी। 30 निर्धारित योग्यता के इंजीनियर्स अनुसूचित जाति और जनजाति के आये। उनमें 7 फर्स्ट क्लास थे किन्तु उनमें से एक ही केवल लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही क्यों लिया गया? श्रीमन्, अंग्रेजों का जमाना भी हमने देखा है। लोग 8 दर्जा पास होते थे और निर्धारित योग्यता रखते थे तो उनको ले लेते थे। यहां तक कि वे पढ़े लिखे नहीं होते थे फिर भी उनको ले लिया जाता था। अब चूंकि ज्यादा लोग हो गये हैं इसलिये छंटनी की प्रक्रिया करनी पड़ती है। 30 लोगों में से 23 को तो ले ही सकते थे लेकिन आपके केवल एक ही दिखाई पड़ा और सब अयोग्य दिखाई पड़े....

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, प्रतिबन्ध तो नहीं होना चाहिये क्योंकि यह मसला गंभीर है। थोड़ा समय और बढ़ा दें। निर्धारित योग्यता होते हुये भी उनको नहीं लिया गया। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं थी। इसका जवाब नहीं दिया गया। इससे निश्चित होता है कि प्रशासन में जो लोग हैं वे अपने लोगों को रखना चाहते हैं। इनकी दृष्टि में काबिल लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनको निरादर और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और आज भी देखते हैं। इस विषय में किसी का जवाब नहीं आया। मुझे सबसे बड़ा तरस आता है अनुसूचित और जनजाति के विधायकों पर। मुझे एक घटना याद आ गई। जब संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसीडेन्ट एब्राहिम लिंकन था तो उसने एक घोषणा निकाली कि आज से कोई काला गुलाम नहीं रह जायेगा। इसके बाद कुछ काले लोग उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज हम तो अनाथ हो गये हैं हमें गुलाम रहने दो। यही हालत उधर के बैठने वालों की हो गई

है। इसलिये मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस संकल्प को पास करें। इन शब्दों के साथ मैं बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से इस संकल्प को रखता हूं। सरकार पुनः इस पर सोचे और सर्व सम्मति से इसको पास करे।

संसदीय कार्य-मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं दो शब्द इस संबंध में कहना चाहता हूं। सम्मानित सदस्य ने बहस के लिए एक बिन्दु उठाया, जहां तक हरिजनों की बातों का संबंध है या पिछड़ी जातियों का संबंध है या जनजातियों का संबंध है और उनके आरक्षण का प्रश्न है उसके लिए सरकार पूरी तरह से जागरुक है। आप देखें, हर जगह पर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इनका आरक्षण पूरा हो, उचित स्थान इनको मिले। यह जो बजट पेश किया गया उसके अन्दर भी इसमें काफी प्राविधान किया गया है। लेकिन जिस तरह से यह प्रस्ताव आया है उसके बहुत से इम्प्लीकेशंस है। अगर आज यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो कल दूसरे लोग आकर कह सकते है कि अमुक जाति के लोग ही हमारा इंटरव्यू लें, उन्हीं के लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए बैठाया जाय।

तो इस संबंध में सरकार ने पहले से ही कदम उठा रखे है जिनको मैं ब्रीफली बताना चाहता हूं जो कोई भी सेलेक्शन बोर्ड होगा उसमें कम से कम एक व्यक्ति जरूर हरिजन या जनजाति का होगा तो कोई भी सेलेक्शन बोर्ड बगैर उनके नहीं बनाया जायेगा। यही नहीं। यह भी किया गया है कि जिस दिन इन लोगों के इंटरव्यू देना होगा उस दिन सामान्य कैंडीडेट्स को नहीं जाना होगा ताकि जो भी मूल्यांकन का प्रश्न हो उन्हीं केन्डीडेट्स के साथ हो सामान्य कैंडीडेट्स के साथ न हो। तो यह सब तमाम चोजें शासन ने पहले से रखी हैं। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने से बहुत से इम्पलीकेशंस होंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जो को जो चिन्ता है उसकी मैं सराहना करता हूं और उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनकी बात को कार्यान्वित करने के लिये सरकार लगी हुई है तो सिर्फ प्रस्ताव लाने से काम नहीं बन जाता है। इन चन्द शब्दों के साथ वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

नहीं, मत के लिये रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से अनुरोध करता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये सुरक्षित स्थानों को भरने के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार केवल अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अधिकारी ही कर सकें, ऐसा प्रतिबन्ध हर स्तर पर सरकार अविलम्ब करें।

(प्रश्न उपस्थिति करने पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर मैं इस पर विभाजन चाहता हूं ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई और घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार संकल्प अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में 26,

विपक्ष में 129 ।

बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके विकास हेतु बुन्देलखंड विकास परिषद की स्थापना के संबंध में संकल्प (1 बजकर 3 मिनट)

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्मानित सदन के समक्ष विचार करने के लिये अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके क्षेत्र का सम्यक विकास करने के लिये पर्वतीय विकास परिषद् की भांति बुन्देलखण्ड विकास परिषद् की स्थापना की जाय ।"

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने बुन्देलखण्ड की समस्याओं से सम्बन्धित इस संकल्प की स्वीकार करके बुन्देलखण्ड की 42.91 लाख जनता पर कृपा की है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र इस प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहांकि जनता सदियों से अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिये तत्कालीन शासकों की सदैव ही उपेक्षा की पात्र रही है । श्रीमन्, बुन्देलखण्ड का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है । आप यह देखें कि इस बुन्देलखण्ड की धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 वर्ष रहे छठी शताब्दी में वहां पर चेदी वंश का राज रहा बुन्देलखण्ड में लोगों ने मुगलों के खिलाफ भी संघर्ष किया । वर्ष 1541 में शेरशाह सूरी कालिजर के किले में मारा गया । हमारे क्षेत्र की जनता जो अन्याय और शोषण के खिलाफ सदैव संघर्ष करती रही । इस देश की स्वतन्त्रता का आन्दोलन भी बुन्देलखण्ड की धरती से ही आरम्भ हुआ श्रीमन्, मैं बुन्देलखण्ड के संबंध में जो विचार रख रहा हूं इससे पहले मैं उसके इतिहास और सांस्कृतिक भूमिका की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान ले जाना चाहता हूं । बुन्देलखण्ड की जो वर्तमान स्थिति है इसके पहले उसके इतिहास को बता देना जरूरी समझता हूं । इस देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन बुन्देलखण्ड की धरती से प्रारम्भ हुआ जब महारानी लक्ष्मी बाई ने स्वतन्त्रता संग्राम का बिगुल बजाया, 1947 में देश आजाद हुआ । मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि इस देश की आर्थिक आजादी का जो लक्ष्य है उसमें भी बुन्देलखण्ड के बहादुर बुन्देलों में शौर्य साहस और ताकत है, जो देश की आजादी के लिये कुरबान हो सकते थे वे आज देश की आर्थिक आजादी के लिये कुरबान हो सकते हैं । उन हाथों को काम देने के लिये यहां पर यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है । उस बुन्देलखण्ड की कुछ विशिष्ट समस्याओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूं बुन्देलखण्ड क्षेत्र झांसी कमिश्नरी के नाम से जाना जाता है । इसमें पांच जिले हैं—झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर । इसका क्षेत्रफल 29 हजार 455 वर्ग किलोमीटर है । 1971 की जन संख्या के आंकड़ों के अनुसार यहां पर 42 लाख 91 हजार जनता इस क्षेत्र में रहती है और जनसंख्या का घनत्व 146 प्रतिवर्ग किलोमीटर है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र से कम है । लेकिन जनसंख्या इसमें अधिक है । प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 5

प्रतिशत इस क्षेत्र में रहती है और जो इसका क्षेत्रफल है उसमें नगरों की संख्या न्यूनतम है। यहां की 85 प्रतिशत जनता की जीविका कृषि पर आधारित है। आपको जानकर बड़ा दुःख होगा कि हमारे यहां लगभग 18 लाख 90 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और भूमि की उसमें सिंचाई करने की शक्ति केवल लगभग 4 लाख हेक्टेयर है। इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी भूमि को केवल बान्धों के माध्यम से, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से केवल 20 प्रतिशत ही क्षेत्र की सिंचाई होती है जबकि पश्चिमी प्रदेश, में सिंचन शक्ति कहीं कहीं पर 100 प्रतिशत है या इससे भी अधिक है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो नई तकनीक है बुन्देलखण्ड में उसकी जानकारी के अभाव में यहां के लोग उन्नतिशील बीज और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर पाते और यह आंकड़े हैं कि प्रदेश में बुन्देलखंड में हम सबसे कम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। सिंचाई के साधन भी हमारे यहां सबसे कम हैं, केवल 20 प्रतिशत ही हैं। उन्नतिशील बीज भी हम सबसे कम प्रयोग करते हैं। अब समझ लीजिये कि हमारे यहां के किसान जो 85 प्रतिशत खेती पर ही निर्भर करते हैं उनकी स्थिति क्या होगी ? जहां उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है वहीं दैवी आपदायें भी हर साल उनको तबाह किये हुए हैं। सन् 78 में भयंकर बाढ़ आयी, उससे नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति भी नहीं हो पायी थी कि 1979 जनवरी में ओले पड़ गये और उसके बाद फिर सूखा पड़ गया। सूखा भी ऐसा कि इस शताब्दी में कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा। वहां पर होने वाली दोनों फसलें नष्ट हो गयीं। राहत कार्यों की वजह से कुछ थोड़ा बहुत गल्ला तो वहां के लोगों को मिला, लेकिन जो उनका मकान बचा हुआ था वह इस भीषण बरसात ने मिटा दिया। यदि वास्तव में बुन्देलखंड का विकास करना है तो बुन्देलखंड विकास परिषद् की स्थापना आवश्यक है। इसी से हम वहां सिंचाई के साधनों की कमी को पूरा कर सकेंगे तथा अन्य प्रगति के कार्य कर सकेंगे।

माननीय, हमारे यहां कई बड़ी-बड़ी नदियां हैं, मगर हम सिंचाई के लिये उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर बांध आदि बनाकर सही तरह से इन नदियों को प्रयोग किया जाय तो सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और वहां का विकास हो सकता है। सन् 1973 में, समाचार पढ़ा था कि बांदा में केन नदी पर एक 250 करोड़ रुपये की बांध की योजना तैयार की जा रही है। इसमें हाइड्रो इलैक्ट्रिक जनरेशन की योजना थी और उससे सिंचाई भी काफी मात्रा में हो सकती थी। इन नदियों से लिफ्ट के माध्यम से भी, नये-नये बांध बनाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। ऐसा होने पर 16 लाख हैक्टेयर भूमि में जहां हम केवल एक फसल उगा पाते हैं, सिंचाई होने पर कई फसल उगा सकेंगे।

कल एक मीटिंग में बताया गया था कि अगले 10 वर्षों में प्रदेश की आबादी साढ़े 10 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ हो जायेगी। इस बढ़ी हुई आबादी के लिये खाने की सामग्री चाहिये। सीमित साधनों के बावजूद हमारी बुन्देलखंड की धरती 5 जिलों के अपने डिवीजन के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिये भी अनाज पैदा कर रही है अगर वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जायं। खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ जायेगा। वहां पर एक कृषि विश्व-विद्यालय की स्थापना भी बहुत आवश्यक है। इससे निश्चित रूप से कृषि का उत्पादन बढ़ेगा।

उद्योगों के क्षेत्र में भी हमारा बुन्देलखंड उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। सरकार ने सन् 71 में वहां के लिये बुन्देलखंड विकास निगम की स्थापना की थी और इस निगम को 2 करोड़ रुपये देने का वचन दिया गया था। यह इसकी पूंजी थी। आज 9 वर्ष हो चुके हैं, इसको केवल 85 लाख रुपया ही प्राप्त हुआ है। यह जो उद्योगों की योजनायें बना रहे, है उसके अन्तर्गत 20–20 लाख रुपये के दो मिनी शुगर प्लान्ट लगाये गये हैं।

[श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—]

मुझे बतलाया गया कि वह भी बन्द होने की स्थिति में हो गये हैं। वह बेचने की स्थिति में हो गये हैं और उससे 40 लाख रुपये का घाटा हो जा गा। बुन्देलखंड वि कास निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि यहां पर ईंट और भट्ठे का उद्योग अधिक सफल होता है। तो श्रीमन्, जो वहां के गरीब लोग हैं, जो इस उद्योग को चला रहे थे, उस उद्योग पर भी प्रहार होने लग गया, जबकि सरकार के माध्यम से बी0 एच0 ई0 एल0, एच0 ई0 एल0 एन0 टी0 बायटिक्स के प्लान्ट लगाना चाहिये। अगर बुन्देलखंड विकास परिषद् की स्था पना इस सरकार की राय से हो जाती है, तो बुन्देलखंड की जो समस्यायें हैं, दूर हो जायेगी उनकी जो सामाजिक समस्यायें हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हू। हमारे जो वीर लोग हैं, जिनको कि देश के कल्याण में लगाना चाहिए था, वह खून-खराबे में लगे रहे हैं। जो वीर-बहादुर लोग हैं, जिनको देश की उन्नति के कार्य में लगाना चाहिये था। वह उद्योग के अभाव में किसी रोजगार में नहीं लग पा रहे हैं। 1947 में प्रदेश में बुन्देलखंड की सड़कों का औसत लगभग 15 प्रतिशत था। लेकिन 1977 में यह प्रतिशत जहां कि दू सरे क्षेत्रों में उन्नति हुई है, वहां पर हमा रा प्रतिशत यह घट कर 13 दशमलव कुछ रह गयी है तो यह देखें कि प्रदेश की प्रगति में अन्य स्थानों की अपेक्षा बुन्देलखंड पिछड़ता चला जा रहा है। आज भी बुन्देलखंड अभागा क्षेत्र है, जहां पर कि पानी के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है और लोगों के पेय जल की समस्या को दूर करने की समस्या है मेरी यह आशा है कि संकल्प अगर स्वीकार कर लिया जाय तो इसके माध्यम से जहां पर कि हम पानी अभी नहीं दे पाये हैं, उनकी पानी के लिये विशेष योजनायें बना सकते हैं और उसके लिए जो विकास परिषद् को फण्ड मिलेगा, उसका सही उपयोग हो पायेगा। अभी भी जो फण्ड, मिलते हैं, कभी-कभी जो बुन्देलखंड को एलाटेड फण्ड हैं वह दूसरे क्षेत्र को भेज दिये जाते हैं ऐसा अधिकारियों ने मुझे बताया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के क्षेत्र में जड़ी-बूटियां बहुत पायी जाती हैं। अगर इन जड़ी-बूटियों के लिये कोई शोध-संस्थान बना दिया जाय, आयुर्वेदिक कारपोरेशन बना दिया जाय या बड़ी औषधि निर्माणशाला बना दी जाय, तो हमारे क्षेत्र में जो बहुमूल्य जड़ी-बूटियां होती हैं, उनको एकत्रित करने में रोजगार मिल सकता है।

श्रीमन्, यह जो समस्यायें हैं, सिंचाई की समस्यायें, आवागमन की समस्या यें, पेयजल की समस्यायें हैं, उद्योग की समस्या है, हमारे यहां शिक्षा की समस्या है, जैसा कि अभी बताया कि आप यदि आंकड़े उठा कर देखें तो उन आंकड़ों से आपको पता चल जायेगा कि कितने इण्टरमीडिएट कालेज की वहां कमी है। सबसे कम बुन्देलखंड में स्कूल्स हैं श्रीमन्, वहां जो इस संबंध में मांगें हुई हैं, उन मांगों की बराबर उपेक्षा की गयी है। इसलिए मैं इस सदन से विनम्र पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि बुन्देलखंड जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जो उसकी विषमताएं हैं, आर्थिक असंतुलन है इस ओर भी ध्यान दें और वहां की जो खनिज सम्पदा है, उससे लाभ उठाने की ओर ध्यान दें, तभी हमारे जनपद का विकास हो सकता है। हमारी जो खनिज सम्पदा है। इसके बारे में मुझे बहुत ही खुशी है कि बांदा में डायमण्ड पाये जाने की सूचना है, ललितपुर में यूरेनियम पाये जाने की सूचना है और बांदा में आक्साईड भी पाया जाता है और सिल्कासैन्ड भी। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार इन प्राकृतिक खनिज सम्पदाओं से फायदा उठाये और इसे अपने उद्योगों को स्थापित कर देश और प्रदेश को फायदा पहुंचाये। वहां से बाक्साईड को लेकर अल्युमीनियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और इससे आधारित उद्योगों को स्थापित करेगी जिससे रोजगार की समस्या भी किसी हद तक हल हो सकेगी। इससे अल्यु-मीनियम फैक्ट्री और ग्लास फैक्ट्री आदि डेवलप की जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे यहां तेंदु की पत्ती भी बहुत मात्रा में पायी जाती है, जिससे बीड़ी का उद्योग आसानी से स्थापित हो सकता है। श्रीमन्, बुन्देलखंड की पिछड़ेपन की हालत को आज देखते हुए आज पूरे सदन के माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि हमारे यहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा उस क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिए पर्वतीय विकास परिषद् की भांति बुन्देलखंड

विकास परिषद् की भी स्थापना की जाए। मुझे खुशी है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो नये-नये कार्यक्रम सरकार की ओर से तैयार हो रहे हैं, उसके लिए मेरी ओर से बधाई है। लेकिन मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ और हमारे क्षेत्र के पहाड़ों में बड़ा फर्क है। वह पहाड़ ठंडक देते हैं और हमारे यहां के पहाड़ जलाते हैं। मान्यवर, बुन्देलखंड में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जिसको आम आदमी बर्दास्त नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त दैवी प्रकोप जैसे बाढ़, सूखे की समस्या और ओले आदि पड़ते रहते हैं, जिससे जनपद का काफी नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है, उसको सरकार कम्पेनसेट नहीं कर पा रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस ओर कि जब तक सरकार कोई विशेष योजना और विशेष विकास परिषद् का गठन नहीं करेगी उस समय तक यहां का विकास हो पाना सम्भव नहीं होगा। अगर इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे तो पूरा देश विकसित होगा और पूरा प्रदेश विकसित होगा। तब हम सब को बहुत खुशी होगी और देश की जनता भी खुश होगी। अन्त में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस संकल्प पर विचार करें और इस संकल्प को मानें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि यह संकल्प सदन में रखा गया है तथा हमारे पर्वतीय विकास क्षेत्र के मंत्री सदन में उपस्थित हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्यों के लिये 10-10 मिनट का समय है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

हमारे पर्वतीय क्षेत्र के मंत्री भली-भांति जानते हैं कि पर्वतीय विकास परिषद् के पहले पर्वतीय क्षेत्रका पिछड़ापन किस हद तक था और इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय हमारे साथी का रखा हुआ संकल्प स्वीकार करेंगे। मुझे माननीय अधिष्ठाता जी रोना आता है, जब बुन्देलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन का दृश्य उपस्थित करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखंड छत्रसाल, लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है, यहां पर तुलसी, केशव, पद्माकर, सुनीताकुमारी चौहान जैसे कवि हुए हैं तथा विश्व-विख्यात हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द्र की क्रीड़ास्थली भी है जिसके कारण यह संसार में एक ऐतिहासिक क्षेत्र बना है। माननीय अधिष्ठाता जी, दुःख की बात है कि बुन्देलखंड का पिछड़ापन पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर किसी भी प्रकार से कम नहीं पिछड़ा है। मैं बड़ी हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पर्वतीय विकास परिषद् का निर्माण, अगर बहुगुणा जी मुख्य मंत्री न होते तो शायद सदन के अन्दर उसका निर्माण न होता। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य महोदय ने बुन्देलखंड के सम्बन्ध में जो जानकारी दी है। माननीय अधिष्ठाता जी, वह पिछड़ेपन की जिन्दा तस्वीर है। बुन्देलखंड क्षेत्र के लोग ऐसे पानी को पीते हैं जिसको शायद जानवर भी नहीं पियेगा। बुन्देलखंड में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी यहां उपस्थित हैं इन्होंने ललितपुर के दौरे पर जाकर देखा कि वहां की महिलायें 5-5 मील से गन्दे पानी को लाती हैं और कपड़े से छान कर पीते हैं माननीय अधिष्ठाता जी,मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड सबसे उपजाऊ क्षत्र है लेकिन सिचाई के साधन न होने के कारण किसान अपनी हिम्मत के साथ जो बीज बोता है उसकी आधी कीमत उसे कहीं मिल पाती है। माननीय मंत्री जी ने बुन्देलखंड के प्रवास पर स्वयं देखा है कि बुन्देलखंड प्राकृतिक साधनों से भरपूर है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसकी दशा को सुधार दिया जाय तो मैं कहने को तैयार हूं कि शायद यह उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो जायेगा जिससे उत्तर प्रदेश का आर्थिक बजट की सहायता का एक हिस्सा होगा। मान्यवर,

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

ललितपुर और बांदा के आधे क्षेत्र में पिछड़ेपन इस रूप में है कि वहां पर बरसात के दिनों में पेड़ों की छाया में दिन व्यतीत करते हैं। मुझे शर्म आती है कि यह कहते हुए कि जब मैं उस क्षेत्र में दौरे पर जाता हूं तो देखता हूं कि महिलाओं के पास तन ढकने के वास्ते कपड़े नहीं हैं वे नग्न अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करती हैं ऐसी स्थिति है। बुन्देलखंड के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस संकल्प पर आवश्यक हो तो सदन की एक समिति बना दी जाय जो वहां का प्रवास करें, दौरा करे और अगर यह सिद्ध नहीं होता कि बुन्देलखंड पिछड़ा है तो इस संकल्प पर विवाद न किया जाय। क्या कारण है कि बुन्देलखंड के लिये विकास के लिये सरकार क्यों तैयार नहीं है? अभी तक कह जाता है कि बुन्देलखंड से विरोधी लोग जीत कर आते हैं। इस बार 21 में 17 लोग जीत कर आये हैं और मुझे विश्वास है कि यह संकल्प स्वीकार होगा। जहां तक सरकार की सुविधाओं की बात है मैं समझता हूं कि जो भी शासन में बैठता है, बुन्देलखंड की हर प्रकार से उपेक्षा करता है। नारे दिये जाते हैं, वायदे किये जाते हैं भाषण दिये जाते हैं, लेकिन बुन्देलखंडी नंगा, भूखा, प्यासा है।

सड़कों के संबंध में बुन्देलखंड की घोर उपेक्षा हुई है। आज आवश्यकता है कि जब तक बुन्देलखंड विकास परिषद् का निर्माण नहीं होता है मुझे विश्वास नहीं है कि बुन्देलखंड का पिछड़ापन दूर होगा। आज जो भी विदेशी लोग आते हैं अधिक संख्या में बुन्देलखंड घूमने आते हैं। सड़कों का निर्माण नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि शायद बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश का, सारा रिकार्ड देखा जाय तो बुन्देलखण्ड ऐसा क्षेत्र है जिसकी इतनी उपेक्षा हुई है जितनी और किसी की नहीं। सड़कों का निर्माण होना चाहिये। अभी तक जो वायदे किये गये हैं जो संकल्प किया गया था उसकी आधी सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं।

सिंचाई की व्यवस्था अगर ठीक से की जाये तो हो सकता है कि मैंने सदन के सामने एक बात रखी थी कि बरसात में जो नदियां उफनाती हैं, उनका पानी बेकार हो जाता है। उन पर डैम बनाये जाते। छोटे-छोटे तालाबों, कुओं की खुदायी की जाती। ट्यूबवेल और लिफ्ट योजना लगायी जा सकती है जहां, लगायी जायें। सरकार के पास ये सारी बातें विचाराधीन हैं। इसी सरकार के सामने नहीं, जो भी सरकारें बैठती हैं, सबने विचार किया है लेकिन बुन्देलखंड आज भी उपेक्षित है।

मैं समझता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश का एक सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बी0 ए0 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं अर्थ शास्त्र में कहीं भूगोल में और कहीं किसी में यहां तक कि हिन्दी में पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

अस्पतालों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बुन्देलखंड एकमात्र पिछड़ा क्षेत्र है जहां लोग मजबूरी में, गरीबी में, भूख में, बिना दवाइयों के अपनी जिन्दगी बिता देते हैं और फिर मर जाते हैं। जितने अस्पतालों की व्यवस्था वहां होनी चाहिए वहां नहीं हुई।

बुन्देलखंड में ऐसे बीहड़ मौजूद हैं जहां लोग रास्ते जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाय तो मैं आज इस सदन के सामने कहना चाहता हूं कि यह एक पवित्र भूमि है उत्तर प्रदेश की। इसलिए जो संकल्प रखा गया है, मैं समझता हूं कि सभी बुन्देलखंड के माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के बैठे हुए सदस्य इसका समर्थन करेंगे। यह महाराजा छत्रसाल और महारानी लक्ष्मी बाई की कर्मभूमि है। यह संकल्प पास होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

*श्री मोहन लाल—

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बुन्देलखंड की परिभाषा वास्तव में बड़ी वृहद् है। चम्बल से टौंस और यमुना से नर्वदा तक यह क्षेत्र बुन्देलखंड कहलाता है। जिसमें महाराजा छत्रसाल का राज्य था। जब मध्य प्रदेश बन गया तो ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया और बाकी हिस्से 5 जिले उत्तर प्रदेश में रह गये। मध्य प्रदेश सरकार ने विन्ध्य प्रदेश में काफी अच्छा विकास किया है। हमारे प्रान्त में हमीरपुर, पन्ना, भोखमपुर में सिचाई की व्यवस्था हुई है, बिजली पहुंच गयी है। शिक्षा की तरफ न इस शासन का ध्यान गया और पिछले शासन का ध्यान तो जाना ही नहीं था। अंग्रेज इसे उपेक्षित करते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े उन्हें उपेक्षित रखा गया। झांसी की रानी, बांदा के नवाब की आज भी कथायें इतिहास में विद्यमान हैं। पांचों जिले जैसे नक्शे में नीचे रहते हैं उत्तराखंड ऊपर रहता है, यह दुम की तरह नीचे लटकते हुए दिखाई देता है किसी की नजर वहां नहीं पहुंचती। यहीं पर आप देखें सभी जगह के मंत्री हैं, वहां का कोई नहीं है। कितनी आप उपेक्षा कर रहे हैं। अब तक शासन में बुन्देलखंड की ओर कोई ध्यान दिलाने वाला नहीं है। श्री तिवारी जी, श्री बहुगुणा जी मंत्री हो गये तो पर्वतीय विकास बन गया, सड़कें बनने लगीं। हमारे यहां का कोई मंत्री नहीं है तो वहां की आवाज उठाये कौन? एम0एल0ए0 तो जनता का प्रतिनिधि होता है, मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह सही है कि बुन्देलखंड की जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर वहां पानी की व्यवस्था कर दी जाये तो निश्चय ही वह 10–20 जिलों को और खिला सकता है। लेकिन वह पानी की व्यवस्था करेंगे न बिजली देंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे?

दूसरी समस्या वहां यह है कि जिन लोगों के पास वहां जमीन है उनके पास बहुत जमीन है, फर्जी नामों से कब्जा किये हुये हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास बिलकुल नहीं है। सरकार ने डेढ़ एकड़ का पट्टा जो दिया है उस पर भी उनका कब्जा नहीं हुआ। इस प्रकार की विषमता है, वहां पर। काटेज इंडस्ट्रीज जो है वह भी हरिजनों से ले ली गयीं। बुन्देलखंड में कोई भी ले लीजिये झांसी ले लीजिये, हमीरपुर ले लीजिये। हमीरपुर का हेड क्वार्टर ही अंग्रेजों ने ऐसी जगह पर बना रखा है कि वहां पर पहुंचना मुश्किल है। किसी किसी जगह से तो वह 108 किलो मीटर तक दूर पड़ता है। दो नदियों से घिरा है। चरखारी को बनाने का प्रयास किया गया उसको नहीं बनाया गया जबकि झांसी में दो जिले बना दिये गये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में अच्छे खनिज पदार्थ हैं। पारस लाइम की अच्छी खाने हैं। इस प्रकार के बर्तन बनाये जाते हैं जैसे चीनी मिट्टी के हों। वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं। वहां की नदियां हिमालय से निकली हैं गर्मियों में भी पानी देती रहती हैं। वहां की नदियां विन्ध्याचल से निकली हैं जो वर्षा में तो बाढ़ पैदा कर देती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं। अब तक ट्यूबवेल से पानी नहीं दिया जा सका है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। ट्रान्सपोर्ट का आवागमन का कोई साधन नहीं है। अफसरान जो वहां भेजे जाते हैं वह या तो ब्रान्ड न्यू भेज दिये जाते हैं या रिजेक्टेड भेजे जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार वहां के उपेक्षित इलाकों की ओर ध्यान दे जैसे जो लड़के कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिये। जहां ज्यादा विकास होता है, उसमें थोड़ी कटौती करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल—]

बुन्देलखंड विकास खंड बन जाने से हमको आशा है कि अब उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद है कि हम लोग जो अपने क्षेत्रों में नालायक करार दिये जाते हैं, वह धब्बा मिट जायेगा और शासन का भी महत्व हो जायगा।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले पर जरूर शासन का ध्यान आकर्षित करेंग।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प के बारे में बोलने की इजाजत दी। मान्यवर, यह संकल्प जो माननीय शर्मा जी ने रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं हमीरपुर जनपद से सन् 1969 में मंत्री बना और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य मोहन लाल जी ने कहा बुन्देलखंड कई जिलों का था। अंग्रेजों के जमाने के गदर के समय में उस वक्त जो आन्दोलन हुए तो अंग्रेजों ने लड़ाकू कौमों को आधा-आधा कुछ मध्य प्रदेश में कर दिया और कुछ यू पी० में कर दिया ताकि बुन्देलखंड इकाई संगठन न करके किसी राज्य के खिलाफ न हो सके। इस सिलसिले में आन्दोलन हुआ 1969 में कि बुन्देलखंड का सूबा अलग बनाना चाहिये। जब मैं, शुरू में हुआ था, तो झांसी भी गया था। वहां इस बात पर काफी चर्चा और प्रचार था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पुराने जिले हैं, उनका एक सूबा बनाया जाय और यह न हो सके तो उत्तर प्रदेश के जो 4/5 जिले है, उनका ही एक सूबा हो ताकि उनका विकास हो। लेकिन कहना पड़ रहा है कि उसके बाद शासन ने उन लोगों की उस मांग से हटाने के लिये, उन्होंने बुन्देलखंड विकास निगम का एक थोथा आर्गेनाइजेशन बना दिया। वह इसलिये बना ताकि वह आंदोलन कम हो। यह नहीं कि मैं उस आंदोलन का समर्थक हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जैस पर्वतीय विकास निगम हैं, उस तरह के जब पावर्स बुन्देलखंड विकास निगम को दिये जायेंगे, तभी उसका विकास हो सकेगा और जिसके बार में मुझे आशा है कि ऐसे पावर्स वहां के लिये अवश्य ही दिये जायेंगे और मिलने चाहिये। मान्यवर, हमारे बुन्देलखंड विकास निगम की आज हैसियत क्या है? उसकी हैसियत, मान्यवर, एक ठेकेदार के बराबर है। कुछ लाख रुपये उसको दिये जाते हैं और यह विधान है कि उस पूंजी से रोजगार करे और जो फायदा हो, उससे उन पांच जिलों का विकास किया जाय। मान्यवर, मोरम का ठेका भी विकास निगम लेता है और जब ठेकेदार की लाठी बजती है, तो अधिकारी डर जाते हैं और ठेका भी नहीं हो पाता।

हमारे शर्मा जी ने और अग्निहोत्री जो ने कहा कि इस विकास लिगम के मिनी शुगर संगठन खुला है। खुशी हुयी कि वह बुन्देलखंड में खोला गया। लेकिन, मान्यवर, उसने 3 रुपये क्विन्टल गन्ना लिया था। खेद होता है कहते हुये कि विकास निगम में पिछले दो सालों से बिजली नहीं जलती। अधिकारी तनखवाह ले रहे हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो दूसर विकास निगमों को पावर्स दिये हैं, वे पावर्स हमार बुन्देलखंड को भी दें ताकि वहां का विकास हो सक क्योंकि मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सूबे में हमारा बुन्देलखंड जितना पिछड़ा हुआ है, उतना शायद सूबे का कोई भी भाग नहीं होगा। वहां किस-किस चीज किस-किस समस्या का बखान किया जाय। राहत कार्य चलते हैं, राहत कार्यों में जितने तालाब खुदे, जितनी सड़के बनीं उसमें बड़ी गड़बड़ी की गयी। बी० डी० ओ० ने गड़बड़ियां कीं। दो-दो ठला गेहूं खा गय। मस्टर रोल बदस्तूर बरकरार है लकिन गल्ला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बांटा गया। विधायक कहते हैं तो सुना नहीं जाता। हमारे यहां वर्कर्स ने खुद गल्ला पकड़ा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पर्वतीय विकास निगम को पावर दे रखी है उसी तरह से हमको भी पावर्स दें तो बुन्देलखंड के माननीय सदस्य आपके आभारी होंगे। बन्देलखंड विकास निगम को सिर्फ ठेकेदार बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा रुपया देने से वहां का विकास नहीं होगा। इसलिये बुन्देलखंड विकास निगम को पावर्स दी जाय। पर्वतीय विकास निगम में तो बड़ी-बड़ी विभूतियां हुयीं, मुख्य मंत्री हुये, वित्त मंत्री हुये, रुपया दिया गया। मैं नहीं कहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं होना चाहिये। वह हमारे बार्डर लाइन का क्षेत्र है, उसका विकास होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि बुन्देलखंड की तरफ भी ध्यान दें और इसको स्वीकार कर लें तो बुन्देलखंड के माननीय सदस्य आपके आभारी होंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। मुझे याद है 'बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।'

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जब आपको समय मिले तब आप बोलें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बुन्देलखंड विकास परिषद् के गठन पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने का मौका दिया। प्रदेश के तीन क्षेत्र बहुत पिछड़े माने जाते हैं। पूर्वांचल, पर्वतीय और बुन्देलखंड का क्षेत्र। बुन्देलखंड का क्षेत्र दोनों से पिछड़ा हुआ है। पूर्वांचल के लिये पटेल आयोग की नियुक्ति की गयी और उसने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सब्मिट कर दी थी। पर्वतीय विकास के लिये मंत्रालय और विकास परिषद् भी है। मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूं, जैसा हमारे सीनियर सदस्य और भूतपूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद जी ने बताया कि वहां पर एक दबी हुयी चिनगारी है, वह है बुन्देलखंड प्रांत की मांग, जब मैं युवा था तो किसी न किसी रूप में, मैं उससे सम्बद्ध था इसलिये मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं आपके सामने तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आपकी समझ में आयेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोच समझ कर बुन्देलखंड को नेगलेक्ट किया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये मंत्रालय बनाया गया है। बुन्देलखंड की पापुलेशन वहां से ज्यादा है। प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल, हाईस्कूल और यहां तक कि विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज पवतीय क्षेत्र में ज्यादा हैं। बुन्देलखंड में अभी यूनीवर्सिटी बनायी गयी है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में 2 यूनीवर्सिटी दी गयी हैं। एक एग्रीकल्चरल और एक जनरल यूनीवर्सिटी है। एक हास्यास्पद स्थिति यह है कि बुन्देलखंड को जो विश्वविद्यालय दिया गया है वह मात्र एक दफ्तर है। उसमें मेरी समझ में केवल वह परीक्षा लेता है जबकि पंतनगर विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है। तो यह उपेक्षा जो बुन्देलखंड के प्रति बरती जा रही है यह निश्चय ही अशोभनीय है और यह उस

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

आंधी को नहीं रोक पायेगी जो बुन्देलखंड प्रान्त की मांग कर रही है। जब यह स्थिति बदलेगी तो निश्चित रूप से बहुत ही विघटनकारी और अशोभनीय स्थिति पैदा हो सकती है। उस क्षेत्र में जिस तरह बुन्देलखंड विकास निगम की बात कही गयी है उसमें मैं यह और बताना चाहता हूं कि बुन्देलखंड विकास निगम में 300 कर्मचारी भी काम नहीं करते हैं जबकि पर्वतीय विकास निगम में 300 इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं।

मान्यवर, बुन्देलखंड विकास निगम जब स्थापित किया गया तो वहां चल रहे ओरिजनल धंधों पर उसने हमला किया और वहां के लोगों से धंधे छीन लिये और कोई नया धंधा नहीं स्थापित किया जैसे कि सैन्ड, ग्रेनाइट स्टोन और ईटें बनाने के जो धंधे थे उनको नैशनलाइज्ड कर दिया गया और प्राइवेट क्षेत्र में लाइसेंस देना बंद कर दिया। लाभ के नाम पर बैंकों में जमा धनराशि से प्राप्त ब्याज को दिखाकर बुन्देलखंड विकास निगम चल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये है कि वहां निगम में उत्तर प्रदेश के सबसे वर्स्ट (बेकार) अधिकारी को वहां राजनीतिक कारणों से प्रमोशन देकर भेजा जाता है। बुन्देलखंड से जब कोई छात्र बी0 ई0 करने के बाद ए0 ई0 होते हैं, सीनियारिटी में एस0 ई0 तक प्रोमोशन पाते हैं और एस0 ई0 के बाद में प्रोमोशन राजनीतिक आधार पर होते हैं। तो जो अक्षमण्य एस0 ई0 होते हैं उनको प्रोमोशन देना राजनीतिक कारणों से आवश्यक होता है, इसलिये उन्हीं अक्षमण्य लोगों को प्रोमोशन देकर बुन्देलखंड में भेजा जाता है। वह वहां जाकर सिर्फ रिश्वतखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। इसलिये बुन्देलखंड विकास निगम को विनाश निगम नाम रखा जाना चाहिये।

मान्यवर, इस निगम की स्थिति बहुत खराब है। बुन्देलखंड की स्थिति खराब होने का एक और कारण है कि वहां कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जैसे बुन्देलखंड पापुलेशन में कम है लेकिन एरिया में अधिक है। लेकिन योजनाओं में पैसा जो मिलता है वह पापुलेशन के हिसाब से मिलता है इसलिये लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर आदि जो घने बसे हैं वहां योजनाओं के लिये पैसा अधिक मिल जाता है किन्तु बुन्देलखंड में आबादी कम होने से कम पैसा मिलता है। उदाहरण के तौर पर बुन्देलखंड में 500 व्यक्ति दो किलोमीटर की एरिया में रहते हैं तो कानपुर और लखनऊ ऐसे शहरों में 500 व्यक्ति एक फर्लांग की एरिया में रहते हैं। इससे बुन्देलखंड में जो सहायता मिलेगी वह लखनऊ के बराबर नहीं होगी तो वहां जो उस पैसे से सड़क बनेगी वह भी एक फर्लांग की बनेगी और लखनऊ में एक किलोमीटर। अतः मेरा अनुरोध है कि यह सहायता आबादी के हिसाब से न दें बल्कि एरिया के हिसाब से दें तो बुन्देलखंड का विकास हो सकेगा और तभी ज्यादा पैसा वहां के लिये मिल सकेगा और तब ज्यादा सड़कें और विकास के कार्य हो सकेंगे।

यह मान्यवर, व्यवहारिक कठिनाई है। यदि इस पर ध्यान दें तो इस पठारी इलाके का विकास हो सकता है जैसे कि मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, जो झांसी, हमीरपुर और बांदा से लगा हुआ है, का वहां की सरकार ने विकास किया है। टीकमगढ़ की स्थिति ऐसी है कि वह पठारी भाग झांसी और उरई से ज्यादा खराब है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसका ऐसा विकास किया तो वह पूरे देश में रसायनिक खाद का प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा जिला टीकमगढ़ बन गया। पंजाब और हरियाणा में ऐसा जिला नहीं है जो उसके बराबर खाद्यान्न पैदा करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ में इतने कुयें खुदवाये कि विश्व बैंक ने कह दिया कि अब वहां और कुयें खुदवाना फिजीबिल नहीं है। छोटे-छोटे वहां पर पहाड़ी, पठारी, नाले, न दियां हैं, उन पर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई के लिए साधन कर दिया। इसी तरह से एजूकेशन देखें। टीकमगढ़ की पापुलेशन 40 हजार है। वहां पर एम0 एस0 सी0 में सब सबजैक्ट्स हैं। दूसरा कालेज छतरपुर में है। उसकी 60 हजार की पापुलेशन है। हर तरह की एजूकेशन वहां उपलब्ध है। झांसी की चार लाख की पापुलेशन है, कमीशनरी हेडक्वार्टर है, रेलवे का डिवीजनल हैडक्वाटर है और वहां

पर एम0 एस-सी0 का एक ही विषय है। हमने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी। उन्होंने अभी वहां तीन सबजैक्ट्स खुलाये हैं। कितनी विडम्बना है। बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में एम0 एस-सी0 नहीं है। बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की जैसी स्थिति और किसी की नहीं है। मध्य प्रदेश में 20 हजार, 40 हजार पापुलेशन के क्षेत्र हैं, वहां की स्थिति अच्छी है।]

मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के विकास के लिए अगर सरकार ने खुले मन से और सोच समझकर कोई प्लानिंग नहीं की तो मैं आप को उस चिनगारी की ओर इशारा कर रहा हूं जो दबी है जो कभी अपना मुंह खोल लेगी और प्रदेश के लिए विध्वंशकारी हो जावेगी। मैं यह भी जानता हूं कि सन 1956 में पनिकर आयोग गठित हुआ था स्टेट रिआरगनाइजेशन कमीशन उसने यह भी कहा था कि बुन्देलखंड की भौगोलिक स्थिति प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बिलकुल डिफरेन्ट है। उसने कहा था कि ग्वालियर से मिलकर अलग प्रदेश बना ले। यह अन्य बात है। लेकिन आयोग ने माना था कि बुन्देलखंड की स्थिति बिल्कुल डिफरेन्ट है इसलिये हमें निश्चित रूप से उसके विकास के लिए कोई स्वतंत्र चीज बनानी चाहिये जिससे कि स्वतंत्र विचाराधारा से, सोच-समझकर, उसका विकास किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक सूचना सदन को दे दूं। यह जो संकल्प चल रहा है यह आधे दिन के लिए है और आधे दिन बाद दूसरा विधेयक लिया जाना है। संकल्प इस हिसाब से 2.30 पर समाप्त हो जाना चाहिये। विधेयक के भार साधक सदस्य श्री राम आसरे वर्मा ने लिख कर दिया है कि अवस्थता के कारण वह आज इसे नहीं लेना चाहते। तो संकल्प पर चर्चा 4 बजे तक चलेगी।

*श्री दल गंजन सिंह —

मान्यवर, हम अपने कांग्रेस के माननीय सदस्यों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सदन के सामने एक संकल्प पेश किया है जिस पर हम लोगों को विचार करने का अवसर मिला है। हम भी बुन्देलखंड के हैं और बुन्देलखंड में ही जिला जालौन है। पांच जिलों से मिल कर बुन्देलखंड बना है, झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर और ललितपुर,। मान्यवर, हम यही कहेंगे कि बुन्देलखंड के विधायक कमजोर थे या उन के अन्दर इतना साहस नहीं था कि बुन्देलखंड के साथ संघर्ष कर सकें। हमें आज खुशी है कि यह संकल्प कांग्रेस के सदस्य की ओर से आया है हम उन सदस्य महोदय को आश्वासन देते हैं कि तन-मन-धन से बुन्देलखंड के लिए संघर्ष किया जाय और जो भी कुरबानी की आवश्यकता हो उस कुरबानी को दिया जाय। एक बात सदन के सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं और खासतौर से बुन्देलखंड के उन माननीय कांग्रेस के सदस्यों से कि अभी नहीं तो कभी नहीं आज इस सदन के सामने सब मिल कर इस बात का संकल्प करें जो विधायक बुन्देलखंड के हैं कि बुन्देलखंड को उसका हक मिलना चाहिये, वह किसी की कृपा नहीं चाहता।

बजट को देखने से ज्ञात होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये लाखों रुपये झीलों पर खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर पूरे बजट में बुन्देलखंड के विकास के लिये एक भी नये पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है। बल्कि मजाक यह किया गया है कि वहां पर जल संस्थान नाम का एक सफेद हाथी बैठा दिया गया है। एक तरफ सारा यू0 पी0 सस्ते दर पर पानी पाता है लेकिन बुन्देलखंड में पानी का व्यापार किया जा रहा है। आखिर इन ज्यादतियों को कब तक बर्दाश्त किया जायगा। इन को बर्दाश्त करना महारानी लक्ष्मी बाई का अपमान करना है। मैं बुन्देलखंड के सदस्यों से यह अपील करूंगा कि हमको मिलकर एक संघर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल गंजन सिंह--]

की शुरूआत करनी चाहिये और उस संघर्ष में जो भी कुर्बानी की आवश्यकता हो उसे हम देने को तैयार हैं। आज बुन्देलखंड की स्थिति यह है कि भैंस का खूंटा अगर गाड़ा जाता है तो एक सोता-निकल आता है जिला जालौन में रास्तों में, खेतों के किनारे, मकानों के किनारे सोते निकल आते है और दूसरी ओर बुन्देलखंड में पानी पीने के लिये लोगों को मुहैय्या नहीं होता। बुन्देलखंड विभिन्नताओं का भंडार है बुन्देलखंड के पास कृषि योग्य भूमि है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं हैं, व्यापार के कोई साधन नहीं हैं। इस सरकार ने कोई भी उद्योग बुन्देलखंड को नहीं दिया। यह बुन्देलखंड के लिये शर्म की बात है। बुन्देलखंड के 5 जिलों में केवल झांसी को छोड़ कर कहीं भी कोई उद्योग नहीं है। माधवगढ़ में कोआपरेटिव सेक्टर में एक मिनी शुगर प्लान्ट लगाया गया है लेकिन वह शुगर मिल क्षमता का 20 प्रतिशत भी शक्कर नहीं निकाल पाती है और जहां तक गन्ने के मूल्य का सवाल है मिल के प्रबन्धक के मन में जो आता है किसान को वही गन्ने का मूल्य देता है आश्चर्य की बात न होगी अगर अब भी उस मिल पर गन्ने का मूल्य बकाया हो। हमीरपुर, बांदा तथा ललितपुर जिले उद्योग में शून्य हैं। केवल झांसी को डेवलप किया जा रहा है जो पहले से डेवलप था। अन्य जिलों की उपेक्षा की गयी है। वहां की स्थिति को देखकर, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न कोई आवागमन के साधन है, न अस्पताल की सुविधायें हैं। जो कुछ है केवल कागज पर ही है।

जहां तक प्रशासन का सवाल है जो नियुक्तियां बुन्देलखंड में की जाती हैं तो ज्ञात होगा कि सबसे अधिक अक्षम और नालायक अफसरों की नियुक्ति वहां की जाती है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम इसको बर्दाश्त करते रहें? प्रत्येक जिले में जो कोआपरेटिव आफिसर जायगा वह नया होगा। अगर प्रशासन चलाने वाले अधिकारी योग्य नहीं होंगे तो प्रशासन का क्या हाल होगा? हमारे मित्र ने अभी कहा वह सही कहा कि बुन्देलखंड में भ्रष्ट अफसरों को ही भेजा जाता है जिनको काम से कोई मतलब नहीं होता। उनको केवल रिश्वत से मतलब है और उनको जिलों से तथा क्षेत्रीय विकास से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां के लिये विकास के रास्ते खोले जायं। अगर आपने बुन्देलखंड के लिये उनके विकास के रास्ते नहीं खोले तो मैं कहता हूं कि बुन्देलखंड सूबे की मांग करेगा और बुन्देलखंड की धरती खून से रंग दी जायेगी। बुन्देलखंड महारानी लक्ष्मीबाई के नारों को याद करेगा और यह सदन भी समझ ले कि बुन्देलखंड जो मांग रहा है वह ठीक मांग रहा है। उसको आसानी से नहीं दबाया जा सकता। यदि उसके लिये विकास के दरवाजे नहीं खोले जायेंगे तो उसे आपको एक सूबे का दर्जा देना होगा।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मुझे भी बोलने का मौका दें। मैं इसका समर्थन कर रहा हू। मैं विषय पर बोलूंगा।

(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें। आपको भी समय दिया जायेगा।

श्री शिव प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुन्देलखंड परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में जो संकल्प श्री शर्मा जी की आया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्मभूमि बुन्देलखंड के अन्दर चित्रकूट में है। मैं समझता हूं कि इसीलिये तो सरकार इस बुन्देलखंड की उपेक्षा नहीं कर रही है। तुलसी और केशव की भूमि है। महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, कहीं इसीलिये तो सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर रही है।

क्योंकि जहां तक शासन की बात है हमारे यहां से दो मंत्री हैं और पहले भी दूसरी पार्टियों के मंत्री उस समय रहे हैं लेकिन बुन्देलखंड परिषद् की स्थापना नहीं हो पायी। मान्यवर, जहां तक चिनगारी की बात कही गई है, मैं बुन्देलखंड प्रान्त की स्थापना की बात तो नहीं करता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर एक चिनगारी जल रही है और वह किसी भी वक्त एक ज्वाला का रूप ले सकती है। इसलिये इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि बुन्देलखंड परिषद् की स्थापना को आप सही रूप दें, विशेष रूप से वहां सिंचाई की मांग है। यदि बुन्देलखंड को पानी दिया जाय तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह पूरे प्रदेश को अन्न दे सकेगा। वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है। यह कहना गलत है कि वह पठारी क्षेत्र है। वहां केवल मऊ क्षेत्र ऐसा है जो पठारी क्षेत्र है। वहां का किसान एक फसल लेता है और उससे धीरे-धीरे वह अकर्मण्य होता जा रहा है वहां पर उद्योग धंधे और कोई नहीं हैं। मैं वहां के लोगों की मुख्य तीन सिंचाई, शिक्षा तथा उद्योगकी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि हमें सिंचाई के साधन दिये जायं। दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है। हमारे बुन्देलखंड में प्राइमरी स्कूल से लेकर इन्टरमीडिएट तक शिक्षा संस्थाओं की बहुत कमी है। विश्वविद्यालय की जहां तक बात है तो वहां पर केवल रजिस्ट्रार आफिस ही है जो केवल इम्तिहान कराता है। विश्वविद्यालय केवल नाम रखा गया है। अभी तक वहां पर एक भी प्रोफेसर नहीं नियुक्त हो पाया है। इसलिये शिक्षा की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

वहां पर खनिज सम्पदा बहुत है। अतर्रा वहां एक ऐसी जगह है जहां पर कि 43–44 राइस मिलें हैं। धान की भूसी से कागज के कारखाने खोले जा सकते हैं। मानकपुर के जंगल में बहुत से खनिज पदार्थ हैं जिसके द्वारा सिल्का सैंड से कांच के कारखाने तथा वाक्साइट से अल्यूमोनियम के कारखाने तथा तेंदू के पत्ते के कारखाने चलाये जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां की जो खनिज संपदा है उसको गरीबों के काम में लाया जाय। वहां पर बीड़ी उद्योग बड़ी तादाद में चल सकता है क्योंकि तेंदू के पत्ते को बड़े-बड़े ठेकेदार बाहर ले जाते हैं जिससे वहां के मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है। तो मान्यवर, आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि हमारे यहां इन चीजों को मुहइया करें। वहां पर बुन्देलखंड परिषद् की स्थापना करें अन्यथा जिस चिनगारी की तरफ इशारा किया जा रहा है वह अगर वास्तव में जोर से धधकेगी तो फिर वह रुकने वाली नहीं है और कहीं ऐसा न हो कि समय रहते उसका समाधान न हुआ तो वह हमारे काबू से बाहर हो जाय।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुन्देलखंड के बारे में बोलने का अवसर दिया.....।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, आप इतने दिनों से हैं तो कम से कम नियम आप को समझ लेना चाहिये माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वह खड़े होते हैं और अध्यक्ष जिसको बुलाते हैं वह बोलता है (व्यवधान) आप खड़े होकर बोलने लग जाते हैं और सदन का समय बरबाद करते हैं। आप नियमों का अध्ययन कर लें। जब अध्यक्ष से इजाजत मिले तभी भाषण दें। (व्यवधान) जब मौका होगा, आपको समय दिया जायेगा।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं यहां पर बुन्देलखंड के बारे में चर्चा चल रही है। बुन्देलखंड हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्व-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द वर्मा]

पूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण अंग है जैसाकि हमारे दूसरे सदस्यों ने कहा यह राम की कर्म-भूमि है, रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि है इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो बुन्देलखंड की स्थिति है जिसको हम लोगों ने जनता राज्य में देखा है और उस समय वहां के लिए कुछ काम किये भी ऐसा लगता था कि वहां इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। फिर भी जनता राज्य में जितना काम हुआ उससे भी पूरा नहीं हुआ और उसका पिछड़ापन दूर नहीं हो सका। अतिआवश्यक है कि बुन्देलखंड के लिए कुछ ऐसी योजनायें बना जायं जैसी कि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रगति के लिए एक परिषद् बनाई गयी है उसी प्रकार की परिषद् वहां के लिए बनाई जाय। जिसके माध्यम से वहां जो आवश्यक च जे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है और उद्योग धंधे नहीं हैं, वह उसके माध्यम से हों। किसी भी इलाके की प्रगति के लिए यह आवश्यक मुद्दे हैं जो कि अभी माननीय सदस्य ने कहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर एक परिषद् तैयार हो जाय तो वहां की जो तमाम चीजें हैं उनको इकट्ठा करके उन पर कार्य किया जा सकता है। इससे वह इलाका निश्चितरूप से प्रगति कर सकता है।

(इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री, श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए।)

बुन्देलखंड ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है। अगर सारे उत्तर प्रदेश पर निगाह डाली जाय तो जैसे शिक्षा के लिए बुन्देलखंड रो रहा है उससे भी बुरी हालत दूसरे इलाकों की है। मध्य उत्तर प्रदेश भी शिक्षा में पूर्ण नहीं है। अगर कहीं पर शिक्षा की कोई व्यवस्था है भी तो वह कहने को है, स्कूलों को देखने से लगता है कि वह राम और कृष्ण के युग के है और पेड़ के नीचे लगते हैं जिनमें टांट पट्टी भी नहीं है। कहीं मास्टर है तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी हैं तो मास्टर नहीं हैं।

आवागमन के मामले को देखें तो मैं कहूंगा कि लखनऊ के ब हर न जायं यहीं पर देखें तो सतयुग आपको लगेगा आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसका कारण है क्योंकि पिछले 32 साल में जो शासन रहा वह लूट-खसोट का शासन रहा। उसमें तीन वर्ग के लोग रहे एक तो पूंजीपति, दूसरे वह जो पूंजीपतियों के पोषक रहे जिसको हम अधिकारी-वर्ग कहते हैं और तीसरा वर्ग वह है जो आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ गया जिसे गुंडा और क्रिमिनल हम कहते हैं यह तीनों वर्ग मिलकर मुल्क की पूरी पूंजी को खाने का काम कर रहे हैं। जब तक इनके ऊपर अंकुश लगाने क काम नहीं होगा, तब तक इस प्रदेश और देश की प्रगति नहीं हो सकती है, आप परिषदें चाहे जितनी इस प्रकार की बना दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नीति या सिद्धान्त यह है कि जब कभी कोई पूंजीवादी मुल्क पनपता है तो वहां के पूंजीपतियों की यह ख्वाहिश होती है कि वे कहां उपनिवेश बनावें। इंग्लैंड और अमेरिका आदि तमाम पूंजीवादी मुल्कों ने भी यही किया है और उन्होंने अपने उपनिवेश बनाये हैं। यह देश एक समय में पूंजीपतियों का उपनिवेश रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से अब भी यह देश उपनिवेश है। हमारे देश ने कहीं अपना उपनिवेश स्थापित नहीं किया है, इसने कहीं उपनिवेश नहीं बनाए हैं, न बना सकता है, न उसकी बनाने की क्षमता है और मैं यह भी कहता हूं कि यह इस देश की महानता है कि वह कहीं अपने उपनिवेश बनाना भी नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ-साथ गरीबों की कमाई पर उपनिवेश नहीं बनने देना चाहिए। हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि आज पूंजीवादियों के उपनिवेश यहां गांव-गांव में और घर-घर में बने हुए हैं और वे पूरे मुल्क को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां का किसान, श्रमिक और अन्य तमाम पिछड़े लोग कमाने का काम करते हैं और पूंजीपति उस कमाई को लूटने और उसे खाने का काम करते हैं। इस पूंजीपति को आप काला धंधी, जमाखोर, सेठ-साहूकार या विदेश आदि किसी भी नाम से पुकारें, उनके उपनिवेश आज हमारे घर हैं, मोहल्ले हैं। चाहे आप पूर्वी प्रदेश के लिये या पश्चिमी या बुन्देलखंड के लिए

विकास परिषदें बनायें, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आज तो सारे का सारा प्रदेश पूंजीवादियों का उपनिवेश बन कर रह गया है। इसको दूर करने की मिटाने की आवश्यकत है। आज तक इतने कानून और कायदे बने हैं, लेकिन वे हमारे प्रदेश की गरीब जनता को कोई भी राहत देने का काम नहीं कर पा रहे हैं। जबतक यहां से कोई गम्भीर योजना इसके लिए नहीं बनती है, हम रे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। च हे अलग परिषद् कोई भी और कितनी ही बन जाएं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके म ध्यम से सदन और बाहर की जनता से कहन चाहता हूं इस शोषण से छुटकारा पाने के लिए संगठित होकर मुल्क की जनता को लड़ने की आवश्यकता है। आ ज यहां गरीब और अमीर की लड़ाई आवश्यक है। इस लड़ाई को आप दिशा दें, गरीब और अमीर की लड़ाई को आप आज बढ़ावें, जिससे पूंजीवादी अमीरों की ख्वाहिश को चोट लगे और उनके हौसले पस्त हों, जिससे उपनिवेश का ढांचा खत्म हो जाए। इससे प्रदेश की जनता जागेगी, तब इस प्रकार की परिषदें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बुंदेलखंड परिषद् बनाने के बाद, लखनऊ के लिए परिषद् बनाने की बात होगी, उसके बाद गोरखपुर के लिए परिषद् बनाने की बात होगी, तो इस प्रकार से इसका कोई अन्त नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा न तीन वर्गों की असीमित ख्वाहिशों पर रोक लगाने की आवश्यकता है, उनको हम इस सदन में बैठकर रोक नहीं सकते हैं, उसको रोकने के लिए गरीबों को संगठित होकर सड़कों पर निकलना पड़ेगा और मजबूती के साथ जमकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो परिस्थिति इस समय देश में है, उनके लिए कानून बनाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो बुन्देलखंड परिषद् बनाने का प्रस्ताव आया है, उसको हमारा समर्थन है और वह बन जाए तो यह प्रदेश और देश का भाग्य होगा।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी के संकल्प का समर्थन करता हूं, इसलिये नहीं कि किसी क्षेत्रीय भावना को उभाड़ना चाहता हूं या किसी क्षेत्रीय भावना का समर्थन करता हूं। इसलिए भी नहीं कि पर्वतीय क्षेत्र का या अन्य किसी क्षेत्र का विकास अधिक क्यों हो रहा है, बल्कि इसलिए समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, पूरा प्रदेश और देश एक साथ आगे बढ़े और फले-फूलें। इस भावना के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, बुन्देलखंड की धरती बड़ी अभागी है। अभागी इसलिए है कि इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है और इसका विभाजन हो जाने के कारण जो एक जनमत तैयार होता, एक सी स्थिति को उठाने की आवाज बनती, वह नहीं बन पाती है। फलस्वरूप आज वहां की धरती भूखी, प्यासी और नंगी और उपेक्षित सी मालूम पड़ती है जो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देती है। वह धरती सौभाग्यशाली भी है क्योंकि उसने समय-समय पर कुर्बानी के गीत गाये हैं। आज भी बुन्देलों से झांसी की रानी की कहानियां सुनने की मिलती हैं। बांदा के नवाब की भी कहानियां सुनने को मिलती हैं। परमानन्द जी को भी धन्य है जिन्होंने उपेक्षा के कलंक को बरदान बना दिया। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि "सिया राम मय सब जग जानी"। भूषण, बिहारी और मैथलीशरण गुप्त आदि कवियों की वाणी और आदर्श आज भी वहां पर सुनाई पड़ते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सामंत कालीन आल्हा ऊदल के छंद "जात पांत हमते कोऊ नहीं, सिगरे भइया लगौ हमार"। ये समाजवादी विचार आज भी वहां की वाणी में गूंजते हैं। आज वहां की सुन्दरता, वहां की प्राकृतिक छटा भी देखने लायक है,मन मोहक है लेकिन दुर्भाग्य से वह धरती उपेक्षित है। इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र–]

ऐतिहासिक कारण हमारी समझ में यह आता है कि यह धरती हमेशा आजादी की दीवानी रही है, स्वाधीनता को चाहने वाली रही है, इसलिये ही इसने बागी पैदा किए हैं, बगावत करने वाले पैदा किए हैं। अंग्रेजों के जमाने में इस धरती ने क्रान्तिकारी पैदा किए हैं, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले पैदा किए हैं और यही कारण है कि यह धरती हमेशा से उपेक्षित रही है।

मान्यवर, यहां पर बड़ी चर्चा हुयी है कि वहां पर सिंचाई के साधनों का नितान्त अभाव है। यह नहीं है कि हमारी सरकार कुछ करने की चेष्टा नहीं करती है। वह हमको शिक्षा देने की, हमको सिंचाई के साधनों को देने की, हमको सड़कें देने की कोशिश कर रही है परन्तु कितना, वह बहुत थोड़ा और बहुत ही कम है। इसलिए वहां पर बड़ा ही असंतोष है, संतोष नहीं है। उग्रता भी है विचारों में।

आपने विकास निगम की स्थापना की थी। हमें कुछ संतोष हुआ था लेकिन इस विकास निगम के द्वारा आप केवल औद्योगिक विकास करना चाहते हैं लेकिन वह भी न करने के बराबर ही है, आंसू पोंछने के बराबर ही है। हम तो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सांस्कृतिक विकास चाहते हैं, शिक्षा का विकास चाहते हैं, हम हर प्रकार का विकास चाहते हैं। इसी-लिए बिकास परिषद् की स्थापना की मांग की जा रही है। मान्यवर, हमीरपुर जनपद की धरती प्यासी है। वहां पर आपने एक मोधाहा बांध दिया और यह कहा गया कि यह बांध 3 वर्ष में पूरा हो जायेगा लेकिन आज 6–7 वर्ष बीत जाने पर भी वह पूरा नहीं हुआ है। यही नहीं हुआ बल्कि हमारी पिछली जनता पार्टी की सरकार जो आयी थी उसने एक मेहर-बानी यह कर दी। उसकी ऊंचाई चार-पांच फीट कम कर दी और कमांड एरिया भी कम कर दिया। बैजेमऊ और छानी जैसा लिफ्ट इर्रीगेशन योजनाएं चल रही हैं, 12–15 साल से, एक बूंद पानी आज नहीं दिया। कोई सुनने वाला है? जबकि इस हाउस में हम इस बात को अनेक बार उठा चुके हैं। आज हमीरपुर का कोई भी एक नगर का रहने वाला दूसरे नगर में नहीं पहुंच सकता। सारी सड़कें कटी पड़ी हैं। सारे रास्ते बन्द पड़े हैं। लखनऊ तक मुश्किल से आ पाते हैं। एक त्रिकोण बनता है पूरे जिले में तीन सड़कें हैं। इसके अलावा न होने के बराबर हैं, गड्ढों से भरी, टूटी–फूटी। आखिर ऐसा क्यों? हमारी मांग है वहां की धरती इतनी सुहावनी है सुन्दर है। बीजानगर टैंक के सम्बन्ध में लिखा है–वन आव दि फाइनेस्ट लेक्स। बेतहाल दस मील लम्बा, इतना सुन्दर तालाब है। नवाबगंज जिला उन्नाव में झील बनाने में लाखों रुपये खर्च किये। बिना खर्च किये हुए इतना सुन्दर स्थान, इतना सुन्दर तालाब पहाड़ों से घिरा हुआ, कितना रमणीक है। आपने एक पैसा उस पर खर्च किया? आपने उसको सुन्दर बनाने के लिए क्या लागत लगायी? एक ही जबाब मिलेगा कि आपने कुछ नहीं किया। वहां के तालाबों में सिल्ट आ गयी है, वह भर चुके हैं। जिन तालाबों से वहां सिंचाई होती है, उन तालाबों की दशा है कि आज उनका पानी उबराकर ऊपर बह रहा है। आज यह दशा इसलिए है कि आपने उनकी खुदाई तक नहीं करवायी। उनका मेंटिनेंस ठीक नहीं हुआ। जो पानी मिलता था उसको आपने बन्द कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां की धरती सूखी है उसके लिए पानी की व्यवस्था करें। हमीरपुर में डेढ़ सौ गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी न होने के कारण लोगों ने गांव खाली कर दिया, नदियों के किनारे जाकर बसे। लेकिन आप वहां का इंतजाम नहीं कर सके। यह हमारी शिकायत है। आपने इन्त-जाम क्यों नहीं किया पानी पीने के लिए और इस तरह से लोगों को गांवों में सुविधापूर्वक जीवन बिताने का मौका नहीं दिया?

इतने बड़े जिले में तीन डिग्री कालेज हैं। ऐसे भी जिले हैं जिनमें 20–20 डिग्री कालेज हैं। हमारे हमीरपुर जिले में तीन डिग्री कालेज हैं। उनमें भी थोड़े से विद्यार्थियों का प्रवेश हो पाता है। बी0 एस0-सी0 ऐग्रीकल्चर की शिक्षा राठ में होती है। उसमें

120 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बाहर के विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश ही नहीं मिल पाता। मेरी प्रार्थना है कि आप वहां के विकास के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं चलायी है, नदी नालों की भूमि की, और टीलों को समतल बनाने के लिए बुलडोजर भेजे गये हैं, जिस तरह से वहां रिंग मशीनें भेजी गयी हैं वहां के कुंओं को गहरा करने का काम, सिंचाई की व्यवस्था का काम वहां जिस तरह किया गया है उसी तरह से आशा करते हैं कि हमारी सरकार करेगी। हमारी शिकायत यह नहीं है पर्वतीय क्षेत्र का विकास क्यों हो? पर्वतीय क्षेत्र की जनता भूखी है। वहां भी गरीबों है, वहां का भी विकास होना चाहिये। जितना विकास वहां का होना चाहिये था वह नहीं हुआ पर वहां के विकास के साथ-साथ बुन्देलखंड का भी विकास बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है इस संकल्प की भावना को, यह सदन स्वीकार करेगा।

*श्री शिव नरेश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने विधान सभा में, इस सदन में बुन्देलखंड विकास परिषद् बनाये जाने के प्रस्ताव को रखने और उस पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। श्री शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है और उसमें भी हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। प्रदेश के हर कोने-कोने का जहां विकास हो रहा है वहां इस क्षेत्र की ओर, इसके विकास की ओर, ध्यान नहीं दिया गया, इसकी उपेक्षा सदा होती रही है।

मान्यवर, हमारे कर्वी क्षेत्र में, विकास की बात को तो छोड़ दीजिये, लोगों के लिये पीने का पानी तक नहीं मिलता है। कर्वी क्षेत्र के लोग एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं। गर्मियों के दिनों में तो लोग कींचड़ को छानकर उसका पानी पीते हैं। इस-लिये जब तक यह बुन्देलखंड विकास परिषद् नहीं बनाया जायेगा, वहां का विकास नहीं हो पायेगा।

हमारे यहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, पर सिंचाई के साधन न होने के कारण पैदावार नहीं कर पाते। जो लिफ्ट योजना बनायी गयी है उससे थोड़े बहुत क्षेत्र को ही पानी मिल पाता है। सिंचाई के लिये पानी को एकत्र करके, पम्पिंग सेट्स लगा कर, सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

हमारे यहां चिकित्सा का भी अभाव है। 20–20, 30–30 गांव के बीच एक भी प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। बीमार पड़ने पर लोग बिना चिकित्सा के ही दम तोड़ देते हैं। बांदा के मुख्यालय अस्पताल में हालत यह है कि वहां मरीजों के लिये कमरों में एक भी पंखा नहीं है। एक दिन मैं वहां गया था तो मरीजों ने मुझसे कहा कि विधायक जी, हमको यहां से अलग कर दीजिये हम तो यहां की गन्दगी से ही मर जायेंगे। मैंने वहां के अधीक्षक से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। छोटे-छोटे गांवों की तो बात छोड़ दीजिये, मुख्यालय तक में चिकित्सा की ठीक व्यवस्था नहीं है।

हमारे पास कोई और साधन नहीं है कि हम अपने यहां की समस्याओं को रख सकें सिवाय इसके कि यह अवसर जो आपने दिया है इस समय कहें। हमारे यहां शिक्षा का भी अभाव है। कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुये भी हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। अन्य क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

उद्योगों के लिये हमारे यहां इतना रा-मैटीरियल प्राप्त है कि उसी के कारण अन्य दूसरी जगहों पर तो उद्योग लगे हुये हैं पर हमारे यहां उद्योगों का अभाव है। हमारे यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नरेश---]

करवी, मऊ, मानकपुर में काफी रा-मैटीरियल है। तेंदू के पत्तों का हमारे यहां विशाल भंडार है। इसी के करोड़ों रुपयों के उद्योग दूसरी जगह लगे हैं जिसके कारण हमारे मजदूरों का शोषण हो रहा है। ठेकेदारों के द्वारा मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती। अगर वहां तेंदू की पत्तियों का कारखाना लगवा दिया जाय, तो उससे काफी फायदा होगा। एक तो जो ठेकेदार लोग फायदा उठाते है और मजदूरों का शोषण करते हैं, उससे बचत हो जायगी और दूसरे जो गरीब तबका है वह बीड़ी बना कर अपनी गरीबी दूर कर सकता है। बाक्साइड, यह बाक्साइट, मानिकपुर और बराड़ में उपलब्ध है। वहां से ले जाकर उसका मिर्जापुर में उपयोग किया जा रहा है। अगर वहां पर अल्युनियम का कारखाना खोल दिया जाय तो कुछ वहां की समस्या हल हो सकती है। हमारा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। अगर बालू से बनने वाले कारखानेखोल दिये जायं, तो वहां पर सुविधा हो सकती है मान्यवर, यह वह क्षेत्र है, हमारे यहां यह कहावत है-"चित्रकूट चित रम रहे, रहिमन रअवध नरेश, जापर विपदा परत है, सो आवत एहि देश।" भगवान राम के ऊपइ यह कही गयी थी। भगवान राम को जब कष्ट हुआ, तो वह चित्रकूट आये। आज सका उल्टा है। आज हमको इतना कष्ट है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। यह वह जन्मभूमि है जहां कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। मान्यवर, जहां इंग्लैड में सेक्सपियर के लिए इतनी-इतनी चीजें की जा रही हैं, और हमारे क्षेत्र में जो इतने बड़े महापुरुष ने जन्म लिया, उनके लिए एक भी स्मारक नहीं है, जिससे कि लोग शिक्षा ले सकते हैं। मान्यवर, वहां पर एक विकास परिषद् की स्थापना की जाय और शासन के द्वारा हम चाहेंगे कि हमारे बुन्देलखंड की निरीह दशा को देखते हुए तुरन्त ही वहां पर विकास परिषद् गठित करने की कृपा करें।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

मान्यवर, मैं कितनी बार खड़ा हुआ हूं, मुझको अवसर नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठ जाय।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, ये नये सदस्य हैं, कई बार खड़े हुए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रियासत हुसैन, आप अपना भाषण जारी करें। अन्य लोग कृपया बैठ जय।

श्री रियासत हुसैन---

मैं श्रीमन् चन्द्र प्रकाश शर्मा को ...(व्यवधान)..

एक सदस्य---

माननीय सदस्य जो नये हैं, वह करीब-करीब 10 बार खड़े हो चुके हैं और उनको अवसर नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायं।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इसलिए इस बात का समर्थन करता हूं कि आज प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में एक प्रदेश के टुकड़े किये जाने की मांगे चल रही हैं। अगर उसको हम देखें कि उसका कारण क्या है, तो उसका मूल कारण यह मिलेगा कि जो प्रदेश में, चाहे वह पहाड़ हो या बुन्देलखंड हो, उत्तर प्रदेश हो वह शोसली और इकनामिकली बैकवर्ड है और जब शोसली और इकोनामिकली, एजूकेशनली बैकवर्ड कोई क्षेत्र होता है और उसके विपरीत जो दूसरा हिस्सा शोसली, इकोनामिकली, एजूकेशनली फारवर्ड होता है, तो उनको भी ऊपर ले जाना चाहिए।

(व्यवधान) (श्री राम नरेश शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शुक्लाजी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रियासत हुसैन—

इसलिए जब बुन्देलखंड पोलिटिकली किसी भी दूसरे क्षेत्र से प्रदेश में पीछे नहीं रहा देश की आजादी की लड़ाई में भी पीछे नहीं रहा। आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में यहां के बड़े-बड़े वीरों का नाम लिखा जाता है। मैं इन इलाकों में स्वयं गया हूं। यहां की हालत को मैंने जाकर देखा है। प्रदेश के अन्य जिलों से बुन्देलखंड, जालौन और ललितपुर वगैरह की हालत बहुत बुरी है। वहां की गरीबी की हालत को देख कर बड़ा अफसोस हुआ। वहां की पाठा जल संस्थान योजना है, जिसपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, पर सब बेकार, उससे वहां का पिछड़ापन तो क्या दूर होगा वहां के लोगों की छोटी-छोटी समस्यायें भी पूरी नहीं हो रही हैं। जब उनसे यह पूछा जाता है जल निगम वालों से तो वहां के जल संस्थान के जो चेयरमैन है कहते हैं कि हम क्या करें। इसमें 50 हजार रुपये की आवश्यकता है और सरकार वह रुपया दे नहीं रही। तो वहां विकास की संभावना कैसे हो सकती है। वहां के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड किस्म के लोग है, आज इसके म्पूर्ण विकास और उत्थान की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई कार्यक्रम तैयार करे नियोजित ढंग से और विकास तभी सम्भव हो सकेगा, जब कि वहां के विकास कार्यों को विकास बोर्ड को दे दिया जाए।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो कि हमारे प्रदेश से बिल्कुल मिला हुआ भाग है वहां एक सती अनुसुइया गुफा है, जो मैं समझता हूं कि दुनिया का आठवां वण्डर माना जाता है, जिसमें लक्षमण कुण्ड है और सीता कुण्ड आदि है और भी कई मठ व मंदिर हैं ऐतिहासिक, जिनकी आज देखभाल की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उन स्थानों को बोर्ड के सुपुर्द कर देना चाहिए। उसी से मिले हुए जिले में खजुराही है, जिसका महत्व आज पूरी दुनिया में है। इसे भी विकास बोर्ड को दे देना चाहिये। तभी मैं समझता हूं कि यहां का पिछड़ापन को दूर कर अगर तरक्की करनी है एजूकेशनली, शोसली और इक्नामिकली तो आपको योजनाबद्ध तरीके पर कार्यक्रम बनाना होगा और ऐसे स्थानों को डेवलपमेन्ट बोर्ड को सुपुर्द करना होगा। श्रीमन्, इन बातों के साथ इस प्रस्ताव का मैं दिल से समथन करता हूं और इसके साथ ही आपका ध्यान कारपोरेशन की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आपके जितने भी निगम चल रहे हैं, सब के सब नुकसान में चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो सके तो आप इन क्षेत्रों को आपको विकास बोर्ड को सौंपना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूरी तौर पर समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप निम—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 32-33 साल गुजरने के बाद भी पिछड़ेपन पर चर्चा हो रही है। यह पिछड़ा हुआ देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी भी सब मुल्कों से ज्यादा है और आज चायना दुनिया की तीसरी शक्ति में गिना जाता है जो केवल इस देश से दो साल बाद आजाद हुआ। यहां पर जितनी समस्याएं है, शायद ही किसी दूसरे मुल्क में हों। यहां के हर क्षेत्र का एक ही हाल है चाहे रुहेलखंड हो, चाहे बुन्देलखंड हो और कुमाऊं या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो। इस तरह अवहेलना पर काबू और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यदि सरकार समय से ध्यान नहीं देगी तो यहां भी कुछ समय बाद वही हालत होगी जो आज आसाम में चल रही है, वह इस प्रदेश में भी फैलेगी। मुझे खुशी है कि शासक पक्ष ने इस बारे में सोचने की बात की है और इसके बारे में एक प्रस्ताव रखा है एक संकल्प रखा है। बड़ा अफसोस होता है कि उनके हाथ में सत्ता है वहां का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अभी सत्ता पक्ष के कुछ लोग कह रहे थेकि इस बजट के अन्दर बुन्देलखंड के लिये किसी प्रकार के विकास किसी प्रकार के एजूकेशन का बजट नहीं रखा गया है ? तो कैसे विकास होगा ? कैसे वहां के लोग जीवन बिता रहे है कि आज भी 32-33 साल की आजादी के बाद भी वह गुलामी और आजादी में कोई फर्क नहीं समझते हैं ? रोज अखबारों में निकल रहा है ? मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज भी बांदा के अन्दर वही अत्याचार, वही सामान्ती प्रथा और वेगार की प्रथा है। कैसे वहां का विकास होगा ? यह सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके लिये इस तरह के कानून व्यवस्था करें। इस तरह कानून बनाये कि जिस तरह से सम्पूर्ण रूप से सारे प्रदेश का विकास हो। क्या कारण है कि आज लोग विकास की बात कर रहे हैं ? 33 साल तक सत्ता में रहे है। कभी-कभी चर्चा होती है तो ढाई वर्ष के जनता राज्य की बात करते है। लेकिन अपने काले कारनामों को भूल जाते है कि इतनी लम्बी अवधि तक रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह बेलची काण्ड हो या अल्मोड़ा का काण्ड हो हरिजनों के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं दे पाई है यह सरकार। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो 1976 में देश के अन्दर इमरजेन्सी लागू की। उस समय आदेश था कि कोई व्यक्ति तार काटता हुआ मिले तो उसे तुरन्त गोली मार दी जाय। लेकिन आज हरिजनों को जिन्दा जलाया जाता है उनकी बारात नहीं चलने पाती और यह शासन विकास की बात कर रहा है। मुझे अफसोस होता है कि यह लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं क्यों नहीं इस्तीफा देकर इधर आकर बैठते ? मैं कहता हूं कि इस सरकार का रवैया बदले और उस रवैया को बदलने के लिये सत्ता पक्ष के लोगों को सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि तब तक किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है जब तक वहां शिक्षा का प्रचार नहीं होगा। जो सामान पैदा होता है जो कच्चा माल है उसको बाजार तक ले जाने का साधन जब तक न हो, विकास नहीं हो सकता है। जनता सरकार ने लोकदल की सरकार ने एक प्लान बनाया था अन्त्योदय योजना। अन्त्योदय कार्यक्रम में आर्थिक प्रोग्राम था ग्रामीण विकास के लिये। लेकिन इस सरकार ने इस बजट में ऐसी कोई कार्यवाही या ऐसी कोई योजना का प्राविधान इसमें नहीं किया। यह पिछड़ापन मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि जब शरीर का कोई अंग गलने लगता है तो डाक्टर उस अंग को काटकर निकाल देता है। कहीं ऐसी स्थिति इस प्रदेश के अन्दर न हो इस तरह की भावना न आ जाय, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि हम कुर्बानी भी कर देंगे जान दे देंगे अगर वहां का विकास न हुआ तो। मैं कहता हूं कि स्थिति समझे कहीं ऐसी ज्वाला न भभक उठे कि आपको नेस्तनाबूत कर दें। चीन आज दुनिया कि तीसरी ताकत बन चुका है जो दो साल बाद आजाद हुआ था। क्या कारण है क्यों ऐसा है ? मैं कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने नेता का जैसा चरित्र होता है, उसकी नीति भी वैसी होती है। तो आज सत्ता दल उन पूंजीपतियों की तिजोरियों से पैसा लेकर आया है इसलिए वह गरीबों की

बात कैसे कह सकता है। उन्हीं लोगों के लिए उद्योग लगाने हैं, कानून बनाने हैं, उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ करना है। वे नहीं जानते हैं कि रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड के लिए क्या करना है। अगर टाटा, डालमिया कह दे कि हमें कानपुर में कारखाना लगाना है तो सरकार लाइसेंस दे देती है। लेकिन बांदा, रुहेलखंड में कारखाना लगाने के लिए नहीं कह सकती। मोदी पार्लियामेंट में कह सकते हैं खड़े होकर कहते हैं कि पचास एम० पी० मेरी जेब में रहते हैं क्योंकि उन्हीं के पैसे से जीत कर आते हैं। उनके मुनाफे के लिए सब कुछ कर सकते हैं गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सत्ता दल जब तक उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, जब तक उसका मन, भावनायें भी अच्छी नहीं होंगी वह कभी भी इस तरह का कानून नहीं बना सकता है न कोई विकास कर सकते हैं। विकास के लए सत्ता की जेहनियत होनी चाहिये तभी विकास का देश और प्रदेश में कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।

*श्री राम औतार दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे दल के श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा द्वारा आज का यह संकल्प बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करने के लिए है। यह निश्चित रूप से सराहनीय है। बुन्देलखंड के बारे में दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। बुन्देलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, तरक्की क्यों नहीं हुई, सिंचाई के साधन क्यों नहीं उपलब्ध कराये गये, उद्योग क्यों नहीं लगाये गये, शिक्षा का विकास क्यों नहीं हुआ इसके बीच कुछ राज है और आज यह संकल्प इस बात को प्रतिबिम्बित करता है कि अगर बुन्देलखण्ड के लिये कोई विकास परिषद् बना दिया जाय तो शायद ये चीजें वहां दूर हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात और मेरा अनुमान यह है कि शायद बुन्देलखंड को वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई योजना अभी तक सरकार ने नहीं बनायी है। उसके बनाने के लिए वहां क्या कमियां हैं, उन को दूर करने के लिए, वहां किस तरह से उसको पूरा किया जाये इन सबके लिए हमारे मित्र ने आज यह संकल्प इस विधान सभा में रखा है। क्या कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अध्ययन होना चाहिए और उसके लिए कोई न कोई ऐसा परिषद् जैसा कि आज चर्चा में आया है, वहां निगम बनाया गया है, उसकी जगह पर अगर बुन्देलखंड विकास परिषद् बनाया जाय तो उसके माध्यम से बुन्देलखंड की स्टडी की जाय, उसके अनुसार प्रारूप का अध्ययन किया जाय। जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ललितपुर में कहां-कहां कठिनाइयां हैं, उनके निराकरण किस प्रकार हो सकते हैं, वहां पर कौन सी चीजें उपलब्ध हैं, उनके लिए हम वहां पर कौन से सम्यक् उद्योग लगा सकते हैं, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं यह सब देखना पड़ेगा। जैसा हमारे एक मित्र ने बताया कि वहां पर बड़ी खनिज सम्पदा है। उसका उपयोग हम यहां उद्योगों में किस तरह से कर सकते हैं, कौन से उद्योग लगा सकते हैं जिसस कि वहां की सम्पदा का उपयोग हो सके। इसके माध्यम से बुन्देलखंड तरक्की करे। हर तरक्की के लिए हमें साधन चाहिये, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिये जो वहां का अध्ययन कर सके। मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने संकल्प को देखा है, अध्ययन किया है, पढ़ा है, कि हमारे माननीय सदस्य का संकल्प रखने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि वहां पर कोई ऐसा विकास परिषद् बनाया जाय जिसके माध्यम से वहां की स्थिति का अध्ययन हो सकें, वहां के लोगों की कठिनाइयां जानी जा सकें और उन कठिनाइयों का निवारण करने के लिए सम्यक प्रारूप तैयार किया जा सके। कुछ लोगों ने पिछले इतिहास को दुहराया है, कुछ लोग साहित्यिक क्षेत्र में चले गये, उन्होंने तुलसीदास को याद किया, केशव को याद किया। कुछ लोग वीरता के क्षेत्र में जल गये, उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम की प्रेणना रानी लक्ष्मी बाई की याद दिलाई। मेरा विश्वास है कि ऐसे लोग उन्हीं क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहां किसी न किसी चीज की कमी होती है। बुन्देलखंड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम औतार दीक्षित---]

में अगर कमी न होती, बुन्देलखंड पिछड़ा न होता तो यह विभूतियां उस क्षेत्र में कदापि पैदा न होतीं। यह विभूतियां ऐसे ही क्षेत्र में जन्म लेती हैं जहां कोई न कोई कमी होती है। हमारे मित्र ने याद दिलाया कि कमल कीचड़ में ही पैदा होता है।

एक सदस्य---

तो कीचड़ में ही रहने दीजिए।

श्री राम औतार दीक्षित---

आप सोचिये। हमारे मित्र शायद भूल गये। मैं इस चर्चा में एक बात कहूंगा। वह चर्चा है ध्यानचन्द की। हमारा बुन्देलखंड ही ऐसी जगह है जिसने ध्यानचन्द्र जैसे हांकी के सम्राट को पैदा किया। इतने बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम न आने के कारण ही मुझे इस पर चर्चा करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर विकास परिषद् का होना बहुत जरूरी है। हमारे मित्रों ने, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, वहां की जो समस्यायें रखीं हैं, उससे किसी भी व्यक्ति का हृदय जर्जर हो सकता है। जहां पर पीने का पानी उपलब्ध न हो इससे बड़ी दु:ख की बात क्या हो सकती है। आज पीने के पानी की समस्या ऐसी समस्या है जिसके बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। बुन्देलखंड वह क्षेत्र है जहां आज भी पानी उपलब्ध नहीं होता। शर्म की बात है कि 33 साल में आज तक इस ओर प्रगति नहीं की। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के अन्दर विकास परिषद् बनाया जाय जिससे वहां का अध्ययन हो सके और उसके मांध्यम से कदम उठाये जायें और गरीबी दूर की जा सके। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायें। सरकार द्वारा बुन्देलखंड को भी उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर ऐसा तारा बनाने की कोशिश की जानी चाहिये कि प्रदेश के अन्दर पिछड़ेपन में जो उसका नाम आता है वह दूर हो सके। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास परिषद् का गठन इस पिछड़े इलाके में अवश्य होना चाहिये। हमारे प्रदेश के उन कोनों की स्टडी की जाये और उन कोनों की कमियां को दूर किया जाये। और जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये भी हर सम्भव साधन हो सकते हैं, उनको उपयोग में लाया जा सके।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर जी ने बुन्देलखंड के लिये जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस प्रदेश ने केवल दो ही दानव पैदा किये हैं। एक है व्यक्तिगत बराबरी और दूसरा है विषमत तो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। पांच साल की योजना बनाने जा रहे हैं और वह बराबर कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विषमता को खत्म करना हमारा बुनियादी लक्ष्य है।

(इस समय 3 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

लेकिन, मान्यवर, बड़ दु.ख के साथ कहना पड़ रहा है कि योजना में जो रकम लगायी जाती है, उसका आधार वहां की जनसंख्या का घनत्व है। इसी हिसाब से पूंजीनिवेश होता है। मान्यवर, बुन्देलखंड इस मामले में जरूर बड़ा दुर्भाग्यशाली है क्योंकि जन संख्या का घनत्व वहां सबसे कम है। 186 व्यक्ति प्रति किलोमीटर क हिसाब से यह घनत्व वहां आता है और 71 की गणना के हिसाब से करीब 5–0 लाख की आबादी वहां पर थी जो अब बढ़कर 60/65 लाख हो गयी है। लेकिन जो आपने पर्वतीय विकास के लिये एक बहुत बड़ा बोर्ड बना रखा है, वहां के लिये पर्वतीय विकास मंत्री जी ने कहा कि इस साल वहां की वार्षिक योजना में 83 करोड़ रुपये रखा है जो करीब-करीब हिमाचल प्रदेश के बजट के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर है। इतनी बड़ी रकम केवल पर्वतीय विकास के लिये रखा गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे भी इलाके हैं जहां जनसंख्या का दबाव कम है लेकिन वहां का विकास अत्यन्त आवश्यक है। अगर वहां उसी तरह से पूंजी निवेश किया जाय तो उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाय जा सकता है। पिछले 30 वर्षों में बुन्दलखंड के लिये जो पूंजी निवेश हुआ वह बहुत कम रहा और इस कारण वहां प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी रही है। मान्यवर, यह क्षत्र ऐसे पहाड़ों पर बसा है, जो दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जो बुन्देलखंड में आते हैं। जब हम आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि मध्य प्रदेश के वे जिले जो बुन्देलखंड में आत हैं, हमारे सूबे के बुन्देलखंड के जिलों से काफी आगे बढ़ गये। प्रदश के पूर्वी तथा अन्य क्षेत्रों में जो पूंजी लगायी गयी, उसके परिणाम ये हुए कि आमदनी, साक्षरता, सड़क और अस्पतालों की दृष्टि से बुन्देलखंड निरंतर पीछे हो गया। आपकी सरकार के जो आंकड़े हैं, उनको, मान्यवर, सदन के सामने रखना चाहता हूं। 'प्रास्पक्टिव डेवलपमेंट आफ उत्तर प्रदेश' यह योजना संस्थान की एक पुस्तक है। इसमें लिखा है कि प्रति हजार स्क्वायर किलोमीटर जो सड़कें हैं पहाड़ में हजार पीछे 72 किलोमीटर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदश में 158 कि0 मीटर है, मध्य उत्तर प्रदेश में 145 किलोमीटर हैं, पूर्वीय उत्तर प्रदेश में 155 किलोमीटर है और बुन्देलखंड में केवल 114 किलोमीटर हजार पीछे सड़कें हैं। इस तुलनात्मक दृष्टि से बुन्देलखंड प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका मालूम देता है।

साक्षरता के हिसाब से हजार पीछे पहाड़ में 310 व्यक्ति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 223, व्यक्ति हैं—चाहे समृद्धि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना ही आगे हो, लेकिन साक्षरता के हिसाब से औसत बहुत कम है। साक्षरता का औसत मध्य उत्तर प्रदेश में 230, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 199 और बुन्देलखंड में 225 है यानी पहाड़ों से भी इसकी बराबरी पीछे आती है साक्षरता के हिसाब से।

अब अस्पतालों के बारे में देख लें। पहाड़ों में 9, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2, मध्य उत्तर प्रदश में 3, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 और बुन्देलखंड में 3 अस्पतालों का औसत है। तो, मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि योजना में इस हिसाब से पैसा लगाया है कि पूंजी निवेश न होने की वजह से, पैसा न लगाने की वजह से बुन्देलखंड निरंतर पीछे चला गया। इसी तरह से कृषि विकास की दृष्टि से वहां सिंचन क्षमता बढ़ायी जानी आवश्यक है। उसके लिये आपकी सरकार..... सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। लेकिन जो आपकी योजना बनाने वाले दिमाग हैं, वे सचिवालय की चौहद्दी में स्थायीरूप से बैठे हुए हैं और जिस दिमाग से वह इन योजनाओं को बनाते हैं हम उनको उसी रूप में मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आप दिल्ली से इतना धन लाये हैं लेकिन उस योजना कि प्रारूप उन लोगों ने बनाया है जो स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, जब तक उनके दिमाग में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी तब तक आप इस असंतुलन को दूर नहीं कर पायेंगे। वहां पर कृषि की संभावनाओं के बारे में मैं कह रहा था। जब तक वहां सिंचन क्षमता को आप नहीं बढ़ायेंगे तब तक कृषि की उन्नति नहीं होगी। वहां पर अथाह जल संपदा है। आप कहते हैं कि वहां पत्थर हैं, बीहड़ हैं, जमीन समतल नहीं है इसलिये सिंचाई नहीं हो पा रही है। एक योजना बनी थी कि बीहड़ों को बराबर करके आप नदी के जरिये सिंचाई की व्यवस्था करेंगे लेकिन उस सिंचन क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये हैं। विश्व बैंक को भी आप वहां पर लाये परन्तु आज तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। उद्योग धंधों की वहां पर बढ़ाने की बात है। 1972 में पूरे उत्तर प्रदेश में 4359 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स थीं। जिसमें से केवल 42 इकाइयां बुन्देलखंड में थीं, यह आपके आंकड़े बताते हैं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वहां पर उद्योग धंधे नहीं हैं। वहां उद्योगों को बढ़ाने की बात है,

[श्री मोहन सिंह-]

वहां उद्योग हैं, वहां मैंने देखा कि मऊ रानीपुर में हाथ से जो कपड़ा टेरीकाट का बनता है उतना सुन्दर कपड़ा गुजरात की किसी मिल में नहीं बनता है। लेकिन जो उस उद्योग का विस्तार संभव हो सकता है, शासन के प्रयास के जरिये वह नहीं किया जा रहा है। बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि वहां पर सूत का कारखाना झांसी में या जालौन में खुलेगा लेकिन यह प्रयास खटाई में पड़ा हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मऊरानी पुर का कुटीर उद्योग जिसके जरिये आप बारीक कपड़ा बना सकते हैं, उस हथकरघा उद्योग को पूरे बुन्देलखंड में शासन फैला सकते हैं। वहां पर एक झांसी विश्वविद्यालय है। सही बात है कि वह एक दफ्तर है, कार्यालय है। वह आवासीय विश्वविद्यालय नहीं है केवल प्रसाशकीय विश्वविद्यालय है। वहां पर कृषि की अनन्त संभावनायें हैं। शहीद चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। वहां पर आप कृषि संबंधी शोध कराते हैं। क्या अच्छा हो कि बुन्देलखंड की धरती पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जो कृषि संबंधी समस्यायें जो हैं उनका तात्कालिक हल निकाल सके ?

मेरे मित्र शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि जब विभाजन होने लगेगा तो दल के अनुशासन को मानते हुए उस पर वह मजबूती के साथ टिकेंगे। यदि आप मानते हैं कि बुन्देलखंड का इतिहास छत्रसाल का इतिहास है, बुन्देलखड के इतिहास ने महारानी लक्ष्मी बाई को जन्म दिया है तो उस पक्ष में बैठकर यदि राजकुमार संजय सिंह दिल्ली की सारी योजनाओं का मुंह अपनी अमेठी की ओर मोड़ सकते हैं तो भाई चन्द्र प्रकाश शर्मा इनका मुंह थोड़ा बांदा की ओर मोड़ सकते हैं। आप 4-4 उर्वरक कारखानों को प्रदेश के लिये लाये। इनको कहां पर लगाया जाय इसके लिये आपने एक इंजीनियरों की कमेटी बनायी है। लेकिन अमेठी में खोलने की घोषणा पहले कर दी गयी है। वहां पर इसकी उपयोगिता होगी या नहीं, कच्चा माल वहां पर है या नहीं इसके लिये आपने जो कमेटी बनायी है उसकी संस्तुतियों के बगैर आपने वहां कारखाना लगाने की घोषणा कर दी तब बुन्देलखंड के लिये घोषणा क्यों नहीं की जा सकती ? भाई सुखपाल सिंह, भाई शर्माजी मजबूती के साथ कहें कि यदि एक उर्वरक कारखाने की घोषणा अभी हो गयी है तो इस संकल्प को हम जब प्रेस नहीं करेंगे जब हमारे नियोजन मंत्री कम से कम एक उर्वरक कारखाने को बुन्देलखंड में खोलने की घोषणा करें। कम से कम आप इतना ही वहां पर करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, आप संविधान में मानते हैं कि जो परंपरागत दृष्टि से उपेक्षित जातियां हैं उनको हम कहते हैं कि नौकरी में विशेष अवसर देंगे। तो उसी तरह परम्परा से जो पिछड़े इलाके हैं उनके विकास के लिये कोई वैधानिक गारन्टी क्यों नहीं देते हैं ? वह इसलिये नहीं देते हैं कि चूंकि यहां सचिवालय में जो बैठकर योजनायें बनाते हैं वह उन पिछड़े इलाकों कोकुछ देने वाले नहीं हैं।

मान्यवर, नियोजन मंत्री जी को सब जानकारी है इसलिये उनको चाहिये कि वह पिछड़े इलाकों के लिये विशेष योजनायें बनायें। जो मंडलीय विकास योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के विकास के लिये 1963 में बनायी गयीं और भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्व0 जवाहर लाल नेहरू ने पूर्व के 4 जिलों को उदाहरण मानकर पटेल कमीशन को नियुक्त किया था और उस कमीशन ने वहां के लिये कुछ संस्तुतियां की थीं तो उसी तरह बुन्देलखंड के विशेष अध्ययन के लिये कोई कमीशन बनाया जाना चाहिये जो अपनी संस्तुतियां दे जिससे वहां का विकास हो सके। इमरजेन्सी में श्री नारायणदत्त तिवारी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, ने कैबिनेट की मीटिंग हर मंडलीय मुख्यालय पर करने के आदेश दिये थे और जो उस क्षेत्र से संबंधित चीजें हों उनका वहीं पर समाधान हो। तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखंड के विकास के लिये कोई विशेष कमीशन बनाया जाय और जो वह संस्तुतियां दे उनका कार्यान्वयन हो तो ऐसा संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा ने इस संकल्प के द्वारा बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों की ओर जो ध्यान आकर्षित किया है और इस संकल्प के संबंध में जो दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं।

मान्यवर, हमारी सारी योजना का उद्देश्य और किस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं उसमें ज ं हमें देश में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना है वहीं प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को भी दूर करना है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा है और उसमें बुन्देलखंड पिछड़ा है इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिये कल सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि हम अपनी योजना में यहां की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा रखना चाहते हैं। तो जो श्री मोहन सिंह ने विकास की पूंजी निवेश के सं बंध में कहा है मैं उससे सहमत हूं लेकिन मैं इस बात की जानकारी उन्हें देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड की विषमता को दूर करने के लिये, पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, बुन्देलख ंड की जो आबादी है वह 4.9 प्रतिशत हमारे प्रदेश की है। आबादी को देखते हुए हमने 8 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि की वहां के लिये व्यवस्था किया है। इसलिये पूंजी निवेश ज्यादा दिया है आबादी से। इसलिये जो नीति हम अपनाना चाहते हैं वह बुन्देलखंड और प्रदेश की हजारों जनता के बारे में एक नीति अपनाना चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिये एक समिति गठित किया है और आशा है कि उस समिति के जो सुझाव प्राप्त होंगे और उसमें विशेषज्ञों की जो राय होगी उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। हमने अपने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान और विकास तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो तात्कालिक दीर्घकालिक, समयबद्ध, ठोस और निश्चय कार्यक्रम तैयार करेगी और उसके कार्यान्वयन हेतु अपनी संस्तुति देगी।

कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी दोहराना चाहता हूं कि जो योजनायें बनाई जायंगी उनका कार्यान्वयन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनसे उन क्षेत्रों में लाभ हो रहा है या नहीं, इसके लिये मूल्यांकन और मोनिटरिंग पद्धति को मजबूत बनाया गया है।

मान्यवर, इस वर्ष हमने दस करोड़ रुपये से एक क्षेत्रीय विकास निधि का सृजन किया है और इस निधि से हम राज्य के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों की योजनाओं के लिए, उनके कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध करायेंगे जो किसी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए तत्काल आवश्यक होगा।

एक निर्णय पर हम लोग विचार कर रहे हैं जिसकी ओर माननीय मोहन सिंह जी ने संकेत किया था कि वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय स्थानीय स्तर पर लिये जा सकें। इसके लिए भी हम वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे के विकेन्द्रीयकरण पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। शीघ्र निर्णय करेंगे तथा विकास संबंधी प्रश्नों पर शीघ्र निश्चय हो सकेगा।

एक दो बात मैं और कहना चाहता हूं। बुन्देलखंड में भी एक विकास निगम है। मैंने स्वयं विकास निगमों के कार्य-कलापों को देखा। बुन्देलखंड का विस्तृत दौरा मैंने किया है। मैं इन निगमों के कार्य-कलापों से, प्रगति से, संतुष्ट नही हूं। इनके कार्यकलाप बदलने चाहिए। इसके लिये हम प्रयास करेंगे।

जो समिति बनाने की बात है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर समिति बनने से राज्य स्तर पर गठित होने वाली समिति पूरी हो जाती है। पूंजी निवेश की जो बात है, जैसा मैंने निवेदन किया, हम पूंजी निवेश करने जा रहे हैं वहां की आवश्य-

[श्री ब्रह्म दत्त–]

कता के अनुसार। जो जगहें जनजाति बाहुल्य हैं, हरिजन बाहुल्य हैं, अनसूचित जाति बाहुल्य हैं, उनकी ओर विशेष रूप से अपना ध्यान हम देंगे और उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 100 करोड़ रुपया रखा है उसका उपयोग किया जायगा।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमने इसके बारे में जागरुकता दिखाई है; हम चिन्तित हैं और हम माननीय सदस्यों के आभारी हैं कि इन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं इस बात को पुनः दोहरा ता हूं कि चाहे वार्षिक योजना बने चाहे पंच-वर्षीय योजना बने उसका उद्देश्य यह होगा कि हमारी अन्तर क्षेत्रीय विषमता कम हो और उसका लाभ सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को मिले। यह मैं मानता हूं कि बुन्देलखंड के लोग बड़े बहादुर हैं। उनका बहादुरी का, शौर्य का इतिहास है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र से आते हैं। इसलिए अपनी नीति के अन्तर्गत, अपने दल की नीति के अन्तर्गत, इस संबंध में हम लोग काम करेंगे।

मैं माननीय शर्मा जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस समय इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर विचार हो रहा है और राज्य स्तर पर विचार हो रहा है, कृपा कर इस संकल्प को वापस ले लें। मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। आपकी भावना का स्वागत करता हूं। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अनुशासन के नाम पर आपने लक्ष्मीबाई का नाम लिया, प्रातः स्मरणीय हैं, लेकिन अनुशासन उनका भी था और बुन्देलखंड के निवासी अनुशासनशील हैं।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी हमारे नियोजन मंत्री जी ने आश्वासन दिया और जो इस हाउस में सारे सदस्यों ने बुन्देलखंड की समस्याओं पर विचार प्रकट किये और सत्ता पक्ष के सब लोगों ने जो उस पर गहराई से विचार प्रकट किये मुझे विश्वास यह हो जाता है कि अब केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बुन्देलखंड की उन्नति के लिये सरकार कार्यक्रम लायेगी और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया)

काम करने के लिये सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के संबंध में संकल्प

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत किये देता हूं जो निम्न प्रकार है :—

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सरकार, काम करने के लिये सक्षम बेरोजगारों को, जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उचित समझे अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे।"

भाषण मैं अगली बार दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर वाद-विवाद अगली बार होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। उनमें से एक सूचना सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त की स्वीकृति हुई है जो जिला एटा के कासगंज नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना अस्वीकृत है।

जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के नलपुर ग्राम के एक हरिजन के घर में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आग लगाने तथा उसके फलस्वरूप उसकी पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मैं वक्तव्य पढ़ने के पहले एक विसंगति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि नलपुरा ग्राम बिजनौर जनपद में आता है, मेरठ जनपद में नहीं आता है।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर में होनी पाई गयी न कि जनपद मेरठ में। रुढ़े सिंह पुत्र श्री डाल सिंह हरिजन निवासी नलपुरा थाना चांदपुर ने 2-8-80 के सबेरे 5-45 बजे यह सूचना दी कि एक दिन पहले गांव में श्री जगराम सिंह द्वारा दी गयी दरखास्त की जांच के दौरान नरदेव सिंह पुत्र चेतराम हरिजन द्वारा गवाही दी गयी थीजिससे चिढ़कर 7 नामजद अभियुक्तों ने जो बन्दूक तमंचे व मिट्टी का तेल इत्यादि लाये हुएथे, ने नरदेव सिंह के घर आग लगा दी। प्रार्थी द्वारा लिखाई सूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण यह कह रहे थे कि गवाही देने का नतीजा सिखा दो और साले को फूंक दो और यदि कोई बचाने आये तो उसको गोली मार दो। लगाई गई आग के फलस्वरूप नरदेव सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा उसकी स्त्री एवं एक साल की एक लड़की मौके पर ही जलकर मर गयी। इस सूचना के आधार पर थाना चांदपुर पर अपराध संख्या 325 धारा 148/149/436/302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। नरदेव हरिजन को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। रिपोर्ट में नामजद 7 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को उसी दिन अर्थात् 2-8-80 को, एक अभियुक्त को 2/3-8-80 की रात्रि में तथा एक अन्य को 4-8-80 को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष एक अभियुक्त ने 5-8-80 को न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया। प्रश्नगत मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है। मृतक नरदेव सिंह की बृद्ध मां को 500 रु0 की वित्तीय सहायता जिलाधिकारी द्वारा उसी दिन व 5 हजार रु0 की सहायता शासन की ओर से स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्नगत घटना का बागपत घटना के सम्बन्ध में लोकदल द्वारा चलाये गये आन्दोलन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना नहीं पाया गया और न ही इसके परिणामस्वरूप जनता में आतंक एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त होने की पुष्टि हुई। गांव में जाटों व हरिजनों की आबादी व काफी जोर की पार्टीबन्दी है, अतः सुरक्षा हेतु एक सशस्त्र गार्ड तैनात कर दी गई है।

***श्री धरमपाल—**

मान्यवर, इसमें रिपोर्ट दर्ज करने का समय 5.45 बताया गया है। जाहिर है कि थाने तक आने में कुछ समय लगा होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को नामजद किया गया, कैसे उनको नामजद किया गया, कैसे उनको पहचाना गया। वह रिपोर्ट रात की है, क्या उस गांव में प्रकाश की व्यवस्था है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इस मामले की अपराध अनुसंधान शाखा विवेचना कर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि शिनाख्त कैसे की गई, क्या वहां पर प्रकाश की व्यवस्था है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह घटना दो-ढाई बजे की है। अंधेरे में व्यक्तियों को नामजद कैसे किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवेचना हो रही है। उसके बाद ही देखा जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि गवाहों के लिये हरिजन वहां गये और लोग नाराज हो गये। वहां पर कोई पार्टी बन्दी होगी तभी तो इस तरह की घटना हुई। एक कमजोर वर्ग के लोग भी वहां पर हैं जिनके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई पहले से हरिजनों की ओर से दरख्वास्त शासन को दी गयी थी या थाने पर इस बारे में दी गई थी ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना वहां पर न घट सके ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उनकी ओर से कोई सूचना नहीं थी। लेकिन यह मालूम हुआ कि वहां पर मुकदमेबाजी पहले चल रही थी। मैं स्वयं वहां गया था और मैंने उन लोगों से बातचीत की।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जैसाकि मंत्री जी ने अपने बयान में बताया उस गांव में जाटों की और हरिजनों की आबादी है उनमें काफी जोर की पार्टीबन्दी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि जाट लोग वहां पर गुटबन्दी करके हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिससे कि उनके ऊपर दबाव डाला जा सके ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस सम्बन्ध में वक्तव्य में कहा जा चुका है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अभियुक्त थे वे नामजद हैं किन्तु रिपोर्ट में उनका नाम नहीं दिया गया है। उनका नाम आना चाहिये था कि वे फलां फलां हैं और फलां गांव के रहने वाले हैं। उनका पता आना चाहिए था। वह रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो रिपोर्ट करने वाला जाने कि क्यों उसने पता नहीं दिया,मंत्री जी क्या करेंगे।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की बैठक आज के बाद 4 सितम्बर, 1980 को 11 बजे हो और—

(क) 3 सितम्बर, 1980 को होने वाला कार्य 4 सितम्बर, 1980 को और तदनुसार उसके आगे का कार्यक्रम उसके आगे की कार्य दिवस की तिथियों में लिया जाय,

(ख) 4 सितम्बर, 1980 को होने वाला उपाध्यक्ष का निर्वाचन 5 सितम्बर, 1980 को रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया है ।

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक आज के बाद 4 सितम्बर, 1980 को 11 बजे हो और—

(क) 3 सितम्बर, 1980 को होने वाला कार्य 4 सितम्बर, 1980 को और तदनुसार उसके आगे का कार्यक्रम उसके आगे की कार्य दिवस की तिथियों में लिया जाय,

(ख) 4 सितम्बर, 1980 को होनेवाला उपाध्यक्ष का निर्वाचन 5 सितम्बर, 1980 को रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसात्मक घटनाओं पर सदन द्वारा दुख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं.....

श्री मुहम्मद आजम खां—

मुरादाबाद के इस विषय पर मुझे कुछ कहने का आज मौका दिया जायेगा या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी कोई जानकारी मैं नहीं दे सकता ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

स्पष्ट रूप से यह जानकारी नहीं दे सकते हैं तो मैं आज के लिये हाउस में डिसकशन का वाक आऊट करूंगा । [* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं, आपस दरख्वास्त करूंगा आप बिल्कुल बैठ जायं, जरूरी नहीं है । (व्यवधान) यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—[×××] तो मैं वाक-आउट करता हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन छोड़कर चले गये ।)

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 13 अगस्त को ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में और उसके बाद उसी से सम्बन्धित अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, संभल तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसात्मक दुर्घटनाओं पर दुख और गम्भीर चिंता व्यक्त करता है ।

नोट:—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपने प्रस्ताव के बारे में चर्चा आरंभ करूं मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरा यह प्रस्ताव है उसी लाइन में सदन में चर्चा चले और माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि उनकी बहस में ऐसी कोई बात न हो जिससे प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी बात हो और मेरे प्रस्ताव का मकसद हल न हो सके और उसको फिरकापरस्ती के रूप में इस्तेमाल करें। तब फिर मेरे प्रस्ताव का मतलब हल नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, यह बहुत बड़ी दुर्घटना है मैं इस पर बहस आरंभ करने से पहले इस मुरादाबाद की दुर्घटना और उसके बाद दूसरे शहरों में जगह-जगह दुर्घटनायें हुई जिसमें लोगों की जानें गयी या नुकसान हुआ वह चाह जनता के आदमी हों, किसी वर्ग के हों या चाहे सरकारी पक्ष के सरकारी मुलाजिमान हों, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन क दूसरे सदस्य हों सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सदन में मुरादाबाद का जो इतिहास है सन् 46 की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक का उसमें भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को समझने में आसानी हो जायगी। मुरादाबाद जिला प्रदेश के उन जिलों में से है जब सन् 46 के चुनाव हुए तो वहां का सेपरट इलेक्शन था पाकिस्तान बने यान बन इस इश्यू पर पूरा चुनाव हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में मुस्लिमलीग की 64 सीटें थीं . . .

परन्तु उन 64 में से 54 जगहों पर मुस्लिमलीग जीती पाकिस्तान के ईश्यू पर और 10 सीटों पर जो मुस्लिम-लीग हारी थी और कांग्रेस जीती थी, उनमें मुरादाबाद बिजनौर और सहारनपुर के जिले थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुरादाबाद जिला उनमें से रहा है, जिसने हमेशा देश की आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया और उसके साथ रही। उसका परिणाम सन् 46 का एलेक्शन था, लेकिन आज मुरादाबाद की बदकिस्मती और उसकी बदकिस्मती के साथ और भी जिले जुड़ गये कि यह कहा जाने लगा कि यह बड़े सेन्सिटिव जिले हैं। उसकी सजा उसको मिली है और कई तरह से यह सजा उसे बार-बार और भारी मिली है। इसी वजह से वहां मुरादाबाद में म्युनिसिपल चुनाव नहीं हुए। जब-जब चुनाव होने होते हैं, यह रिपोर्ट आ जाती है कि यहां पर टेंशन है और कम्युनिलराइट होने का खतरा है। इसलिये वहां की जनता अपने डेमाक्रटिक राइट से महरूम है। अब मैं यह बता दूं, ईदगाह, जहां से यह झंझट शुरू हुआ, जहां 50 हजार मुसलमान नमाज अदा करने के लिये जमा थे, वहां पर उस ईदगाह गेट से लेकर उस जगह को हमारे मुख्य मंत्री ने भी और अन्य वरिष्ठ मंत्री ने भी देखा है और यहां के अन्य वरिष्ठ सदस्यों नें भी देखा है-ईदगाह, नई आबादी, घोड़ा मोहल्ला, असालतपुरा, सरायं, पीरगेव मुगलपुरा आदि मोहल्लों से होते हुए एक ऐसी आबादी चली गई है, जामा मस्जिद तक ऐसी ही आबादी चली गई है, जो लगातार मुस्लिम वेल्ट है। वह विल्कुल ठोस मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि यह दो थानों का रकवा वहां पड़ता है-एक थाना कटघर और दूसरा थाना मुगल पुरा। एक महीने पहले वहां के एक जावेद नामक आदमी का काण्ड हुआ। उक्त आदमी की मुहल्ला चमारों की पुलिया जो अब इन्दरा चौक कहलाता है, में चाय की दुकान थी, होटल था। वह कुछ पालिटिकल आदमी था, उसके होटल में राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी। उस आदमी की मेरे चुनाव क्षेत्र के ग्राम बीजना गांव, जो ठकुरद्वारा रोड पर है रिश्तेदारी है। वहां वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था और वहां से दो तीन साथियों के साथ वापस आ रहा था। वहां से जब वापस आ रहा था क्रासिंग होने की वजह से वहां 8-10 आदमी हर हालत में वहां हर वक्त बैठे रहते हैं, उन लोगों की कुछ दूध बेचने वालों की कहा सुनी हो गई और गर्मा गर्मी हो गई कहा यह जाता है यह जावेद अपने आदमियों के साथ शराब पिये हुआ था और उसने वहां बैठे दूध वालों को घेर लिया।

जब इनलोगों के साथ झगड़ा और मारपीट हुई तोइनदुध बेचने वालों ने शोर मचाया और उसके शोर पर बगल के गांव चकवेगमसुर के आदमियों और मंदिर पर बैठे लोगों ने उन्हें बचाया और इन लोगों ने इस जावेद वगैरह को बुरी तरह से पिटाई कर डाली। इतना अधिक मारा कि अधमरा जानकर वे लोग उन्हें छोड़ गये। और इसके साथी लोग उसे छोड़कर डरकर भाग गये। इसके बाद जाकर इन लोगों ने टाल दिया-वरियर पर कटघर थाने पर बैठी हुई पुलिस को बताया कि उन्होंने इस तरह से बदमाशों को घेर लिया है और मार दिया है। इसके फलस्वरूप वहां वह पुलि- आई और उसे लेकर थाना कटघर ले गई। उस समय थानाध्यक्ष कटघर श्री शर्मा थे। उन्होंने उस जावेद को कोई मेडिकल ऐड के बजाय, उसे थोड़ा और गर्मा दिया क्योंकि उसकी दुकान में बैठकर राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी। नतीजा यह हुआ कि जावेद की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई।

जब जावेद की पुलिस कस्टडी में डैथ हो गयी तो इसी एरिया में मुवमैंट शुरू हो गये। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी कायम हो गयी। और जब इन्क्वायरी चल रही थी तो दोनों पक्षों ने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ और उसके समर्थन में प्रदर्शन किए कि हमने मारा ह जावेद को अब शायद इस मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हो रही है। असल में बात यह है कि कटघड़ की पुलिस वहां के मुसलमानों से नाराज है। वहां पर लज्जावती का कांड हुआ। उसमें पुलिस के 13 आदमियों को और इन्सपैक्टर को चोट आयी। नतीजा यह हुआ कि वहां पर दोनों थानों के लोग मुसलमानों से नाराज थे और उनकी नाराजगी स्टैन्ड करती थी।

वर्ष 1957 के इलैक्शन हुए जिसमें श्री राहत मौलाई जीत कर आये। म्युनिसिपल बोर्ड का जब इलेक्शन हुआ तो कुल 300 वोट पाये और जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन हुआ तो 2800 वोट पाये लेकिन जब 1957 में मुरादाबाद में रायट्स हुए तो बिना पैसा खर्च किये 11000 वोटों से जीतकर यहां एसेम्बली में आ गये। तो वे उस रिएक्शन के कारण ही कामयाब हुए। 1971 में भी जब इलेक्शन हुआ तो मुरादाबाद में कम्युनल रायट्स हुए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मुरादाबाद रिएक्शन वाला सिटी है। वहां पर ऐक्शन से कोई काम नहीं होता है, रिएक्शन से ही काम होता है।

आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर बाहर के बहुत से लोग आये हुए हैं। मेरा कहना यह है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान वाले मुरादाबाद आते हैं और वे इसलिए आते हैं कि उनकी ईद भी अपने घर पर हो जायेगी और उनके जो रिश्तेदार यहां पर रहते हैं, उनके लड़कों और लड़कियों की शादियां भी तय हो जायेंगी क्योंकि इन दिनों में मुसलमानों के यहां बच्चों की शादियां भी होती हैं। और उन शादियों में शरकत भी कर सकेंगे। तो 500–700 की तादाद में पाकिस्तान से लोग हर साल मुरादाबाद में आते हैं।

अखबारों में आपने यह भी पढ़ा होगा कि वहां पर पाकिस्तान के लोग ओवरस्टे कर रहे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कौन ओवरस्टे करवा रहा था। आप इन्क्वायरी कराइये। एल0आई0यू0 के 500 रुपये बंधे हुए हैं और अगर हिन्दुस्तान की परमानेन्ट दुबारा नेशनैलिटी सिक्योर करना चाहते हैं तो5000 उसके लिए बंधा हुआ है। आपके पास सारे रिकार्डस मौजूद हैं कि कितने लोगों ने ओवरस्टे किया या कर रहे हैं। वह जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें ओवर स्टे करने देते हैं। वे वहां से क्या चीजें लाते हैं, इसकी चैकिंग भी आपके बोर्डस पर होती है। इसकी भी आपकी ही जिम्मेदारी है।

[श्री रियासत हुसैन]

मान्यवर, अब मैं संविधान की धारा 25 और 26 का हवाला देकर अपनी बात कहना चाहता हूं। 15 तारीख को जो गवनर का भाषाण हुआ उसकी मैं 3 लाइनें जो अंग्रेजी के पायनियर अखबार में छपा है, पढ़ कर सुनाता हूं।

"I shall doubt that we are free in all walks of life. Our independence, in fact, is incomplete without getting total freedom to all religions, all sections of the society."

15 तारीख को गवर्नर साहब ने कहा कि जब तक हर मजहब और हर सोसाइटी को आजादी न हो तब तक हमारी आजादी इनकम्प्लीट है। पांच सात मिनट ज्यादा लग जायेंगे।

13 तारीख को घटना हो गयी। घटना को देखने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी भी आये। 14 तारीख को अखबारों में छपी, सबसे पहली सूचना जो सारे सदस्यों ने पढ़ी होगी, वह इक्वल टु एफ0 आई0 आर0 है। 14 तारीख को पत्रिका ने साफ-साफ लिखा--

"The Chief Minister said that the trouble started when the Muslim assembled at the Idgah to offer special prayers, notice the presence of a stray cattle near the congragation'.

जानवर की मौजूदगी वहां इससे एस्टैब्लिश्ड हुई। यही बात उस दिन के अखबार "अमर उजाला" जो हिन्दी दैनिक है और जिसका वहां सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है उसने यह बात कही--

"भारती" के अनुसार लखनऊ में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मुरादाबाद में दंगा उस समय शुरू हुआ जब सुबह कोई सवा नौ बजे ईदगाह में नमाज के समय कहीं से एक सुअर घुस आया है। नमाजियों ने आरोप लगाया कि चारों ओर तैनात पुलिस ने ही सुअर घुसाया है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस पर हमले शुरू कर दिये और पत्थरों की वर्षा कर दी।

टाइम्स आफ इंडिया ने यही रिपोर्ट दी--

"It was officially stated that presence of a stray aniaml near Idgah where Muslims had gathered to offer Id Prayers irked the crowd and brickbatting on police personal followed.'

उसने कहा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो जानवर घुस आया। उसकी वजह से मुसलमानों में गुस्सा पैदा हुआ और पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। यह एस0एस0पी0 साहब का बयान है। यह टाइम्स आफ इंडिया 15 तारीख का ही है--

"He said it was the first time that the riots had taken place in Moradabad on Id.

The Namaz, attended by about 50,000 people, had ended around 9.15 a.m. As the sermon by the Imam was going on there was some commotion outside the Idgah, he said.

When told that a pig had strayed into the area, he immediately sent a posse of police force along with members of a peace committee comprising members of both communities."

एस0एस0पी0 ने कहा कि जानवर घुस आया। पुलिस को भेजकर जानवर को वहां से निकाला। यह एस्टैब्लिश हो जाता है कि जानवर के आने से यह झगड़ा शुरू हुआ। यह कह सकते हैं कि यह कहने की क्यों जरूरत पड़ गयी। इसकी कल अखबार में जो प्रकाशचन्द्र डी0आई0जी0 हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वहां कोई जानवर था ही नहीं। जब तक

गोविन्द साहब इंचार्ज रहे तब तक जानवर था। लेकिन प्रकाशचन्द जब गये, वह कहते हैं कि वहां जानवर था ही नहीं। इसलिए यह चीज एफ0आई0आर0 की शक्ल में कहनी पड़ रही है।

श्रीमन्, अब वाकयात के मुत्तल्लिक कुछ मुख्य-मुख्य बातें कहना चाहता हूं। 16तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान छपा जिसमें उन्होंने कहा कि यह क्लैश पुलिस और माइनारिटी कम्युनिटी के बीच में है। तीसरे दिन यह भी अखबार में निकला कि 108 आदमी मारे गये। यह भी निकला कि 15 आदमी जला दिये गये। यह भी छपा कि वायलेन्ट कन्टीन्यूड है। अनअबेटेड शब्द लिखा है। कर्फ्यू श्रीमन्, 13 तारीख से ही लगा हुआ था। 18 तारीख को एक डेपुटेशन बड़े-बड़े माननीय सदस्यों का और एम0 पीज0 का जिसमें माननीय काजी जलील अब्बासी और नोमानी साहब वगैरह भी थे, मुख्य मंत्री जी से मिले भी थे। यह लोग मुख्य मंत्री जी की परमीशन लेकर मुरादाबाद भी गये। जब यह लोग वहां गये तो जरूर यहां से मुरादाबाद के डी0 एम0 को वायरलेस आदि से सूचना उसकी दी गयी होगी। मगर जब वे लोग मुरादाबाद पहुंचे तो 10 बजे तक स्टेशन पर उनको लेने के लिये कोई अधिकारी नहीं गये, कोई उनका पूसहाल नहीं था। जब उन्होंने स्वयं अधिकारियों से कान्टैक्ट किया और कहा कि जब आप इन्तजाम नहीं कर रहे हैं तो हम खुद ही पैदल आ रहे हैं तब जाकर एक अधिकारी वहां गये और उन सबको इन्सपेक्शन हाउस में लाकर ठहरा दिया और उनसे कहा यह कि आप लोग अपने रिस्क पर शहर का दौरा कर सकते हैं। ए0 डी0 एम0 सिटी0 साहब ने यह भी उनसे कहा कि क्या आपका शहर जाना जरूरी है? हमने स्थिति पर काबू कर लिया है, आपके जाने से फिर हालत बिगड़ सकती है।

कांग्रेस के दफ्तर के नीचे मौसिम मियां का एक कारखाना हैजो लूट लिया गया। स्टेशन के सामने एक मुसाफिरखाना है जो लूटा गया, जो कभी नहीं लूटा गया था। पुलिस वालों ने ही कमरों के ताले तोड़े हैं, सामान को लूटा है और दूकानों को लूटा है।

श्रीमन्, उनकी रिपोर्ट आपके पास भी आयी होगी, उन लोगों ने प्राइम-मिनिस्टर को भी अपनी रिपोर्ट भेजी है। हाफिज मोहम्मद सद्दीक ने जो काम किया है, श्रीमन्, उसके लिये उनको गोल्ड मेडिल मिलना चाहिये था, लेकिन आपकी पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा। आपके सिपाहियों ने उनको भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उस शख्श ने महिलाओं और बच्चों को अपनी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और उसके लिये आपके मेहता साहब फरमाते हैं कि वे अपनी गाड़ी में आर्म्स बांट रहे थे। अखबारों में यह भी छपा था कि एक दूसरे विधायक की जीप में आर्म्स पकड़े गये। नाम नहीं बतलाया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर यह बात सही है तो वे उस विधायक का नाम यहां बतलाये कि किस विधायक की जीप में आर्म्स पकड़े गये वरना मुरादाबाद जिले के 12 विधायक यह समझ सकते हैं कि कहीं हमारी जीप में ही तो आर्म्स नहीं पकड़े गये।

श्रीमन्, जो कुछ सेवा दल के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने आकर कहा इन्सपेक्शन हाउस में, उसी डेपूटेशन से कि हमने दो-चार मस्जिदों को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमने टोक दिया, तो हमें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष——

25 मिनट हो चुका आपका।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे कुछ और टाइम दे दिया जाय । श्रीमन्, बरेली में गिरफ्तारी 370 हुई और ए स0एस0पी0 मेहता साहब ने डिनाई किया है कि कोई फारेन आर्म्स नहीं पकड़ा गया। श्रीमन् 87 लाइसेंसी आर्म्स थे और 7 ऐसे आर्म्स थे जिनका कुछ पता नहीं चला । अब अमर उजाला में 22 तारीख की खबर है कि विधान सभा से साजिश शुरू हुई और सदन खत्म होने पर खत्म हुई । श्रीमन्, उन आदमियों पर मुकदमा भी चलाया गया था जिसका मैंने पहले हवाला दिया था, जिसमें 13 आदमियों को पुलिस वालों से चोट आयी थी । श्रीमन्, एक विधायक की जीप में दो रिवाल्वर और चाकू पकड़ा गया । 13 तारीख को एस0एस0 पी0 मेहता ने कहा कि कोई पाकिस्तानी आर्म्स नहीं था । श्रीमन्, मेरी कंस्टीटूयेंसी में भोजपुरी कस्बा है । वहां पर कुछ बाल्मीकी भाइयों ने शोर मचा दिया कि साहब हमको लूट लिया और जब पुलिस वालों ने इन्क्वायरी की तो पुलिस ने झूंठी खबर के आरोप में उन्हीं लोगों को गलत अफवाह फैलाने में उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया । 20 तारीख को जब मैं शाम को घर पहुंचता हूं, तो पता चला कि वहां पर यह खबर पहुंच गयी कि रियासत साहब को गोली मार दी गयी। वहां पर रोना पिटना पड़ गया था । यह अफवाहों की बात मैं आपको बतला रहा हूं । डा0 कमाल का स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा इम्पार्टेंन्ट है, उसकी मेन-मेन हेडिंग मै बतलाना चाहता हूं । पुलिस की लापरवाही से फिरकावाराना रूप । पुलिस की जरा सी लापरवाही से दंगा हुआ । 25-8-80 के अमर उजाला में छपा है । ईद के दिन पहली बार एक ड्राइवर यह कह कर लेने आया कि वह उन्हें ईदगाह तक पहुंचा देगा, लेकिन दरोगा नहीं हटा । जब कार आ गयी, तो उसके साथ ईदगाह गया । खुतबे के दौरान गड़बड़ शुरू हुई । ईद की नमाज शुकराने की नमाज होती है । 9 बजे नमाज शुरू हुई, 9-5 पर खत्म हो गयी । उसके बाद खुतबा शुरू होता है । इस्लाम के अन्दर खुतबा नाम की चीज होती ही नहीं है बल्कि दुआ मांगी जाती है । रहमुल आलमी, दुनियां में जितने भी लोग हैं, सबको नेक रास्ते पर चलायें । सुअर आने के फौरन बाद पथराव शुरू हो गया । उन्होंने समझा कि यह किसकी स्कीम का हिस्सा है। नगर इमाम ने कहा कि प्रशासन ने मामले को फिरकावाराना रंग दिया है ताकि उनकी नअहली पर पर्दा पड़ सके । वहीं के जो नायब इमाम हैं, मासूम अली । उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने 170 लाशों को गिना था और वह यह चाहते थे कि उनके आखिरी रसूस में शमिल हो तो सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें बेइज्जत किया । वह लाशें श्रीमन् हरथला के पास गड्ढों में फिकवा दी गयीं नमक छिड़कवा कर । जब बी0एन0 सिंह के पास खबर आयी कि सुअर घुस गया मस्जिद में और लोग कहते हैं कि सुअर छोड़ा गया है जान-बूझकर एक प्लानिंग के तहत । इस पर जब लोगों ने शांति रहने के लिए कह तभी पत्थर आने शुरू हो गये तभी आंसू गैस छोड़ी गयी और फिर खूब गोलियां चलीं, जिससे मस्जिद खून से लथपथ हो गयी । डाक्टरों ने कहा कि 163 लाशें बी0एस0 एफ0 का बोरियों में भर कर 11 बजे दीं, लेकिन इस तथ्य से अफसर न इनकार कर रहे हैं जबकि यू0पी0 पुलिस के गार्ड ने कहा कि 200 से ज्यादा लाशें थीं, यह पुलिस गार्ड का कहना है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय हो गया है, 30 मिनट से अधिक हो गये हैं । और पुनरावृत्ति न करें ।

श्री रियासत हुसैन---

चंद जरूरी बातें और कहनी हैं, दो घंटे का समय है इसके बाद नेता विरोधी दल बोलेंगे और अभी काफी समय है । मैं अपनी बात को जल्दी ही खत्म करूंगा ।

यह वाक्या मान्यवर, सुअर की वजह से हुआ है । यह 24 जुलाई, वाला झगड़ा हुआ है अगर यह होशियार रहते तो ऐसा नहीं होता । इंडियन एक्सप्रेस के 26 अगस्त, 80 में

छपा है कि एस0ए स0पी0 मेहता कहते हैं कि 24 घंटों तक फौज और सी0आर0पी0 को यह नहीं बताया गया कि उनको करना क्या है, जिसकी इत्तिला वाइन्ट होम सिक्रेट्री को दी गयी कि फौज मुकामी पुलिस का हुक्म नहीं मान रही है और एस0पी0 श्री टंडन को इस मसले को हल करने के लिये मुरादाबाद भेजा गय है और कोई भी सीनियर अफसर मुरादाबाद की गलियों से वाकिफ नहीं था और फिर बरेली से ए0डी0एम0 को बुलाया गया और श्री गुप्ता को इसलिए कलक्टर बनाकर भेजा गया कि उनका बचपन मुरादाबाद में गुजरा था। काम और भी सख्त हो गया क्योंकि पी0ए0सी0 पुलिस ने खतरनाक गलियों में जाने से इंकार कर दिया था। नसीम खां इसालतपुरी ने कहा कि हम बिरादराना रहना चाहते हैं और जो फितरती हों उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए ।

मान्यवर, इस सिलसिले में यदि नेशनल इन्टेगे रेशन सजेशन को मानकर यह चलते तो यह मौका नहीं आता। उनकी इन्टेगे रिशन सजेशन्स इस तरह हैं ? (1) त्योहारों का मिल-जुल कर मनाना। (2) दोनों तरफ से बर्दाश्त करना और मस्जिद और मुसलमान मुहल्लों से हिन्दू जुलूस निकालते वक्त भड़काने से बचना जैसे मस्जिद के सामने जान-बूझकर जुलूस में जोश लाना और बाजा बजाना वगैरा। (3) एक दूसरे के मजहब के मुताबिक रस्मो-रिवाज की इज्जत करना (4) मूर्तियों की बेइज्जती या दूसरे मजहब की बेइज्जती से बचना (5) हिन्दू और मुसलमान दोनों कुछ जानवरों को पाक और नापाक मानते हैं ।

जगमोहन रेड्डी कमीशन ने कहा कि कानून का पालन कराने वाले सरकारी मुहकमों के लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि हर सूबे में हर जगह पर फिरकापरस्ती बेल करमेल मिल्लते का माहौल बनाये रखेंगे। यह होता तो शायद आज यह न होता। मैं श्री मन् बताना चाहता हूं मुरादाबाद के अन्दर भाई-चारा कितना है। लाल मस्जिद पर यूएन अग्रवाल, राम मूर्ति के गोदाम को मुसलमान भाइयों ने महफूज रखा। श्री अखिलेश को साहेब सिंह ने 13 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अपने घर में रखा और उसके बाद रामपुर भेजा। डा0 अग्रवाल को भी वहां पर दो-चार पत्थर लग गये थे लेकिन जब लोगों को उन्होंने बताया कि मैं तो डा0 अग्रवाल आपका सेवक हूं तो उनको उन आदमियों ने हिफाजत से दूर निकाल दिया। सरकारी अफसर समझकर अग्रवाल पर पथराव हुआ। अब मैं श्रीमन् क्या चाहता हूं मैं श्रीमन् कुछ नहीं चाहता हूं यह अखबार है इसमें प्राइम मिनिस्टर का बयान छपा है जो उन्होंने 18–8–80 को राज्य सभा में वादे किये––

M, p's. Promise

Minorities will be protected Indira assres House, जो उन्होंने वादा किया 18–8–80 को 19–8–80 की पत्रिका में निकला हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है माइनारिटी की सुरक्षा के लिये उसको कैसे रखा जाय। मेरा यह कहना है जो भी ऐसे स्थान हैं वहां पर तजुर्बेकार अफसरों को भेजा जाय उसको ट्रेनिंग सेन्टर न बनाया जाय 4–6 महीने का। मैं कहता हूं यह अफसर कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैंने 12 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से और होम सेक्रेटरी से कहा था लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि ईद के अवसर पर इतनी जल्दी यह हो जायेगा। मैं कहता हूं कि इमीजियेट राइट्स कन्ट्रोल फोर्स बनाई जाय और उसमें सभी वर्गों का हिन्दू मुसलमान, सिक्ख सबका प्रतिनिधि हो। मैं कहना चाहता हूं कि 1857 में जो आन्दोलन हुआ था उसमें भी यही था कि कारतूस के अन्दर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। मैं कहता हूं कि जो हलालखोर हैं गोरखपुर के अन्दर उनको आप क्यों नहीं

[श्री रियासत हुसैन---]

शिड्यूल कास्ट में मानते। वह सफाई का काम करते हैं किन्तु आप उन्हें सिड्यूल कास्ट में नहीं मानते हैं इसलिये वह काम करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनको भी सिड्यूल कास्ट में माना जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाल्मीकी हर जगह मुरादाबाद में मुसलमानों के बीच में हैं किन्तु कभी-भी ऐसा नहीं हुआ जब से इस सरकार ने सुअर पालने का कार्य शुरू कर दिया तब से ऐसी बात हुई है। हर धर्म में कोई न कोई जानवर नापाक या पवित्र माना जाता है। श्रीमन् डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी बनाई जाय। मान्यवर, फारेनर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो पासपोर्ट या बीजा लेकर यहां आते हैं उनका इक्सटेन्शन किसी भी हालत में न किया जाय। जो पासपोर्ट या बीजा जितने अवधि के लिये हो उतने ही दिन उनको रहने दिया जाय। इससे 5 सौ रुपये वाला बात समाप्त हो जायेगी।

लेकिन आपकी इस पालिसी से जो 500 रुपये की है ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कान्सेपेरीसी जिस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह पालिटिकल कान्सेपेरीसी की बात की है। मैं यह कहता हूं कि यह पोलिटिकल मोटिवेटेड है। लेकिन यह जानना, निकालना 36-36 इंटेलिजेंट, अधिकार, हैं, आपके पास शक्ति है, आपका काम है। आपके हाथ में है। उन तत्वों को जो षड़यन्त्र रच कर के आपके पास में, आपके इस मामले में दखलंदाजी करते हैं, उनको रोकना आपका काम है। जब आप इन्क्वायरी करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि इसमें पोलिटिकल कान्सेपेरेसी है। जिससे मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद में यह हुआ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अख्तियार नहीं है। मैं फिर अपील करता हूं कि आज जो चर्चा हो रही है वह असली मुद्दे पर हो ताकि उत्तेजना न पैदा हो। क्योंकि एक अच्छी चीज पर आज चर्चा चल रही है। अन्त में मैं अपनी बात का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मुरादाबाद में जो हिंसात्मक घटनायें हुई उन पर बहस करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् वहां के घटने पर माननीय श्री रियासत हुसैन ने काफी प्रकाश डाला है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रशासन ने सूझ-बूझ से काम लिया होता तो यह घटना कभी न घटती। मुरादाबाद में जिस तरह से नर संहार हुआ ईद की प्रेयर पर वो पशुता को भी मात करने वाला है। इस काण्ड की मिसाल श्रीमन् इतिहास में मिलती है। जलियां वाला बाग के साथ। लेकिन श्रीमन् वह काण्ड हुआ था विदेशी सरकार के जमाने में। लेकिन यह काण्ड अपनी ही देशीय सरकार के समय में हुआ है। इसलिए उससे भी गम्भीर है। जलियां वाला काण्ड इस काण्ड के सामने रो उठा है। श्रीमन् बहुत काफी स्टेट्मेन्ट के बारे में श्री रियासत हुसैन बता चुके हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं पहले यह कहूंगा कि 13 तारीख की घटना के संबंध में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, इन्फार्मेशन रिपोर्ट जो माननीय मुख्य मन्त्री की प्रेस कान्फरेंस में है, श्रीमन् मैं 14 तारीख के हिन्दुस्तान, सभी अखबारों में यह छपा है, "दि चीफ मिनिस्टर कमुनल सेड न्टबुल बिगेन ऐट ईदगाह वेयर सम पीपुल अटैक्ड पुलिसमैन विद स्टोन्स सून आफ्टर सम स्ट्रे कैटिल क्रियेटेड कन्फ्यूजन"।

श्रीमन्, इसके बाद एक और बयान है उसी तरीके का मुख्य सचिव का। "दंगा उस समय शुरू हुआ जब आज सुबह सवा नौ बजे के करीब ईदगाह में नमाज के समय कहीं से एक सुअर घुस आया। नमाजियों ने आरोप लगाया कि चारों ओर तैनात पुलिस ने ही सुअर घुसाया। इस बात पर नमाजियों और पुलिस में गर्मा-गर्मी हो गयी जिसने बाद को हिंसक मोड़ ले लिया। पथराव कर रहे नमाजियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, विफल होने पर पुलिस ने कई राउन्ड गोलियां चलाई जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गये। मुख्य मंत्री जी का मुख्य सचिव का दोनों का बयान मौजूद है। इसमें उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि

पहले गोली नमाजियों की तरफ से चलाई गयी थी या किसी और की तरफ से। सिर्फ पत्थर फेंकने की घटना पर पुलिस ने फायरिंग किया। इसके बाद एस0एस0पी0 का बयान है, इसको मैं छोड़ दूंगा। कांग्रेस (आई) के एम0एल0ए0 मोहम्मद सिद्दीकी साहब का बयान है। यह पढ़ूंगा मान्यवर, थोड़ा सा।

Hofiz Mohammad Siddiqui, a congress(I) MLA Moradabad in statement said that at least 150 persons were Killed in riot mainly by the police firing. Blaming the police for formenting the communal trouble Mr. Siddique said that those killed were mainly innocent persons including children.

मान्यवर, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि सिद्दीकी साहब वहीं के रहने वाले हैं उन्हें ज्यादा जानकारी है। वह कान्सटीट्युएंसी भी उन्हीं की है। वह ज्यादा जानकारी रखते होंगे घटना के बारे में। 14 तारीख का है। सरकार कम बताती है, सिद्दीकी साहब बताते हैं 150 मरे। मैं कहना यह चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन कभी भी सही तथ्य नहीं कहना चाहता। तोड़-मरोड़ कर कहते-रहते हैं। शुरू-शुरू में जो भी बयान आये चाहे प्रशासन की तरफ से हों, विधायक की तरफ से हों, शाही इमाम की तरफ से हों, सबने कहा कि सुअर आया, उस पर स्टोनथ्रो हुआ, पुलिस ने फायरिंग कर दी। टाइम्स आफ इंडिया का है 19–8–80 का, थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं।

Many Namazis had come to the Idgah ith their children. Many Muslims had set up sweet eat and toy shop near the Idgah, can any one believer that a namaazi will start violence when his children are with him

उन्होंने कहा कि ईदगाह में नमाजी पढ़ने के लिए कम से कम आये थे, बाहर भी नमाजी थे। 50 हजार आ सकते हैं। बच्चे भी थें, बूढ़े भी थे, दुकानें भी लगी थीं। तो श्रीमन् कोई भी सरकार जहां पर इतनी बड़ी जमात मौजूद हो तो उसकी तरफ से वायलेन्स नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रशासन को इसकी सूचना थी। एस0एस0पी0 का बयान है, उसमें यह सूचना है, यह चीज है कि पुलिस को पहले से सूचना थी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा।

श्रीमन्, थोड़ा कह दूं। उन्होंने यह कहा कि 10/15 कदम की दूरी पर आपकी आर्म्ड फोर्स मौजूद है।

एक सदस्य—

सुनायी नहीं पड़ रहा। माइक पर बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी गम्भीरता को समझेंगे तो सुन पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कृपया माननीय सदस्य शांत रहें। माननीय नेता विरोधी दल, कृपया आप माइक को पास करके बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि थोड़ा 10/15 कदम की दूरी पर आर्म्ड फोर्स मौजूद थी और थोड़ी दूर पर पूरी आर्म्ड फोर्स मौजूद थी। मेरा कहना है कि अगर वहां पर

[श्री राजेन्द्रसिंह–]

प्रशासन थोड़ा सेंस से काम लिये होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाती। दंगाई कुछ हो सकते है। मैं तो, मान्यवर, वहां नहीं जा सका। प्रशासन ने परमिट नहीं किया। लोकदल का डेपुटेशन गया था। लेकिन प्रशासन ने परमिट नहीं किया। जो कुछ मेरे पास तथ्य हैं, उतने पर ही बोल पाऊंगा। जितनी सूचनायें मिली हैं, उसी के आधार पर कह पाऊंगा। मान्यवर, वहां पर थोड़े से असामाजिक तत्व हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पुलिस राउन्ड-अप कर लिये होती, तो इतनी बड़ी घटना न हुई होती।

मान्यवर, इस चीज को फ्लेयर-अप किया आपके उद्योग मंत्री जी के वक्तव्य ने। मैं समझता था कि उद्योग मंत्री जी के वक्तव्य आने के बाद मुख्य मंत्री जी उनका इस्तीफा जरूर मांग लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्कि उल्टे प्रेशर आया। उनको प्रेसराइज किया गया और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मान्यवर, श्री नश्तर, उद्योग मंत्री जी का बयान है। उन्होंने कहा कि पुलिस की अकर्मण्यता के कारण दंगा हुआ। फिर मुरादाबाद में दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशासन के इस आरोप को गलत तथा निराधार बताया कि मुरादाबाद में नमाज के बाद उग्र भीड़ ने पुलिस पर गोली चलायी थी। उन्होंने कहा कि भीड़ तथा पुलिस के बीच पथराव होने के बाद समीप के गैर-मुस्लिम घरों से कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर गोली चलायी गयी और इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर अंधा-धुन्ध गोली चलानी शुरू कर दी।

श्री नश्तर ने यह भी आरोप लगाया कि वहां स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि इस संघर्ष के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को हिन्दू-मुस्लिम दंगा करार देने के लिये कुछ मुस्लिम तथा हिन्दुओं की दूकानों में आग लगायी गयी।

तो, मान्यवर, ये 17 तारीख को नश्तर साहब के बयान हैं। उनका कन्ट्राडिक्शन 20 तारीख को आता है। जबरदस्ती आता है। क्योंकि उससे तमाम सरकार की इमेज खराब हो गयी थी तो इसलिये उनसे कहलाया गया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सवाल है कि उन्होंने कहा नहीं तो नश्तर साहब का बयान अखबारों में कैसे आया। अगर अखबार वाले गलत निकालते तो अखबार वालों पर ऐक्शन होना चाहिये था। उन्होंने पहले इस तरह का बयान दिया। बाद में उसको फ्लेयर-अप करने की कोशिश की कि इसको इस तरह का रूप दे दिया जाय। इसलिये, मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि श्री नश्तर उद्योग मंत्री का इस्तीफा इस सदन में होना चाहिये।

श्रीमन्, इसके बाद बहुत से स्टेटमेंट्स आते हैं। बहुत से बयानात हैं। इस पूरे तथ्य को, इस घटना को शासक दल ने चाहे प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी हों या माननीय मुख्य मंत्री जी हों, श्री मकवाना, मिनिस्टर फार होम सेंट्रल गवर्नमेंट हों या जैल सिंह हों या साठे साहब हों, सबने ऐसे स्टेटमेंट्स दिये कि तथ्यों का पता ही नहीं चलता–इस तरह से कि जैसे फायरिंग इन दि डार्क, प्रधान मंत्रीजी का बयान है कि 19 अगस्त को स्टेट्समैन में कि–'फारेन हैंड इन दि रायट'। फिर दूसरी मीटिंग में कहती हैं कि–'पोलिटिकल हैंड बिहाइन्ड' पोलिटिकल हैंड भी है। अब, मान्यवर, देखिए कि कितने कन्ट्रेरी बयान आ रहे हैं। 21 तारीख को पी0 एम0 कहती हैं–'कम्युनल रायट पोलिटिकली मोटीवेटेड, पहले फारेन हैंड, फिर पोलिटिकल हैंड, फिर कहती हैं कि कम्युनल रायट पोलिटिकली मोटीवेटेड श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी बराबर अपने बयानों को बदलती चली गयी हैं। उनका ट्रेड बदलता चला गया है। मैं जानता हूं कि यह घबड़ा चुके हैं। क्षमता इनकी प्रशासन चलाने की नहीं रह गयी है। किस तरह यह चुनाव में जीत कर आये इसको मैं फिर बताऊंगा वह लोग अपने प्राइज ले रहे हैं। अब ये पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, आगे देखिए फिर बयान आता है। 29 तारीख को "आज" में बयान आया है कि देश के हाल के दंगों के पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। पहली बार कहा था कि विदेशी ताकतें नहीं

हैं। मान्यवर, हिन्दुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां पर जो झगड़ा हुआ है मुस्लिम संप्रदाय का वह पुलिस के साथ झगड़ा है। वह हिन्दू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। इस बात को इस विधान मंडल के सभी लीडर्स एक स्वर से कहते हैं कि यह कम्युनल दंगा नहीं था। श्रीमन्, इन्दिरा गांधी यह भी कहती हैं कि सरकार के स्थायित्व पर चोट करने के लिये यह दंगा किया गया है। एक बात वह और कहती है कि अरब कंट्रीज के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। श्रीमन्, अब मैं टाइम्स आफ इंडिया, 17 अगस्त से हवाला देना चाहता हूं। अंग्रेजी में है मैं उसकी हिन्दी कर दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

श्री विजय सिंह राना—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री विजय सिंह राना—

[× × ×]

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो माननीय श्री रियासत हुसेन जी ने पेश किया है—"यह सदन दिनांक 13 अगस्त को ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में और उसके बाद उसी से संबंधित अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, सम्भल तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसात्मक दुर्घटनाओं पर दुख और गंभीर चिंता व्यक्त करता है।" मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या इस प्रस्ताव को माध्यम बनाकर माननीय नेता विरोधी दल कांग्रेस सरकार की आलोचना का विषय बना सकते हैं? माननीय प्रधान मंत्री के भाषणों का हवाला देकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के तहत क्या कांग्रेस की नीतियों की आलोचना हो सकती है, क्या कांग्रेस की नीतियां इस बहस का विषय बन सकती हैं?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[× × ×]।

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठ जांय । सभी माननीय सदस्य बैठ जांय ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि माननीय रियासत हुसैन का जो प्रस्ताव आया है इसकी चर्चा जो 4 घंटे चलने वाली है और जो चली है इसके बीच में यदि वास्तव में यह समझते हैं कि यह गम्भीर प्रश्न है और वास्तव में समझते हैं कि प्रदेश और देश से संबंधित यह दिल हिला देने वाला प्रश्न है तो कृपया उस गंभीरता को अपने आचरण से भी सदन में सिद्ध करें ।

माननीय काशी नाथ मिश्र ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर यह कहना है कि यह जो प्रस्ताव सदन में माननीय रियासत हुसैन ने रखा है वह यह कि "यह सदन दिनांक 13 अगस्त को ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में और उसके बाद उसी से संबंधित अलीगढ़ बरेली, इलाहाबाद, संभल तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसात्मक दुर्घटनाओं पर दुख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है । " तो चिन्ता व्यक्त करने में और इस प्रस्ताव पर चिन्ता व्यक्त करने में फर्क है । इसलिये यह प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा कि मरे हुये व्यक्तियों पर यहां कंडोलेन्स हो । पहले जो यह घटना घटी है उस पर दुख है । यह घटना कैसे घटी है और यह घटना भविष्य में न घटे उससे संबंधित जितनी बातें हों वह सब यहां कही जायेंगी ।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, यह भी कह दें कि व्यवस्था के नाम पर श्री काशीनाथ मिश्र जी अव्यवस्था न फैलायें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारे सभी माननीय सदस्य अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से, जिसकी आशा है, इस चर्चा में भाग लेंगे और किसी तरह से उस गम्भीरता को कम नहीं होने देंगे । हम सब को यह अहसास होना चाहिये कि हम किस प्रश्न पर बोल रहें हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि टाइम्स आफ इंडिया 17 अगस्त, 1980 में एक रिपोर्ट आयी, जिसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के एक आफिशियल का जिक्र है, जिसको मैं आपकी इजा-जत से अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं---

"Officials do not rule out concentration of arms and ammunition in the hands of minority community in Moradabad due to pumping in of a large amount of money by some West Asian countries. These countries are investing crores of rupees in an Islamic institute, 5 km. had any problems against each other and lived always like friends." from Moradabad."

इसका मैं हिन्दी में अनुवाद किये देता हूं । उस आफिशियल ने यह कहा कि यह संभव है कि मुरादाबाद में विदेशों से पश्चिमी एशिया से हथियार आ रहे हैं और चूंकि अरब देशों का काफी पैसा इस देश में यूनिवर्सिटी बनाने के लिये आ रहा है तो वह पैसा हथियार खरीदने के लिये भी हो सकता है । इस तरह का बयान इस समाचार पत्र में छपा है ।

तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री का यह कहना गलत हो गया कि चूंकि प्रधान मंत्री का कहना है कि इस देश के अरब देशों से बहुत अच्छे संबंध और ताल्लुकात हैं ।

फिर प्रधान मंत्री ने एक पार्टी मीटिंग में कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि उपद्रवों के पीछे किसी अरब राष्ट्र का हाथ है। अरब राष्ट्र से हमारे बहुत मधुर ताल्लुक हैं। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक हो कर अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। एक तरफ तो प्रधान मंत्री विरोधी दलों का सहयोग चाहती हैं और दूसरी तरफ वही प्रधान मंत्री कहती हैं कि विरोधी दल एक होकर दंगा करा रहे हैं। मैं श्रीमन् फरनिवेदन करना चाहता हूं कि यह फायरिंग इन दि डार्क है। यह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जब कभी ट्रबल सत्ता में हो जाता है तो घबड़ाहट होती है। कहीं न कहीं, किसी न किसी विदेश का नाम ले कर, सीमा पर खतरा बता कर, इन्टरनल झगड़ा बता कर,वह देश की जो मानसिक स्थिति है उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं।

इसके बाद एक और अच्छी बात आती है। मैं तो अच्छी कहूं। श्रीमान्' यह है नार्दन इण्डिया पत्रिका 19 अगस्त का हर गवनमेंट हैड इनहैरिटेड ए ब्रोकन डाउन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। बहुत अच्छा किया। जिस मशीनरी ने उनको सत्ता में बिठाया उसे लात मारना चाहती हैं। उन्होंने मार दी। जिस मशीनरी ने सत्ता में बिठाया उसी को ब्रोकन डाउन शब्द से कन्डैम कर दिया। मैं इसलिए क ना चाहता हूं कि यह कई बार होता रहा। नागरवाला काण्ड का इतिहास हमारे सामने है। नागरवाला का पता नहीं चला। इस ब्यूरोक्रेसी का पता चलेगा उन के राज्य में।

श्रीमन्, फिर एक बयान आया ज्ञानी जैल सिंह, स्वराष्ट्र, मंत्री जी का, पुलिस से विशेष वर्ग के समर्थकों को हटाया जायगा। हम तो तीन साल, पौने तीन साल सत्ता में रहे आपने तो 30, 32 साल काटे हैं। कैसे आपने किया था। ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस को कमिटेड बनाया गया, जिसे कांग्रेस (आई) की तरह का होना चाहिए। जनता पार्टी और लोक दल ने कभी प्रशासन कमिटेड टु पार्टी नहीं बनाया।

श्रीमन्, जनार्दन ठाकुर का लेख है पाइनियर में 22 अगस्त का। उसमें प्रधान मंत्री का हवाला दिया गया है। वह कहती हैं वैन ए ग्रुप आफ अपोजिशन एम0पीज0 मैट दि प्रांईम मिनिस्टर सी रिफ्टु ए प्वाइन्ट आफ एकार्डिंग टु विच पी0 ए0सी0 इन यू0पी0 इजपैक्ट विद जाट्स हूज काम्युनल बियैस इज एलोज्डलि प्रोनाउन्सड। श्रीमन्, वह कहती हैं इस देश की प्रधान मंत्री, जाति विशेष की बात। मैंने इस प्रदेश के गृह सचिव से जानना चाहा किक्या बता सकेंगे कि पी0ए0सी0 के अंदर जाटों का परसेन्टेज कितना है। यह बताया गया कि ऐसी कोई फिगर नहीं है। श्रीमन्, एक प्रधान मंत्री किसी सूचना के आधार पर यह कहती हैं कि पेक्ड विद जाट्स जिस का वियैस कम्युनल है, जिसका हमेशा से फिरकापस्ती का विचार रहा है। जान बूझ कर यह प्रचार किया जा रहा है।

श्रीमन्, जल्दी-जल्दी कहूंगा। फिर माननीय मकवाना साहब कहते हैं,, इन्होंने बयान दे देकर इन दंगों को बढ़ाया है कि इन्होंने कराया है। न हिन्दू चाहता है, न मुसलमान चाहता है। मकवाना साहब का टाइम्स आफ इंडिया में 26 अगस्त, 1980 में बयान हैं आर0एस0एस0, जनसंघ, बी0जे0पी0 रिस्पांसिबिल फार रायट्स। आर0एस0 एस0 जनसंघ, बी0जे0पी0 दंगों के लिये जिम्मेदार हैं। फिर 18 अगस्त के नवजीवन में श्री मकवाना का बयान निकलता है यह सुनियोजित षडयंत्र है। इस तरह के होम मिनिस्टर हैं देश के। फिर 28 अगस्त की पत्रिका में लिखा है मकवाना साहब बुखारी साहब से मिले और दोनों ने शान्ति के लिये अपील की। पता नहीं क्या सौदेबाजी हुई ? इसमें उन्होंने कहा है

[श्री राजेन्द्र सिंह]

"Mr. Makwana and the Shahi Imam pointed out that there was a conspiracy to create friction between Harijans and Muslims who never had any problems against each other and lived always like friends."

मि0 मकवाना एन्ड द शाही इमाम पाईन्टेड आउट दैट दियर वाज ए कांसप्रेसी टू क्रियेट फ्रिक्शन विटविन हरिजनस एण्ड मुस्लिमस हू नेवर हैड एनी प्राब्लसम अगेन्स्ट ईच अदर एन्ड लिब्ड आलवे लाइक फ्रेन्डस ।

इस तरह के बयान की क्या जरूरत थी । झगड़ा कहां हो रहा था ? मुसलमानों तथा हरिजनों में तफरका आप क्रियेट करना चाहते है । कम्युनल फीलिंग्स कौन क्रियेट कर रहा है ? कम्युनल फीलिंग्स हमेशा कांग्रेस, (आई) इन्दिरा गांधी ने क्रियेट की हैं ।

श्री अध्यक्ष——

आप अपनी बात भी तो कहिये वर्ना कोटेशंस तक ही रह जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह——

इसी तरह से वी0पी0 साठे ने चंडीगढ़ में बयान दिया कि उनको इंटरनेशनल कांसपिरेसी दिखाई देती है । फिर उसी दिन चंडीगढ़ में यह भी बयान साठे साहब ने दिया कि मुरादाबाद कांड के लिए पुलिस जिम्मेदार है । अभी तक विरोधी दल ने पुलिस पर्सनल को कंडम नहीं किया था । हम चाहते थे कि पुलिस इस देश में व्यवस्था बनाये रखने के लिये काम करे और हमने उसे डिमारलाइज कभी नहीं किया लेकिन यह कांग्रेस (आई) उसे डिमारलाइज कर रही है । इसी तरह से 17 तारीख के स्टेट्समैन में राजेश पायलेट ने पुलिस को ब्लेम किया है । उनका कहना है कि पुलिस कसूरवार है । अब दिल्ली के बाद मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी का सदन में बयान हुआ । 16 तारीख को उनका यह बयान था कि वह उसे कांसपिरेसी नहीं मानते हैं । दिल्ली वाले इसे कहते हैं कि यह कांसपिरेसी है लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोई कांसपिरेसी नहीं है । दूसरे दिन कहते हैं कि कुछ राजनीतिक तत्व स्थिति को एक्सप्लाइट कर रहे हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं । हमने कभी भी इसका राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की । अब अगर उनको कोई विशेष सूचना है किसी व्यक्ति के बारे में अथवा किसी दल विशेष के बारे में किसी फारेन पावर के बारे में तो उसका स्पष्ट नाम ले कर यहां उल्लेख करना चाहिये और उसे कंडम करना चाहिये । हम भी उसे कंडम करेंगे । फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उन्होंने भी कहा कि कुछ विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है । जो वह कहती हैं वही मुख्य मंत्री भी कह देते हैं, उनका अपना बयान कुछ नहीं है । फिर दूसरे दिन उसका खंडन निकलता है मुख्य मंत्री की तरफ से भी कि विदेशी ताकतों का कोई हाथ नहीं है । अगर प्रेस गलत निकालता है उनके बयान को तो फिर उनको उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी चाहिये । मगर ऐसा नहीं हुआ । फिर डी0 एम0 साहब का बयान है उसमे भी कांसपिरेसी की बात आती है । इसके अलावा फायर आर्म्स के बारे में कहा गया कि सौफिस्टिकैटेड आर्म्स आ रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी बात है तो वह सामने आनी चाहिये । मान्यवर, 18 अगस्त को माननीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह ने कहा जो हथियार मिले, उन पर कोई निशान नहीं हैं परन्तु बहुत आधुनिक हथियार हैं । यह कहना कठिन है कि यह किस देश में बनाये गये हैं । इससे पहले 18 अगस्त 1980 को श्री मेहता जो मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होने प्रेस रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि विभिन्न घरों से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं । उन्होंने बताया कि विभिन्न मोहल्लों से 13 बन्दूकें, बड़ी संख्या में देशी पिस्तौलें आदि मिली हैं । इसके अलावा हिन्दुस्तान टाइम्स जो कि 26 अगस्त, 80 का है उसमें एक स्पोक्समैन ने कहा है"नो फायर आर्म्स यूज्ड इन मुरादाबाद ।" उसी रिपोर्ट में प्रवक्ता ने कहा कि 92 हथियार पाये गये जिनमें से 83 लाइसेंस वाले थे और 9 बिना लाइसेंस के थे । 28 अगस्त, 1980 के अमृत प्रभात में गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने कहा "दंगों के पीछे छिपी शवितयों की सरकार को जानकारी है।" आपके पास साधन हैं, हैलीकाप्टर है, आप

सूचना मंगा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे कौन सी शक्तियां हैं जो इसके पीछे छिपी हुई है । आज भी छुटपुट घटनायें हो रही हैं । इनका आप पता लगा सकते हैं । पूरा पूरा मुल्क आग में जब जल जायेगा तब ये कहेंगे ?

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जिम्मेदारी को समझा था । मुख्य मंत्री भी इसे अपनी जिम्मेदारी मानें । इंडियन एक्स-प्रेस 16 अगस्त, 1980 में मुख्य मंत्री ने कहा---

"ऐज हेड आफ द गवर्नमेंट, आई ओन फुल मारल रेसपान्सिविलिटी फार व्हाट हैज हैपेंड। आई बिल नाट हाइड ऐनी फैक्टफ्राम द पीपुल एन्ड द न्यूज मीडिया ऐज बी (कांग्रेस-आई) और नाट ए पार्ट टु दि वाएलेंस ।]

एक मिसाल लाल बहादुर शास्त्री ने कायम की थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया था चाहे वह किसी भी बात पर क्यों न हो, रेल दुर्घटना ही क्यों न हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था । मैं कहता हूं कि नेता सदन भी अपनी जिम्मेदारी को समझें । जो कुछ भी हुआ हो, वे जिम्मेदारी फील करते हैं तो उनको भी लाल बहादुर शास्त्री का अनुसरण करना चाहिये ताकि एक दूसरी मिशाल इस देश में कायम हो सके । वे भी इसी प्रदेश के थे ।

जुडीशियल इंक्वायरी के बारे में कहा गया । हमें कोई ऐतराज नहीं । अगर कहीं कोई अविश्वास रहा है तो श्रीमती इंदिरा गांधी का कांग्रेस (आई), को रहा है । हम लोगों ने अलीगढ़ कांड पर जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाई थी । हाईकोर्ट के एक माननीय जज जांच कर रहे थे लेकिन जब इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने बताया कि उस दंगे के अन्दर कांग्रेस (आई) के युवा गोल्डन गैंग का हाथ था । इन्होंने वापस ले लिया इसी तरह से शाह कमीशन की सारी चीजों को वापस ले लिया । संजय गांधी से संबंधित मामले वापस ले लिये, इनकमटैक्स से संबंधित मामले वापस ले लिये । जब चाहें जनता को दिखाने के लिये जुडिशियल इनक्वायरी बिठा दी और जब चाहें वापस ले ली ।

इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो कुछ घटनायें घटी हैं वह इनकी अकर्मण्यता की वजह से है । मैं उनको फिर कहना चाहता हूं कि जैसा रियासत साहब ने कहा, आप कहते हैं कि फारन आर्म पम्प आउट हुए, तो इनकी सी0आई0डी0 क्यों सोयी रही यह सरकार की अकरमण्यता है क्यों वह चुप बैठे रहे क्यों इस बात को नोटिस में नहीं लाये । इनका पूरा प्रशासन फेल हो चुका है, कोई प्रशासन इस समय नहीं है । शुरू-शुरू में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं इस प्रदेश में सरकार को प्रतिष्ठित करना चाहता हूं । तो यह सरकार तो राष्ट्रपति शासन से भी बुरी चीज हो गयी है । यह पुलिस राज्य, सेना का राज्य या गुंडों का राज्य है । इतना बड़ा नर संहार हो गया और आप कहते हैं कि कम लोग मरे हैं हमारी इनफारमेशन इससे काफी ज्यादा है । जो हमारे दल के सदस्यों की सूचना है इससे कहीं अधिक ह । जैसा कि रियासत साहब ने कहा ट्रकों में भर-भर कर लाशें गयी । आज से तीन दिन पहले मुख्य मंत्री जी को यह सूचना दी गयी कि पुलिस वाले ट्रक में भर कर ले गये और गड्ढे में दवा दिया । यह सूचना मेरे सामने मुख्य मंत्री जी को दी । तो क्या उन्होंने इसकी जांच करवायी ? यदि करवायी है तो बतायें कि फलां आफिसर ने जांच की और यह रिजल्ट रहा । एक माननीय सदस्य तीन दिन पहले यह बात नोटिस में लाये थे । आज भी उन्होंने कहा कि वहां बहुत ज्यादा लोग मरे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो दोषी हैं चाहे पुलिस के लोग हों या प्रशासन के लोग हों चाहे कोई हों उनको दंड दें । पुलिस ने रिटैलियेशन में यह कार्य कर दिया और अब इसको कम्युनल बनाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका काफी समय हो गया है ।

श्री राजेंद्र सिंह—

मैं समाप्त करता हूं उधरके लोग मेरी बातों से इनकंवीनियेंट फील कर रहे हैं । सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि मैं बोलूं । आप तो कह सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की पूरी मशीनरी समाप्त हो चुकी है । प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं है । मुख्य मंत्री जी को लाल बहादुर शास्त्री जी के कदमों का अनुसरण करना चाहिये यदि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं । अगर कुर्सी प्यारी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा । अन्त में जो कोई भी मारे गये हैं चाहे वह सरकार के आदमी हों या पब्लिक के आदमी हों उनके प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है । मैं कहना चाहता हूं कि तथ्य सामने आने चाहिये इसमें हम भी प्रशासन का साथ देने के लिये तैयार हैं ।

रिलीफ के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं उसमें काफी पैसा दिया जाना चाहिये । आज आपकी पुलिस और पी0ए0सी0 बेकार हो चुकी है आपने उसे डिमारलाइज कर दिया है क्योंकि हर जगह आपको सेना को बुलाना पड़ा । इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ । फ्लैग मार्च आपको करवाना पड़ा यह दिखाने के लिये कि हमारे पास सत्ता है। (व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोग वहीं जायं और देखें । (व्यवधान) महात्मा गांधी ने जो-जो कहा उसका उल्टा आप कर रहे हैं, शराब की दुकानें खोल दी हैं। हिंसात्मक तरीका अपनाया जा रहा है । हमको मौका मिलेगा तो हम पुलिस फोर्स नहीं लेंगे, ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे । हम उस तरफ से जायेंगे, जैसा हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है, वहां निहत्थे होकर जायेंगे । मैं चाहता हूं कि शांति स्थापित हो, हिन्दू-मुस्लिम के बीच कोई साम्प्रदायिक या घृणा की बात न हो । इसको रोका जाना चाहिये और इसके साथ मैं प्रशासन की भर्त्सना करता हूं, उसने जो कुछ किया है ।

*श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष जी, 15 अगस्त, 1980 को लाल किले पर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस घटना के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही थी । वह यह है जिसके लिये अभी विरोधी दल के नेता और रियासत हुसैन ने बड़ा बल दिया, उन्होंने कहा था यह घटना बड़ी निन्दनीय ह और जो भी इसमें मुजरिम पाया जायेगा, चाहे वह कितना बड़ा क्यों नहो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस—

मुजरिम तो मुसलमान हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

आधारशिला जो हमारी नीति की है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था । उससे कहीं पर, कोई, हमारे हटने का प्रश्न नहीं है । आज इस पर चर्चा हो रही है, जो प्रस्ताव आया है, वह जहां बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पर बड़ा गम्भीर और दुखदायी भी है । इसमें इंसानों का खून बहा है, औरतें बेवा हुई हैं और बच्चे यतीम हुए हैं । खून किसी फिरके से, किसी धर्म और सम्प्रदाय से ताल्लुक नहीं रखता है । खून सबका एक और एक समान है । हमें केवल इंसान के खून की बात सोचनी है । खून-खून में कोई फर्क नहीं हुआ करता है । लेकिन इन जख्मों का इलाज जख्मों को कुरेदने से नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा । इन जख्मों का इलाज, जो एक इस तरफ का ट्रेन्ड है, उस तरह से नहीं होगा । हमें देखना होगा, शासन की कोई बात है तो बताई जाय । सब जिम्मेदारी शासन की ही नहीं होती है, बहुत सी जिम्मेदारी और लोगों पर भी होती हैं । उनकी भी होती है जो लोग मदद करते हैं शासन की ला ऐंड आर्डर कायम करने में । अभी एक सदस्य ने बताया है कि जो शाही इमाम थे, उनके घर पर पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच गया । उनको सूचना थी कि कोई घटना होने वाली थी, तो वह उनके पास पहुंच गई । उसने सोचा था मस्जिद के पेश इमाम हैं, तो आदर के लिये पहुंच गया होगा (व्यवधान) जब माननीय रियासत हुसैन साहब मुख्य सचिव के पास यह बताने पहुंच गये कि कल वहां घटना होने वाली है, (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

यह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाए, यह गलत है । मैंने यह नहीं कहा था । यह नहीं कहा था कि कल घटना होने वाली हैं । मैंने कहा था जो आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन भेजा है, वह मुरादाबाद को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, अतः इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं माननीय सदस्य की नीयत और उनके सेक्युलर होने की नीयत में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करता, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं । आप दरोगा से यह कहने पहुंचे और दरोगा वहां उनके पास पहुंच गया । यह क्वैन्सीडेंश की बात है केवल, (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

शाही इमाम को लाने के लिये दरोगा जायेगा और दंगे की जो जड़ सुअर है, उसको हटाने से इंकार करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं यहां पर किसी को डिफैन्ड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । जो बात सामने है उसको कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी हमारे सामने बहुत सी सूचनायें विभिन्न अखबारों से दी गयी हैं । मेरे पास भी जो कागजात हैं, उनसे भी मैं सदन के सामने सूचनायें रखूंगा । जो वस्तुस्थिति है वह यह है कि अभी यहां पर कहा गया कि पी0ए0सी0 डिमारलाइज हो गयी है, पुलिस डिमारलाइज हो गयी है । पुलिस के ऊपर ऐक्शन न लेकर इन इफैक्टिव बना दिया गया है । जब हम पुलिस की मदद करने की बात करते हैं तो एजीटेशन शुरू हो जाता है । अभी डिमारलाइज करने की बात कही गयी। इस घटना के संबंध में जब तक लोग बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल कर नहीं सोचेंगे, इससे कोई पालिटिकल कैपिटल नहीं बनायेंगे, मानव दृष्टि से जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक इस घटना का विश्लेषण नहीं हो सकता है ।

यहां पर यह भी कहा गया कि वहां पर कोई तैयारी नहीं थी । मैं यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारी जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट जज इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं लेकिन जो सूचना हमें मिली है उसी के आधार पर कहूंगा । इसमें 3 मुद्दों पर विचार होना है कि किन कारणों से घटना हुयी, वहां पर प्रशासन की तैयारी थी या नहीं । जो रिपोर्टस हमें मिली है उसके अनुसार वहां पर 3 इन्सपैक्टर्स थे, 17 सब इन्सपेक्टर्स, 16 हेड कान्सटेबिल, 151 कान्सटेबिल, 10 सेक्शन्स पी0ए0सी0 के, 29 होम गार्डस, एक एडीशनल डी0एम0,सी0ओ0 और एक एडिशनल मैजिस्ट्रेट थे । यह वहां पर फोर्स मौजूद थी । जो घटना मुरादाबाद में घटी, उसके संबंध में यहां पर बात सी कटिंग रखी गयी और एक ओर से कुछ कारण और दूसरी ओर से कुछ और

[श्री अम्मार रिजवी]

कारण बताये गये । लेकिन यह कहना कि किसकी जिम्मेदारी थी, यह तो जुडिशियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट ही बतायेगी और उसके अनुसार उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

यहां पर अलीगढ़ की बात कही गयी । उसके बारे में मुझे कहना है कि वहां पर 2 वर्ष की अवधि में कुल 8 गवाह पेश हुए थे। जुडिशियल इन्क्वायरी करने वाले जज का कहना था कि उन्हें 200 विटनेसेज की गवाही लेनी है। तो जब 2 साल में केवल 8 गवाहों की गवाही ले सकते थे तो आप सोच सकते हैं कि 200 गवाहों के लिए कितना समय लगेगा। तो उस जुडिशियल इन्क्वायरी की यह स्पीड थी । आज जो मुरादाबाद के बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठायी गयी है, उसके लिये 3 महीने का समय दिया गया है कि वह इस अवधि में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी । उसे 2 साल में 8 गवाहों को गवाही नहीं लेनी होगी ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इनके भाई डी०ए०सी० हैं जिनको वहां पर एप्वाइन्ट किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद रांका--

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ईद की नमाज के दिन इतनी बड़ी तादात में वहां पर पुलिस की फोर्स थी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि ईद जैसे पाक दिन पर कोई ऐसी वारदात होने वाली है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ?

श्री अम्मार रिजवी--

जब भी बड़ा कांग्रेगेशन होता है, जहां पर बड़ा जनसमूह होता है वहां पर पुलिस इंतजाम के लिये बुलायी जाती है । जब पुलिस काफी नहीं होती तो फौज बुलायी जाती है । कुम्भ का मेला होता है वहां पर फौज, एअर फोर्स तक बुलायी जाती है । वहां पर 60 हजार आदमियों को जमा होना था । अगर पुलिस के लोग न होते तो कहते कि पुलिस क्यों नहीं लगायी गयी । जब लगायी गयी तो कहते हैं कि पुलिस क्यों लगायी गयी ? श्रीमन्, जो मुरादाबाद में कांड हुआ वह पूरे समाज के लिए एक कलंक का टीका है चाहे मुरादाबाद हो, बरेली हो, चाहे जमशेदपुर हो या बैलछी हो, कहीं पर घटना ऐसी होती है वह सारे देश और प्रदेश के लिये कलंक है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री अम्मार रिजवी--

बेलछी से जो तकलीफ लोगों को पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं । अध्यक्ष की, आप यह ख्याल करें बरेली में, रामपुर में जो घटनायें हुई उनको किस तरह से बढा चढ़ा कर पेश किया गया । बरेली में जिसके लिए कहा गया कि बरेली में ला ऐंड आर्डर कोलैप्स कर गया, वहां चार दिन के अन्दर चार मौतें हुई, जिसमें दो आपस की दुश्मनी से हुई । इसी तरह से रामपुर में एक कान्सटेबिल जो आग लगायी जा रही थी, जिसको वह बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने बहादुरी से जान दी, मैं उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित

करता हूं । उसने आग बुझाने की कोशिश की । उसकी जान गयी । इसी तरह से आप देखें अलीगढ़ में जो कांस्टेबिलों की हत्या हुई और तीन सिविलियन की हत्या हुई । पांच अलीगढ़ की हैं । मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं क्योंकि जो फीगर्स दी जाती है उनसे ऐसा लगता है कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं । ऐसा आभास किया जाता है । उसके बाद इलाहाबाद में 6 हैं जिसके लिए क्या-क्या लोग कहते हैं । मऊ में दो दलों में झगड़ा था । उसे कम्युनल बनाने की कोशिश की गयी । सम्भल में एक, लखनऊ में कुछ नहीं । इस समय जो प्रयास करना चाहिये हमें वह इस बात का कि किस तरह से अफवाहों को रोकें अफवाहों पर किसी तरह से नियंत्रण करें ताकि जो प्रस्ताव पेश किया गया उसकी जो सही स्थिति है वह सामने आये । यह झगड़ा किसी तरह से साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं कहा जा सकता । साम्प्रदायिक झगड़ा है ही नहीं । लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए । अब जिसने की उनको तकलीफ पहुंचती है।

श्री मोहन सिंह—

देवेन्द्र पांडेय की राजनीति बताइये। आपके एम0एल0ए0 हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

उसके बाद यहां पर जो घटनायें हुई उन पर कितनी जल्दी नियंत्रण किया गया है । अलीगढ़ में आपको याद होगा अखबारों में देखा होगा, 9 महीने तक करफ्यू लगा रहा था । माननीय सदस्य अलीगढ़ बैठे हुए हैं । अलीगढ़ में स्थिति नियंत्रण में नहीं हुई । आज मान्यवर, वह नियंत्रण में है । वहां 3 घन्टे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गयी है । इलाहाबाद में भी सवेरे 3 घंटे के लिये कर्फ्यू खोला गया और लोगों ने नमाज पढी । कोई घटना नहीं हुई । कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उन जगहों पर गये हैं और जहां पर भी जिन अधिकारियों का दोष पाया है उनकी लापरवाही पायी है, उनको हटा दिया है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को माफ नहीं किया जायेगा, (व्यवधान)

एक सदस्य—

यह दंगा तो इन्दिरा गांधी ने कराया है ।

श्री अम्मार रिजवी—

अगर माननीय सदस्य की आवाज में दम होता तो जनता श्रीमती इंदिरा गांधी को आज सत्ता में न बिठाती जनता तो स्वयं फैसला करती है । उसी ने आपको यहां बिठाया था, उसी ने आपको उधर बिठा दिया ।

रिलीफ मेजर्स की बात कही गयी । इसमें शक नहीं है कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है वह एक प्रकोप है और उससे बहुत से लोगों को असुविधा पहुंची है । हमने यह नहीं कहा कि सारी व्यवस्था सहायता की हमने कर दी है । जो असुविधा लोगों को हुई ह उसके लिये हमें खेद है, पर जितना हम अधिक से अधिक कर सकते थे वह हमने किया है । मुरादाबाद के लिये मुख्य मंत्री कोष से 10 लाख रुपया दिया गया है, सहायता के लिए और 5 लाख रुपया प्रधान मंत्री कोष से दिया गया है । मेडिकल सुविधाओं के लिये भी मोबाइल गाड़ियों की व्यवस्था की गयी है । यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी को कोई असुविधा न हो ।

पी0डी0ए0 की बात कही गयी कि सारे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग बन्द कर दिये गये हैं । इस बारे में भी मैं कहना चाहता हूं और उसके आंकड़े आपके सामने रखना

[श्री अम्मार रिजवी]

चाहता हूं । जिस वक्त यह आर्डिनेंस रखा गया माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह कहा था कि जैसे ही हालात ठीक हो जायेंगे, इसे एक मिनट भी आगे नहीं रखा जायेगा ।

श्री राजेंद्र सिंह--

पीलीभीत में कोई दंगा नहीं हुआ लेकिन वहां पर पालिटिकल लोगों को बन्द किया गया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती । अगर हम प्रीवेनटिव मेजर्स में किसी को बन्द कर दें तो एतराज न करें तो कहा जाता है कि आपने प्रीकाशनरी मेजस नहीं लिये । अब आप देखें कि कितने लोग कहां-कहां पर इस ऐक्ट के अन्तर्गत बन्द हैं मुरादाबाद में 4, पीलीभीत में 4, इलाहाबाद में 15, रामपुर में 6, बरेली में 17, देहरादून में 2, आगरा में 2, फैजाबाद में 6, कुल हैं 56 । उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में 56 लोग हैं जो बन्द हैं इस ऐक्ट के अन्तर्गत जो हजारों की संख्या कही जा रही है कि साहब जितने राजनैतिक लोग हैं सब पी0 डी0 ए0 में बन्द किये जा रहे हैं । इस समय जो स्थिति है केवल कर्फ्यू रात को रह गया है । कुछ स्थानों पर और दिन में अलीगढ़ में कुछ हिस्से में है और इलाहाबाद में कुछ हिस्से में है जिसे हम खत्म करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश का काम हो रहा है, शांति है । हमें सारे विरोधी दल के जो नेता ह, सब लोग इसके अन्दर पूरा सहयोग दें । यह मामला किसी पार्टी का नहीं है । यह मामला किसी एक समुदाय का नहीं है । यह मामला पूरे देश और प्रदेश का है । अगर इस तरह की जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, अगर बढ़ती रहीं, तो उसकी ज्वाला में पूरा देश और प्रदेश जलेगा । उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। श्रीमन्, देखें कि किस प्रकार से इनको उकसाया जा रहा है । 19 तारीख को जो घटना होती है, इलाहाबाद से मऊ तक और 20 तारीख को लखनऊ में होती है, हर तरह से मस्जिद में कोई चीज भगा दी गयी, किसी जानवर का टुकड़ा, जिसे नहीं पसन्द किया जाता है रख दिया गया ।

(शोरगुल)

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आप तानाशाह बने हुए हैं । आप कहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

सच्ची बात नहीं कहनी चाहिये जो कड़ुई लगती है । मैंने कह दिया मैं क्षमा चाहता

(व्यवधान)

श्री गुलतार अनीस--

पुलिस दंगा कराना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन् मैं अपील कर रहा था कि इसमें हम सबको मिल कर इसका मुकाबिला करना चाहिये । जैसा कि नेता विरोधी दल ने भी कहा और रियासत साहब ने भी कहा, मुख्य मंत्रीजी ने सारे विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया था और परामर्श लिया था, मुझे उम्मीद है कि जिस नियत के साथ यह प्रस्ताव लाया गया है, उस नियत से रखा जायगा और सदन के जरिये से हम प्रदेश की सारी जनता को आश्वासन देते ह कि जो लोग इंसान और इन्सान के बीच में नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं, वह कहीं कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जायगा और जो तरह तरह की साजिश किये हैं, उन्हें बेनकाब किया जायगा, उन्हें बख्शा नहीं जाय ा । जो श्रीमन्, प्रस्ताव है उसमें एक शब्द मैं चाहता हूं जोड़ दिया जाय । एक तरफ तो पुलिस और पी0 ए0 सी0 और सबके ऊपर अंकुश नहीं रखा गया है, यह कहा जाता है, एक तरफ यह बिलकुल डिमारलाइज होता जा रहा है यह कहा जाता है, श्रीमन् इस प्रवृत्ति को आपको भी रोकना होगा । जो यह प्रवृत्ति बन रही है कि आम फोरसेज के ऊपर हमला किया जाय, जो यूनिफार्म में हैं, उन्हीं पर हमला किया जायगा, इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा ।

यह चीज जो है पूरे प्रदेश और देश के लिये खतरनाक बन सकती है । इसके अन्दर हमें और आपको पूरा सहयोग देना है । इसलिये आखिरी मे आपसे निवेदन करूंगा कि जहां पर प्रस्ताव में लिखा है, उसमें एक लाईन यह भी जोड़ दें कि जो परिवार इन दंगों से पीड़ित हुए हैं और मातायें, बहनें, जिनके पुत्र और शौहरों की जाने गयी हैं, जिसके वजह से उनके ब च्चे यतीम हुए , उनके परिवारों की हम सारे सदन की ओर से अपनी संवेदनाएं भेजते हैं । मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करता हूं ।

श्री मोहन सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में यह भी जोड़ दिया जाये कि जो सरकार इसके लिये जिम्मेदार है, वह तत्काल इस्तीफा दे।

श्री अध्यक्ष—

जिस माननीय सदस्य को इस संबंध में जो सुझाव देने हों, वह कृपया लिखकर भेज दें । अब हम उठते हैं । 4 तारीख को 11–00 बजे फिर बैठेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी 10 मिनट बाकी हैं, अभी थोड़ी चर्चा हो सकती है ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर बृहस्पतिवार 4 सितम्बर, 1980 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

29 अगस्त, 1980 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 321 पर)

दिनांक 1-9-79 से 31-5-80 तक बांटी गई सहायता का जिलेवार विवरण

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	लेखा शीर्षक 289 के अन्तर्गत राजस्व अनुभाग-10 द्वारा बांटी गई सहायता	लेखा शीर्षक 705 कृषि के लिए ऋण आयोजनेतर (क) सामान्य आपदा तकावी मद में	लेखा शीर्षक 705 कृषि के लिए ऋण आयोजनेतर खाद व उर्वरक मद में	योग
1	2	3	4	5
मेरठ मण्डल				
1—सहारनपुर	9.68	3.00	3.00	15.68
2—मुजफ्फरनगर	7.40	3.50	3.00	13.90
3—मेरठ	7.20	6.80	3.00	17.00
4—बुलन्दशहर	6.22	13.60	3.00	22.82
5—गाजियाबाद	6.00	2.20	3.00	11.20
6—बिजनौर	8.60	8.50	3.00	20.10
योग ..	45.10	37.60	18.00	100.70
आगरा मण्डल				
1—अलीगढ़	15.10	20.65	5.00	40.75
2—मथुरा	8.55	10.50	5.00	24.05
3—आगरा	11.40	22.00	5.00	38.40
4—मैनपुरी	13.56	12.40	5.00	30.96
5—एटा	6.62	2.10	5.00	13.72
योग ..	55.23	67.65	25.00	147.88
रुहेलखंड मण्डल				
1—बरेली	7.61	4.50	5.00	17.11
2—बदायूं	14.97	3.60	5.00	23.57
3—मुरादाबाद	12.60	3.60	5.00	21.20
4—शाहजहांपुर	10.76	11.65	5.00	27.41
5—पीलीभीत	6.86	12.10	5.00	23.96
6—रामपुर	5.60	9.40	5.00	20.00
योग	58.40	44.85	30.00	133.25

1	2	3	4	5
इलाहाबाद मण्डल				
1—फर्रुखाबाद	6.92	8.40	10.00	25.32
2—इटावा	4.50	13.60	10.00	28.10
3—कानपुर	17.70	12.50	10.00	40.20
4—फतेहपुर	16.10	22.10	10.00	48.20
5—इलाहाबाद	22.50	20.50	10.00	53.00
योग	67.72	77.10	50.00	194.82
झांसी मण्डल				
1—बांदा	48.60	50.10	15.00	113.70
2—हमीरपुर	10.30	7.00	15.00	32.30
3—झांसी	10.10	19.80	15.00	44.90
4—ललितपुर	5.02	7.70	15.00	27.72
5—जालौन	12.42	19.25	15.00	46.67
योग	86.44	103.85	75.00	265.29
वाराणसी मण्डल				
1—वाराणसी	17.81	6.50	15.00	39.31
2—मिर्जापुर	40.98	35.50	15.00	91.48
3—ज़ौनपुर	11.89	19.50	15.00	46.39
4—गाजीपुर	12.16	25.50	15.00	52.66
5—बलिया	7.70	8.00	15.00	30.70
योग	90.54	95.00	75.00	260.54
गोरखपुर मण्डल				
1—गोरखपुर	19.32	20.25	15.00	54.57
2—बस्ती	41.50	37.50	15.00	94.00
3—आजमगढ़	22.55	7.50	15.00	45.05
4—देवरिया	15.66	11.50	15.00	42.16
योग	99.03	76.75	60.00	235.78

1	2	3	4	5
कुमायूं मण्डल				
1—नैनीताल	7.32	23.95	1.30	32.57
2—अल्मोड़ा	3.10	1.35	0.10	4.55
3—पिथौरागढ़	1.40	0.70	0.10	2.20
योग	11.82	26.00	1.50	39.32
गढ़वाल मण्डल				
1—चमोली	2.31	1.40	0.10	3.81
2—उत्तरकाशी	1.60	3.10	0.10	4.80
3—गढ़वाल	1.70	0.90	0.10	2.70
4—टेहरी गढ़वाल	4.60	2.10	0.10	6.80
5—देहरादून	2.42	0.50	0.10	3.02
योग ..	12.63	8.00	0.50	21.13
लखनऊ मण्डल				
1—लखनऊ	10.89	14.30	2.00	27.19
2—उन्नाव	11.67	4.65	3.00	19.32
3—रायबरेली	11.29	5.70	3.00	19.99
4—सीतापुर	17.85	9.25	3.00	30.10
5—हरदोई	7.12	11.50	3.00	21.62
6—खीरी	14.58	6.60	3.00	24.18
योग	73.40	52.00	17.00	142.40
फैजाबाद मण्डल				
1—फैजाबाद	24.52	41.90	10.00	76.42
2—गोंडा	10.35	6.20	10.00	26.55
3—बहराइच	8.42	9.15	10.00	27.57
4—सुल्तानपुर	15.90	4.20	6.00	26.10
5—प्रतापगढ़	7.30	5.50	6.00	18.80
6—बाराबंकी	11.73	13.70	6.00	31.43
योग	78 22	80.65	48.00	206.87
कुल योग	678.53	669.45	400.00	1747.98

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 326 पर)

विकास क्षेत्र के समितियों में कार्यरत सचिवों के सम्बन्ध में सूचना विकास खण्ड भनवापुर एवं डुमरियागंज

क्रम-सं0	विकास क्षेत्र	नाम समिति	नाम सचिव	घर का पता	सम्बन्धित समिति में कब से कार्यरत हैं
1	2	3	4	5	6
1	डुमरिया गंज	1—सा0 स0स0 बढ़नी, चापन	1—श्री सहज राम त्रिपाठी	ग्राम सहरी सेवक, पोस्ट पथरा, तहसील बांसी, जिला बस्ती ।	25-11-78
		2—सा0 स0स0 भानपुर, रानी	2—श्री पारसनाथ मिश्र	ग्राम व पोस्ट गौर, तहसील हरैया, बस्ती	3-4-79
		3—सा0 स0 स0 बासा, चक	3—श्री जंग बहादुर वरुण	ग्राम दुबौली, पोस्ट कुटिया गड़री, तहसील बांसी, बस्ती ।	24-9-79
		4—कि0 से0 स0 स0 लि0, डुमरियागंज ।	4—श्री श्यामनरायन राय, सहकारी पर्यवेक्षक ।	ग्राम रामपुर धनोहरी, पोस्ट दोहरीघाट, आजमगढ़ ।	27-8-79
		5—कि0 से0 स0 स0 लि0, मानिकगंज ।	5—श्री इकबाल अहमद, सहकारी पर्यवेक्षक ।	ग्राम जनपद आजमगढ़	27-11-79
2	भनवापुर	1—सा0 स0 स0 देवरिया, चमन	1—श्री व्यास मुनी पाण्डे	ग्राम व पोस्ट पड़री, तहसील व जिला बस्ती	12-1-79
		2—सा0 स0 स0 अहरौली, पड़री	2—श्री शुभकरन दुबे	ग्राम भतरिन्हा जोत, पो0 नगर बाजार, तहसील व जिला बस्ती ।	13-2-80
		3—सा0 स0 स0 पटखौली, माफी	3—श्री गंगा राम	ग्राम मनिकौरा, पो0 डिड़ई, तहसील बांसी, जिला बस्ती ।	3-4-79

1	2	3	4	5	6
		4—सा0 स0 स0 हटवा	4—श्री सत्यनरायन वर्मा	ग्राम व पो0 डेकहरी, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	3-4-79
		5—सा0 स0 स0 शाहपुर	5—श्री राम शब्द	ग्राम डडौल, पो0 बढ़नी, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	27-12-79
		6—सा0 स0 स0 रमुआपुर, जगतराम ।	6—श्री अष्टभुजा पाण्डे	ग्राम परसा, पो0 डेबरुआ, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	4-4-79
		7—सा0 स0 स0 धनोहरी	7—श्री राम नरेश	ग्राम ठोडिया कला, पो0 रायठ, तहसील बांसी, जिला बस्ती ।	1-5-77
		8—सा0 स0 स0 भनवापुर	8—श्री दरोगा यादव	ग्राम जमघटा, पो0 ढ़ेकहरी, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	13-1-80
		9—सा0 स0 स0 बिजौरा	9—श्री विन्ध्याचल दुबे	ग्राम टेभी, पो0 बेलहरा, तहसील व जिला बहती ।	1-5-79
		10—सा0 स0 स0 सिकटा	10—श्री रामबुझारत	ग्राम हरैया, जनपद बस्ती	26-3-78
		11—सा0 स0 स0 डोकनआमया	11—श्री चन्द्रहरी मिश्र	ग्राम पंडितपुर, पो0 बड़पुर, नं0 7, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	14-7-80
		12—सा0 स0 स0 बिस्काहर	12—श्री राजमणि मौर्य	ग्राम व पो0 उदयपुर जोगिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	19-7-78
		13—सा0 स0 स0 मरवटिया, मुस्तकहम ।	13—मो0 हफीज खां	ग्राम व पो0 अहड़ी, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ।	1-6-79
		14—सा0 स0 स0 चिताही	14—श्री साधू सरन लाल	ग्राम गोधारी, तहसील बलरामपुर, जिला गोण्डा ।	1-8-79

सी0एस0यू0पी0—ए0पी0 159 विधान सभा—15-12-80—(2955)—1981—813 (प्रो0) ।